

# 56वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा

2014-2015



केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड  
भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,  
वी. एन. आई. टी. गेट के पास, उत्तर अंबाझरी रोड,  
नागपुर-440 033

### अनुक्रमणिका

क्रमांक (1)	विषय सूची (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1	प्रस्तावना . . .	1-5
2	बोर्ड . . .	6-9
3	भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान . . .	10-18
4	क्षेत्रीय, इकाई और ग्रामीण स्तरों पर कार्यक्रम . . .	19-27
5	सहायता अनुदान . . .	28-29
6	प्रकाशन एवं शैक्षिक सामग्री . . .	30
7	अन्य गतिविधियाँ . . .	31-34
8	बोर्ड के चुनिंदा कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं . . .	35-52
9	प्रभाव एक झलक . . .	53-57
10	सांख्यिकीय सारणियाँ . . .	59-85
11	लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र . . .	89-90
12	अलग से लेखापरीक्षा रिपोर्ट का जवाब . . .	91-102
13	तुलन पत्र . . .	103
14	आय एवं व्यय लेखा . . .	104
15	अनुसूची 1-25 . . .	105-132
16	प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा . . .	133-134
17	सामान्य भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा . . .	135
18	सामान्य भविष्य निधि आय एवं व्यय लेखा . . .	136
19	सामान्य भविष्य निधि तुलन पत्र . . .	137
20	बचत खाते एवं जमा खाते में बैंक शेष का विस्तृत विवरण . . .	138
21	गृह निर्माण अग्रिम राशि में जमा का विवरण . . .	139
22	जमा चन्दा का विवरण . . .	140
23	स्वयंकोष निर्माण जमा विवरण . . .	141
24	सामान्य भविष्य निधि निवेश विवरण (अनुसूची सहित) . . .	142-144
25	सी. टी. पी. लेखा जमा विवरण . . .	145
26	संयुक्त लेखा जमा विवरण . . .	146
27	नई पेंशन योजना प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा . . .	147

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

(सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत 16 सितम्बर, 1958 को पंजीकृत)

**31 मार्च, 2015 को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्य**

### **अध्यक्ष**

श्री. के. लक्ष्मा रेड्डी

### **भारत सरकार के प्रतिनिधि**

श्री. मनीष गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (श्रम), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री. वाई. एस. के. शेषुकुमार, संयुक्त सचिव (ई) एवं महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

### **राज्य सरकार के प्रतिनिधि**

श्री. विष्णु कुमार शर्मा, संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि), राजस्थान सरकार, श्रम विभाग, जयपुर, राजस्थान

श्री. सिद्धार्थ देव वर्मन, प्रधान सचिव (श्रम एवं रोजगार), मणिपुर सरकार, मणिपुर सचिवालय, मणिपुर

श्री. डी. सी. बख्ती, उप श्रम आयुक्त, आयुक्त कार्यालय, गुजरात राज्य, गांधी नगर, गुजरात

श्रीमती रीता भदोरिया, उप श्रम आयुक्त, नोएडा, उत्तर प्रदेश

### **श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि**

श्री. आर. चन्द्रशेखरन, अध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉर्प्रेशन, केरला

श्री. कृष्ण चन्द्र पात्रा, हिन्द मजदूर सभा, कटक

श्री. हन्मय जे. पाण्ड्या, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्री. कृष्ण प्रताप सिंह, सचिव, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)

श्रीमती बी. वी. विजयालक्ष्मी, सचिव, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्प्रेशन, हैदराबाद

श्री. ए. एल. गुप्ता, उपाध्यक्ष, आयटक, कोलकाता

### **नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि**

श्री. जितेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, भोपाल

श्री. बीरेन्द्र प्रसाद, उपाध्यक्ष, इस्सोकाम, गुडगाँव

डॉ. यू. डी. चौबे, महानिदेशक, कौसिल ऑफ इंडिया एम्प्लायर (सी.आई.ई.), स्टैंडिंग कॉन्फरेंस ऑफ पब्लिक एण्टरप्राइजेज (स्कोप)

श्री. बी. पी. पंत, कार्यकारी निदेशक, ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स

श्री. सुरेश देवरा, समिति सदस्य, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन

श्री. सोमेश दासगुप्ता, अध्यक्ष, कार्पोरेट अफेयर्स

### **शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि**

श्री. मपन्ना गंगिगेरी, गुलबर्ग, कर्नाटका

### **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रतिनिधि**

प्रोफेसर पी. सी. व्यास, भूतपूर्व कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

### **पदेन सदस्य सचिव**

श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

(ii)

### केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

31 मार्च, 2015 को शासी निकाय के सदस्य

#### अध्यक्ष

श्री. के. लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

#### उपाध्यक्ष

श्री. अरुण कुमार सिन्हा, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (श्रम), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री. ए. के. पाण्डा, आर्थिक सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

#### सदस्य

श्री. विष्णु कुमार शर्मा, संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि), राजस्थान सरकार, श्रम विभाग, जयपुर

श्री. एस. के. देव वर्मन, प्रधान सचिव, मणिपुर सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग

श्री. आर. चन्द्रशेखरन, अध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉर्प्रेस, केरला

श्री. एच. जे. पाण्ड्या, उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)

श्री. बी. वी. विजयालक्ष्मी, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉर्प्रेस

श्री. जितेन्द्र गुप्ता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, भोपाल

श्री. बीरेन्द्र प्रसाद, उपाध्यक्ष, आईसोचेम (ISSOCHAM)

श्री. बी. पी. पंत, कार्यकारी निदेशक, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन

#### पदेन सदस्य सचिव

श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

31 मार्च, 2015 को वित्त समिति के सदस्य

**अध्यक्ष**

श्री. के. लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

**सदस्य**

श्री. अरुण कुमार सिन्हा, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री. के. सी. पात्रा, हिन्द मजदूर सभा (हि.म.स.), कटक

श्री. बी. पी. पंत, कार्यकारी निदेशक, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन

श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

(iv)

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

31 मार्च, 2015 को भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई की प्रबंध समिति के सदस्य

### अध्यक्ष

श्री. के. लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

### उपाध्यक्ष

श्री. ए. एल. गुप्ता, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, एटक, कोलकाता

### सदस्य

श्री. जगमोहन सिंह राजू, महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन

श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री. ए. के. पाण्डा, आर्थिक सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री. सुरेश देवरा, समिति सदस्य, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन

श्री. कृष्ण प्रताप सिंह, सचिव, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस)

श्री. कृष्ण चन्द्र पात्रा, हिन्द मजदूर सभा (एचएमएस)

डॉ. एस. राजगोपाल रेड्डी, माननीय सचिव, प्रौढ शिक्षा, आंध्र प्रदेश उत्पादकता परिषद

श्री. रवि रमन, प्रौढ शिक्षा

डॉ. एम. एम. रहमान, अनुसंधान

श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

### पदेन सदस्य सचिव

श्री. एम. एस. मठपति, प्रभारी उप निदेशक (प्रशिक्षण), भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई

## उद्देश्य

- श्रमिकों के सभी वर्गों में, जिनमें ग्रामीण श्रमिक भी शामिल हैं, देशभक्ति, राष्ट्रीय अखण्डता, एकता, सौहार्द, साम्प्रदायिक सहिष्णुता, धर्म-निरपेक्षता तथा भारतीय होने के स्वाभिमान की भावना को मजबूत बनाना ;
- श्रमिकों के सभी वर्गों को, जिनमें ग्रामीण श्रमिक भी शामिल हैं, राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में उनकी अभिज्ञ सहभागिता के लिए उनके उद्घोषित उद्देश्यों के अनुसार तैयार करना ;
- श्रमिकों में उनके सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण की समस्याओं, परिवार के सदस्यों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों और नागरिकों के रूप में, उद्योग में श्रमिक के रूप में, अपने श्रम संघ के सदस्य एवं पदधारी के रूप में उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति अधिक समझबूझ का विकास करना ;
- समय-समय पर देश की चुनौतियों का सामना करने हेतु सभी पहलुओं में श्रमिकों की क्षमता का विकास करना ;
- अधिक प्रबुद्ध सदस्यों तथा बेहतर प्रशिक्षित अधिकारियों के माध्यम से शक्तिशाली, एकीकृत एवं अधिक जिम्मेदार श्रमिक संघों का विकास करना तथा श्रमिक संघ आंदोलन में प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं और परम्पराओं को मजबूत बनाना ;
- श्रमिकों को संगठन के कर्मचारियों के रूप में अधिकार देना तथा सौहार्दपूर्ण औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए प्रभावी माध्यम के रूप में श्रमिकों में अपनत्व की भावना का विकास करना ;
- रोजगार प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल को हासिल करने एवं सतत् उन्नयन के साधनों तक पहुँचने के लिए श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ।

## प्रस्तावना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजकों ने महसूस किया कि हमारे जैसे प्रजातांत्रिक समाज के लिए श्रमिक संघों तथा देश के शीघ्र विकास हेतु उनकी गतिविधियों में श्रमिकों की सक्रिय एवं समझदार भागीदारी की आवश्यकता है। श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक सशक्त, मुक्त, जिम्मेवार तथा प्रजातांत्रिक श्रमिक संघ आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रमाणकारी भूमिका निभाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस संदर्भ में आयोजकों ने विचार किया था कि राष्ट्र निर्माण के कठिन कार्य में प्रमाणकारी रूप में अपनी भूमिका निभाने हेतु श्रमिकों तथा उनके श्रमिक संघों को तैयार करने में श्रमिक शिक्षा मदद कर सकेगी। इन परिस्थितियों ने सन् 1957 में श्रमिक शिक्षा योजना को सूत्रबद्ध करने में विशेषज्ञों की सलाह लेने के लिए सरकार को बाध्य किया। इस तरह भारत सरकार ने फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से श्रमिक शिक्षा योजना का प्रस्ताव करने के लिए विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय टीम को नियुक्त किया। मार्च, 1957 में विशेषज्ञों की टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जुलाई, 1957 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें सत्र में विशेषज्ञों की टीम की सिफारिशों का समर्थन किया गया। भारतीय श्रम सम्मेलन ने श्रमिक शिक्षा योजना को लागू करने हेतु एक अर्ध-स्वायत्त बोर्ड की स्थापना करने की सिफारिश की थी। उक्त सिफारिश के परिणामस्वरूप सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत 16 सितम्बर, 1958 को पंजीकृत एक त्रिपक्षीय सोसाइटी के रूप में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई।

### **संगठनात्मक ढाँचा :**

बोर्ड का मुख्यालय, नागपुर में स्थित है। बोर्ड, देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों तथा 09 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों के नेटवर्क द्वारा अपने कार्यकलापों का संचालन करता है। दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै एवं भोपाल में स्थित छः अँचलिक निदेशालय अपने-अपने अँचल के क्षेत्रीय निदेशालयों की प्रशिक्षण गतिविधियों का अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हैं।

बोर्ड राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई जैसे तीन स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। सन् 1970 में स्थापित बोर्ड के शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई द्वारा राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सशक्त और अधिक जवाबदार श्रमिक संघों का विकास करना, श्रमिक संघ प्रशासन में प्रजातांत्रिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना, प्रजातांत्रिक समाज में अपनी जगह बनाने के लिए श्रमिकों को सम्बद्ध करना, सामूहिक हित के आधार पर श्रमिकों में “राष्ट्रहित प्रथम” की भावना का निर्माण, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बोर्ड को सक्षम बनाना ही भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान की स्थापना का प्राथमिक लक्ष्य है।

संस्थान एक सूचना केन्द्र है और श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह, बोर्ड के क्षेत्रीय तथा उप-क्षेत्रीय निदेशालयों के लिए ज्ञान का भण्डार भी है। संस्थान में श्रमिकों के लिए शिक्षा प्रणाली साधनों को विकसित करने एवं परिष्कार करने के लिए अनुसंधान विंग भी है। यह, बोर्ड के पदाधिकारियों के लिए गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

### **बोर्ड तथा शासी निकाय :**

भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक गैर-सरकारी अध्यक्ष बोर्ड का नेतृत्व करते हैं। श्री. के. लक्ष्मा रेड्डी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। बोर्ड के प्रशासकीय प्रधान बोर्ड के निदेशक हैं। वर्ष के दौरान श्रीमती नम्रता तिवारी बोर्ड के निदेशक थी।

श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों, नियोक्ताओं के केन्द्रीय संगठनों, केन्द्र तथा राज्य सरकार एवं शैक्षणिक निकायों के प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य हैं। बोर्ड के सदस्यों में से चयनित शासी निकाय द्वारा बोर्ड की गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

क्षेत्रीय निदेशालय के स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा करने, कार्यक्रमों के यथोचित कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने तथा सामान्यतः क्षेत्रीय निदेशालयों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए क्षेत्रीय सलाहकार समितियों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ भी त्रिपक्षीय प्रकार की हैं।

### **प्रशिक्षण :**

बोर्ड संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। पर्यवेक्षी तथा प्रबंधकीय वर्ग के लिए भी संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2014-2015 के दौरान संगठित, असंगठित, ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए आयोजित 9,744 कार्यक्रमों में 3,54,597 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया। बोर्ड की सहायता अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों तथा श्रमिक संघों द्वारा प्रशिक्षित श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

### **मूल्यांकन :**

बोर्ड की स्थापना से ही समय-समय पर केन्द्रीय श्रमिक बोर्ड के कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अलावा बोर्ड आंतरिक रूप से अपने कार्यक्रमों का मूल्यांकन श्रमिकों के साथ-साथ कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के संगठनों द्वारा करता है और तदनुसार अपने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन भी करता है।

वर्ष 2014-2015 के दौरान केंश्रशिबो के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव से असंगठित तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 820 स्वावलंबन समूहों की स्थापना की गई। इन स्वावलंबन समूहों के कारण समूह के सदस्यों को स्व-रोजगार हेतु मदद मिली।

### **ध्यानाकर्षित क्षेत्र :**

ग्रामीण, असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के बहुसंख्यक श्रमिकों को देखते हुए बोर्ड ने सामान्यतः ग्रामीण, असंगठित श्रमिकों तथा विशेषतः जनजातीय श्रमिकों, बाल श्रमिकों एवं महिला श्रमिकों को शिक्षित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

### **उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम :**

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए श्रमिकों की ओर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। इस क्षेत्र में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के चार क्षेत्रीय निदेशालय हैं जो गुवाहाटी, इम्फाल, तिनसुकिया एवं सिलिगुड़ी में स्थित हैं।

नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ एच.आई.वी./एड्स, मानव अधिकार, राष्ट्रीय अखंडता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव आदि जैसे विषयों पर भी चाय बागान श्रमिकों के साथ-साथ विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के बीच जागरूकता विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

बोर्ड द्वारा गुवाहाटी में स्थापित आँचलिक निदेशालय सिर्फ उत्तर-पूर्व क्षेत्र की श्रमिक शिक्षा गतिविधियों का अनुवीक्षण करता है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र की श्रमिक शिक्षा गतिविधियों के लिए रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान भारत सरकार ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को 2.01 करोड़ रुपये की विशेष पैकेज की मंजूरी भी दी है।

रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान बोर्ड ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के 20,812 श्रमिकों के लिए 549 कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 2266 संघ कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित 76 विशेष कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं।

### **महिला श्रमिकों का प्रशिक्षण :**

महिला श्रमिकों के सशक्तीकरण पर भारत सरकार के जोर के अनुकूल बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महिला श्रमिकों की अधिक भागीदारी के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। वर्ष 2014-2015 के दौरान बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कुल 2,65,376 महिला श्रमिकों ने भाग लिया।

**प्रशिक्षण गतिविधियों के आधार पर निष्पादन :**

पिछले वर्ष की तुलना में रिपोर्टर्डीन वर्ष के दौरान बोर्ड की गतिविधियों का निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	2013-2014		2014-2015	
		कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>राष्ट्रीय स्तर</b>					
1	श्रमिक संघों के लिए पाठ्यक्रम	37	956	35	599
2	क्षेत्रीय निदेशकों / शिक्षा अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	4	86	..	..
3	उप निदेशक / आँ.नि. / क्षे.नि. तथा प्रभारी क्षे.नि. के लिए सम्मेलन	..	..	..	..
4	बोर्ड के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम	3	65	1	23
5	प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर कार्यक्रम	..	..	..	..
6	जम्मू एवं कश्मीर के कार्यकर्ताओं के लिए	2	36	1	15
7	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के केन्द्रीय श्रमिक संघों के लिए	..	..	..	..
<b>संगठित क्षेत्र</b>					
<b>राष्ट्रीय स्तर</b>					
8	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम (05 दिवसीय)	6	180	15	450
<b>क्षेत्रीय स्तर</b>					
9	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (45 दिवसीय)	7	195	6	185
10	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)	39	928	37	1015
11	प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (5 दिवसीय)	4	74	4	64
12	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (3 दिवसीय)	2	102	4	81
13	आवश्यकता पर आधारित परिसंचाद (2 दिवसीय)	363	8367	278	6898
14	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1 / 2 / 3 दिवसीय)	392	7693	354	6703
15	प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर कार्यक्रम (3 दिवसीय)	13	353	10	292
16	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	637	15898	606	15015

(1)	(2)	2013-2014		2014-2015	
		(3)	(4)	(5)	(6)
17	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पाने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	..	..	..	..
18	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	..	..	..	..
19	विशेष स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (5 दिवसीय)	..	..	..	..
20	एचआईवी / एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम (2 दिवसीय)	..	..	..	..
21	आवश्यकता पर आधारित विशेष परिसंवाद (5 दिवसीय)	4	61	11	350
	<b>इकाई स्तर</b>				
22	अंशकालीन / पूर्णकालीन इकाई स्तर की कक्षाएं	74	1757	86	2306
23	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	308	7538	264	6755
24	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं (6 माह)	8	185	3	51
25	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (4 दिवसीय)	4	160	4	156
26	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (2 दिवसीय)	69	2476	53	1860
27	संयंत्र स्तर पर कार्यक्रम (1 दिवसीय)	168	4249	173	4813
	<b>असंगठित क्षेत्र</b>				
28	असंगठित क्षेत्र / दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	322	12637	290	11311
29	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (4 दिवसीय)	83	3198	65	2487
30	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (2 दिवसीय)	160	6230	141	5384
31	पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	157	9000	145	8154
32	उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कौशल विकास हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	22	660	35	1045
33	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (10 दिवसीय)	2	60	2	60
34	पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	14	555	16	639
35	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	896	34534	496	19256
36	महिला श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	718	28139	428	16477

		2013-2014		2014-2015	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
37	बाल श्रमिक / बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	114	4448	89	3373
38	बाल श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	101	4008	64	2413
39	अ.जा. उप योजना / अ.ज.जा. के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	4185	158942	3649	136496
40	श्रम कल्याण एवं विकास पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	506	20542	368	14285
41	पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	52	1841	37	1310
42	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पंचायती राज कार्यक्रम (3 दिवसीय)	15	443	24	711
43	निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	..	..	355	13752
44	रिक्षा चालकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	..	..	3	115
<b>ग्रामीण क्षेत्र</b>					
45	ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)	1057	41548	829	32264
46	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	128	4957	115	4519
47	पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	135	7796	134	7571
48	ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा के कार्यक्रम (2 दिवसीय)	1	40	..	..
49	मनरेगा के ग्राम स्तरीय कार्यक्रम	575	23072	345	13505
50	मनरेगा के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम	145	14309	88	8625
51	मनरेगा के जिला स्तरीय कार्यक्रम	3	60	4	80
52	सहायता अनुदान कार्यक्रम	71	2847	77	3134
	<b>कुल</b>	<b>11560</b>	<b>430082</b>	<b>9744</b>	<b>354597</b>

**बोर्ड :**

श्रमिकों के केन्द्रीय संगठनों, नियोक्ताओं के केन्द्रीय संगठनों, केन्द्र व राज्य सरकारों तथा श्रमिक शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य हैं।

श्री के. लक्ष्मा रेड्डी ने दिनांक 13-08-2014 को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। बोर्ड ने दिनांक 17-04-2013 को पुनःगठन किया है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड के सदस्य निम्नवत थे :

अध्यक्ष	
श्री के. लक्ष्मा रेड्डी	अध्यक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड
सदस्य	
श्री. अरुण कुमार सिन्हा	संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
श्री. वाई. एस. के. शेषकुमार	संयुक्त सचिव (ई) एवं महानिदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
श्री. विष्णु कुमार शर्मा	संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि), राजस्थान सरकार, श्रम विभाग
श्री. डी. सी. बख्ती	उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय
श्रीमती रीता भदोरिया	उप श्रम आयुक्त, श्रम आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश राज्य
श्री. एस. के. देव वर्मन, भा.प्र.से.	आयुक्त (श्रम एवं रोजगार), मणिपुर सरकार
श्री. हन्मय जे. पाण्ड्या	उपाध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.सं.)
श्री. आर. चन्द्रशेखरन	अध्यक्ष, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस, केरला शाखा
श्री. कृष्ण चन्द्र पात्रा	हिन्द मजदूर सभा, कटक
श्री. कृष्ण प्रताप सिंह	सचिव, भारतीय मजदूर संघ (भा.म.स.)
श्रीमती बी. वी. विजयालक्ष्मी	सचिव, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस
श्री. ए. एल. गुप्ता	उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया यूनायटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (आयटक)
श्री. जितेन्द्र गुप्ता	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, भोपाल
श्री. बीरेन्द्र प्रसाद	उपाध्यक्ष, इस्सोकाम
डॉ. यू. डी. चौबे	महानिदेशक, कॉसिल ऑफ इंडियन एम्प्लायर्स (सी.आई.ई.)
श्री. बी. पी. पंत	कार्यकारी निदेशक, कॉसिल ऑफ इंडियन एम्प्लायर्स (सी.आई.ई.)
श्री. सुरेश देवरा	महाराष्ट्र राज्य बोर्ड, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन
श्री. सोमेश दास गुप्ता	अध्यक्ष, कार्पोरेट अफेयर्स एवं प्रशासन डीपीएससीएल एवं आईपीसीएल

## **सदस्यता में परिवर्तन :**

बोर्ड ने दिनांक 17-04-2013 को सदस्यों का पुनर्गठन किया और नये सदस्यों को नामित कर दिया गया है।

## **बोर्ड की बैठक :**

बोर्ड की 70 वीं वार्षिक साधारण बैठक नई दिल्ली में 10 नवम्बर, 2014 को श्री. के. लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

## **शासी निकाय की बैठकें :**

वर्ष 2014-2015 के दौरान शासी निकाय की निम्नलिखित 02 बैठकें आयोजित की गईं :

1. 26 मई, 2014 को नई दिल्ली में 165 वीं बैठक। बोर्ड ने वर्ष 2012-2013 की 54 वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित लेखा को अनुमोदित किया।
2. 10 नवम्बर, 2014 को नागपुर में 166 वीं बैठक आयोजित की गई और 18 नवम्बर, 2014 को नई दिल्ली में विस्तारित बैठक आयोजित की गई।

## **महत्वपूर्ण निर्णय :**

शासी निकाय ने निम्नलिखित प्रस्तावों को बैठक में अनुमोदित किया :

- वर्ष 2012-13 की केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की 54 वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षित विवरण को अनुमोदित किया गया।
- क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बदलती संरचना का प्रस्ताव।
- केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के समूह ‘क’ के वित्तीय सलाहकार के अस्थाई पद को जारी रखने, चयन प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने का प्रस्ताव।
- केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के समूह ‘क’ के आँचलिक निदेशकों के अस्थाई पदों को जारी रखने तथा पदों को शीघ्र भरने के प्रस्ताव।
- समूह ‘ख’ एवं ‘ग’ के पदों को जारी रखने, पदों को यथाशीघ्र भरे जाने का प्रस्ताव।
- बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकेगा।
- समग्र निधि का उपयोग, अध्यक्ष ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से अनुरोध किया कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किए गये प्रस्तावों एवं दिये गये जवाबों पर यथाशीघ्र निर्णय लें।
- केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अनुमोदित रिक्त पदों को भरने का प्रस्ताव।
- इंटक, भा.म.सं., हि.म.स., आयटक, सीटू की माँग एवं अन्य अनुमोदित अनुसार भा.श्र.शि.सं., मुंबई में राष्ट्रीय सतर पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शैक्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित व्यय मानक में संशोधन।
- केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के हॉस्टल प्रभारों के संशोधन संबंधी आवश्यक आदेशों को जारी करना।
- असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित व्यय मानकों का संशोधन।
- 16 सितम्बर को सदस्यों ने नागपुर में बोर्ड के स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में समिलित होने की इच्छा प्रकट की।

{क्षेत्रीय योजना के अधिकारी :}

श्रमिक शिक्षा योजना को निरंतर आगे बढ़ाने में क्षेत्रीय निदेशालय को सहायता करने के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा गठित क्षेत्रीय सलाहकार समिति ने क्षेत्रीय निदेशालयों के कार्यों की समीक्षा की और मार्गदर्शन प्रदान किया।

रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे उल्लिखित क्षेत्रीय निदेशालयों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया :

क्र. सं.	अध्यक्ष का नाम (2)	अवधि (3)	क्षेत्रीय निदेशालय का नाम (4)
(1)			
1	डॉ. मनीष रंजन, भा.प्र.से., श्रम आयुक्त, झारखण्ड सरकार, श्रम रोजगार एवं प्रशि. विभाग, श्रमिक भवन, दोरांडा, राँची-834 002 दूरभाष सं. 0651-2482040, मो. 9430177777 ई-मेल : manishranjan2@gmail.com	19-01-2015 से 18-01-2017	जमशेदपुर
2	श्रम आयुक्त, पश्चिम बंगाल सरकार, 1, के.एस.रॉय रोड, 11वीं मंजिल, कोलकाता-700 001, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार	19-11-2014 से 18-11-2016	कोलकाता
3	श्री. चन्द्रमोहन जिन्दल, प्रभागीय रेल प्रबंधक, उत्तर-पूर्व रेल, इज्जत नगर-243 122, दूरभाष-0581-2515946 ई-मेल : drm@izn.railnet.gov.in	27-03-2015 से 26-03-2017	बरेली
4	श्री. धर्मन्द्र कुमार सिंह, उप श्रम आयुक्त, गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद	27-03-2015 से 26-03-2017	गाजियाबाद
5	श्री. अमित कश्यप, भा.प्र.से. श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, नई हिमरस भवन, हिमलैंड हॉटेल, शिमला-171 001	24-02-2015 से 23-02-2017	परवाणू
6	श्री. तिरु पी. मारिमुत्तु, संयुक्त श्रम आयुक्त, संयुक्त श्रम आयुक्त का कार्यालय, आरटीओ कॉम्प्लेक्स के पीछे, डॉ. बाला सुंदरम रोड, कोयम्बतूर-641 018 दूरभाष-0422-2247917 ई-मेल : jccb.tnlabour@nic.in	01-08-2014 से 31-07-2016	कोयम्बतूर

(1)	(2)	(3)	(4)
7	श्री. हृदयनाथ श्रीकांत सिरोडकर, हाऊस क्र. 209/27, कामाक्षी कृपा, खडपाबंध, पोण्डा, गोवा-403 401 मो. 9422639131 ई-मेल : <a href="mailto:hruday23@gmail.com">hruday23@gmail.com</a>	07-11-2014 से 06-11-2016	गोवा
8	श्री शंकर करनाम, सहायक महाप्रबंधक (मा.सं.एवं प्रशा.), कुदरेमुख आयरन ओर कं. लि., भारत सरकार उपक्रम, पनामबुर, मंगलूरु-575 010 मो. 9483647406 ई-मेल : <a href="mailto:skarnam196417@yahoo.com">skarnam196417@yahoo.com</a>	13-01-2015 से 12-01-2017	वडोदरा
9	डॉ. एस. के. जैन, महाप्रबंधक (एचआरडी), बिरला सिमेंट वर्क्स, चंदेरिया सिमेंट वर्क्स, माधवनगर, चंदेरिया, चित्तौरगढ़-312 021, (राजस्थान) दूरभाष-01472-256601 से 256608 फैक्स-01472-256620, 256609	27-03-2015 से 26-03-2017	उदयपुर
10	श्री. राजबिहारी शर्मा, महासचिव, भारतीय मजदूर संघ, 42, पटेल कॉलोनी, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपूर (राजस्थान)-302 001 मो. 9829877144	17-11-2014 से 16-11-2016	जयपुर
11	श्री. अविनाश मिश्रा, महाप्रबंधक, मालनपुर जिला, भिण्ड (म.प्र.) आवासीय पता-67, अनुपम नगर, युनिवर्सिटी रोड, थाटीपुर, ग्वालियर-474 011 मो. 09425110133 ई-मेल : <a href="mailto:mishraavinash325@gmail.com">mishraavinash325@gmail.com</a>	10-06-2014 से 09-06-2016	ग्वालियर

### fo०८ | fe०९ dh c०१d :

संशोधित बजट प्राक्कलन 2013-14 के लिए तथा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित बजट प्राक्कलन 2014-15 को अंतिम रूप देने के लिए एवं बोर्ड की वर्ष 2012-13 की लेखा परीक्षित लेख को अनुमोदित करने के लिए 26 मई, 2014 को नई दिल्ली में बोर्ड की वित्तीय उप समिति की 57 वीं बैठक का आयोजन किया गया ।

बोर्ड की वर्ष 2013-2014 की वार्षिक लेखा को अनुमोदीत करने के लिए 01 सितम्बर, 2014 को नई दिल्ली में वित्तीय उप समिति की 58 वीं बैठक का आयोजीत की गई और उपर्युक्त को लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया ।

### वित्त एवं लेखा :

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बोर्ड द्वारा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से उत्तर-पूर्व क्षेत्र हेतु अनुदान को सम्मिलित करते हुए योजना में रुपये 16.71 करोड़ तथा गैर-योजना में रुपये 46.03 करोड़ प्राप्त हुआ । बोर्ड ने गैर-योजना के अंतर्गत रुपये 46.03 करोड़ तथा योजना के अंतर्गत रुपये 11.77 करोड़ उपयोग में लाया । इस प्रकार वर्ष 2014-15 की समाप्ति तक योजना के अंतर्गत रुपये 4.94 करोड़ अनुदान राशि व्यय नहीं हो पाई ।

## Hkkj rh; Jfed f"kk | LFkku :

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान (भाश्रिस) मुंबई की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (केश्रशिबो), द्वारा वर्ष 1970 में की गई। भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान एक शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते क्षेत्र (फील्ड) में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों/परिसंघों एवं अन्य संघों के प्रतिनिधियों के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रमों तथा परिसंवादों, बोर्ड के शिक्षा अधिकारियों हेतु गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अभिविन्यास कार्यक्रम जैसे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय द्वारा गठित प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन के अंतर्गत संस्थान की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। वर्तमान में प्रबंधन समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं :

### अध्यक्ष

श्री. के.लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड.

### उपाध्यक्ष

श्री. ए. एल. गुप्ता, उपाध्यक्ष, ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेण्टर (आयटक), कोलकाता.

### सदस्य

श्री. वाई. एस. के. शेषुकुमार	संयुक्त सचिव (एई) एवं महानिदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय.
श्रीमती मीनाक्षी गुप्ता	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (श्रम), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार.
श्री. ए. के. पाण्डा	आर्थिक सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार.
श्री. सुरेश देवरा	समिति सदस्य, महाराष्ट्र राज्य बोर्ड, ऑल इण्डिया मैनुफैक्चरर्स आर्गनाइजेशन. मुंबई.
श्री. कृष्ण प्रताप सिंह	सचिव, भारतीय मजदूर संघ (भा. म. सं.).
श्री. कृष्ण चन्द्र पात्रा	हिन्द मजदूर सभा (हि.म.स.)
डॉ. एस. राजगोपाल रेड्डी	माननीय सचिव, प्रौढ़ शिक्षा, आंध्र प्रदेश उत्पादकता परिषद
श्री. रवि रमन	प्रौढ़ शिक्षा
डॉ. एम. एम. रहमान	अनुसंधान
श्रीमती नम्रता तिवारी	निदेशक, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड

### पदेन सदस्य सचिव

श्री. जे. पी. फोगट उप निदेशक (प्रशिक्षण), भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई.

**if" k{k.k dk; Øe :**

संस्थान ने रिपोर्टरीन वर्ष 2014–15 के दौरान केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों, राष्ट्रीय परिसंघों एवं प्रबंधन कार्यकर्ताओं के लिए 37 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि, प्रतिभागियों की संख्या, वर्गीकरण इ. का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र. सं.	संगठन का नाम	विषय	अवधि	लिंगवार विवरण		कुल
				पुरुष	महिला	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उत्तर-पूर्व रेल मेनेस यूनियन (एनआरएमयू) के कार्यकर्ता	श्रमिक संघ में महिलाओं की भागीदारी	02-06-14 से 06-06-14	..	21	21
2	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	सतत वृद्धि एवं अनौपचारिक क्षेत्र की समस्याएँ	16-06-14 से 20-06-14	15	06	21
3	एटक के कार्यकर्ता	जेंडर वर्क एवं स्वास्थ्य	23-06-14 से 27-06-14	..	11	11
4	भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता	स्वास्थ्य श्रमिकों के लिए कार्यस्थिति एवं सामाजिक सुरक्षा	07-07-14 से 11-07-14	01	26	27
5	एन.एफ.आई.आर के कार्यकर्ता	नेतृत्व गुणवत्ता एवं कौशल उन्नयन	14-07-14 से 18-07-14	16	..	16
6	भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता	सामाजिक पर्यावरण जोखिम प्रबंधन	04-08-14 से 08-08-14	16	04	20
7	इंटक के कार्यकर्ता	नेतृत्व विकास	18-08-14 से 22-08-14	30	..	30
8	इंटक के कार्यकर्ता	असंगठित श्रमिकों के नेताओं का क्षमता निर्माण	01-09-14 से 05-09-14	25	08	33
9	तेलंगाना क्षेत्र में इंडियन रेलवेमेन के राष्ट्रीय परिसंघ के द्वितीय स्तर के नेताओं के कार्यकर्ता (इंटक)	संगठनात्मक नेतृत्व निर्माण	15-09-14 से 19-09-14	20	08	28
10	तेलंगाना क्षेत्र में इंडियन रेलवेमेन के राष्ट्रीय परिसंघ के द्वितीय स्तर के नेताओं के कार्यकर्ता (इंटक)	संगठनात्मक नेतृत्व निर्माण	15-09-14 से 19-09-14	17	..	17

## विवरण—चालू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	नेशनल यूनियन आफ सी फेयरर के कार्यकर्ता (नूसी एचएमएस)	परिवहन उद्योग में श्रमिक संघ की भूमिका	22-09-14 से 24-09-14	22	..	22
12	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	श्रमिक संघ प्रबंधन एवं सूचना का अधिकार अधिनियम	25-09-14 से 27-09-14	20	..	20
13	एनआरएमयू के कार्यकर्ता	कार्य संस्कृति और संगठनात्मक विकास	29-09-14 से 01-10-14	19	..	19
14	केन्द्र सरकार कर्मचारी परिसंघ (सी.जी.ई.सी.) के कार्यकर्ता	कार्य संस्कृति और संगठनात्मक विकास	07-10-14 से 10-10-14	12	..	12
15	भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक परिसंघ के कार्यकर्ता (इंटक)	असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना	13-10-14 से 17-10-14	20	03	23
16	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	असंगठित श्रमिकों - अं.श्र.सं. प्रावधानों की समस्याएं	27-10-14 से 31-10-14	03	04	07
17	बैंक श्रमिकों के राष्ट्रीय संगठन के कार्यकर्ता (भामसं)	वर्तमान परिदृश्य में ग्राहक संबंध	10-11-14 से 14-11-14	27	01	28
18	भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता	परिवहन उद्योग में श्रमिक संघ की सामाजिक जिम्मेवारियाँ	17-11-14 से 21-11-14	27	02	29
19	जम्मू एवं कश्मीर के कार्यकर्ता	लिंग समानता	24-11-14 से 28-11-14	15	..	15
20	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	नया आर्थिक परिदृश्य एवं श्रमिक संघ की भूमिका	01-12-14 से 05-12-14	17	..	17
21	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	वर्तमान आर्थिक परिदृश्य - युवा के समक्ष चुनौतियाँ	15-12-14 से 19-12-14	09	..	19
22	ऑल इंडिया मेजर पोर्ट अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी परिसंघ के कार्यकर्ता	श्रमिक संघ के समक्ष चुनौतियाँ	18-12-14 से 20-12-14	40	..	40
23	इंटक के कार्यकर्ता	सामाजिक-आर्थिक विकास पर वैश्वीकरण का प्रभाव	22-12-14 से 24-12-14	..	14	14

## विवरण—चालू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	पवनहंस हेलीकॉप्टर लि. के कर्मचारियों के लिए स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम	मानव संबंध एवं अन्तर वैयक्तिक संबंध	26-12-14	11	09	20
25	बीएलआईएस के कार्यकर्ता (बीएमएस)	नेतृत्व विकास	05-01-15 से 07-01-15	24	03	27
26	भारतीय डाक कर्मचारी संघ (भा.म.सं.) तृतीय श्रेणी के कार्यकर्ता	महिला सशक्तीकरण	12-01-15 से 16-01-15	..	23	23
27	पवनहंस हेलीकॉप्टर लि. के कर्मचारियों के लिए स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम	संगठनात्मक प्रभाव के लिए प्रबंधन की उत्कृष्टता	15-01-15	17	01	18
28	आयटक के कार्यकर्ता	श्रमिक संघ के समक्ष उभरती चुनौतियाँ	19-01-15 से 23-01-15	25	04	29
29	यूट्यूसी के कार्यकर्ता	संगठित क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपाय	27-01-15 से 29-01-15	23	..	23
30	इंडियन नेशनल सीमेंट वर्कर्स फेडरेशन (इंटक) के कार्यकर्ता	नेतृत्व का सशक्तीकरण	02-02-15 से 06-02-15	16	..	16
31	एन.पी.सी.आई.एल., दमन के कर्मचारियों के लिए स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम	श्रम कानून में अधिकार एवं उत्तरदायित्व	07-02-15 से 08-02-15	17	..	17
32	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	बदलते परिदृश्य में नेतृत्व कौशल	09-02-15 से 13-02-15	25	..	25
33	टेक्सटाइल वर्कर्स युनियन (भा.म.सं.) के कार्यकर्ता	बदलते परिदृश्य में टेक्सटाइल श्रमिकों की भूमिका	16-02-15 से 20-02-15	18	05	23
34	बी.के.एस.एम. के कार्यकर्ता	औद्योगिक एवं मानवीय संबंध	23-02-15 से 25-02-15	30	..	30
35	दिल्ली परिवहन मजदूर संघ (भामसं) के कार्यकर्ता	परिवहन उद्योग में श्रमिक संघों के समक्ष सामाजिक जिम्मेवारी/ चुनौतियाँ	11-03-15 से 13-03-15	24	..	24
36	हिन्द मजदूर सभा के कार्यकर्ता	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय एवं उत्प्रवास-पक्ष एवं विपक्ष	16-03-15 से 20-03-15	09	02	11
37	आई.सी.एल. के कार्यकर्ता	असंगठित क्षेत्र में श्रम कानून का प्रभावी प्रवर्तन	23-03-15 से 27-03-15	27	02	29
		कुल ..	37 कार्यक्रम	637	157	794

## I अनुसंधान संगठनों की संख्या

संस्थान हमेशा ही श्रम संघों तथा नेताओं की माँग और उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखता है। देशभर में भा.श्रि.सं. के कार्यक्रमों की भारी माँग है। अधिकांश केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों ने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया है।

प्रतिभागियों का संगठनवार विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	संगठन का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	लिंगवार विवरण		
			(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	आयटक	2	25	15	40
2	इंटक	07	128	33	161
3	हिन्द मजदूर सभा	08	120	12	132
4	भारतीय मजदूर सभा	08	137	64	201
5	यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस (यूटीयूसी)	01	23	..	23
6	बी. के. एस. एम.	01	30	..	30
7	इंडियन कॉन्फेडरेशन ऑफ लेबर (आईसीएल)	01	27	02	29
8	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी / कर्मचारी	..	..	..	..
9	केन्द्र सरकार कर्मचारी परिसंघ (ओडीईसी)	01	12	..	12
10	भारतीय रेल	03	35	21	56
11	ऑल इण्डिया मेजर पोर्ट अनु.जा. अनु.ज.जा. कर्मचारी परिसंघ	01	40	..	40
12	जम्मू एवं कश्मीर	01	15	..	15
13	स्वयं कोष निर्माण	03	45	10	55
	Total	37	637	157	794

### i nuke ds vuq kj fooj .k %

उपर्युक्त कार्यक्रमों में न केवल केन्द्रीय श्रमिक संघों/परिसंघों के सदस्य भाग लेते हैं बल्कि उनके पदाधिकारी तथा कार्यकारी समिति सदस्य भी भाग लेना चाहते हैं। उसी तरह, रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन प्रतिनिधि ने भी भाग लिया।

पदनाम के अनुसार प्रतिभागियों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं. (1)	पदनाम (2)	लिंगवार विवरण		
		पुरुष (3)	महिला (4)	कुल (5)
1	अध्यक्ष	..	04	04
2	उपाध्यक्ष	02	..	02
3	सभापति	61	12	73
4	उप सभापति	44	07	51
5	महा सचिव	55	05	60
6	सचिव	93	09	102
7	आयोजन मंत्री	01	08	09
8	कोषाध्यक्ष	24	02	26
9	संयुक्त सचिव	27	..	27
10	शाखा अध्यक्ष	06	..	06
11	कार्यकारी समिति सदस्य	20	08	28
12	सदस्य	270	77	347
13	बोर्ड के प्रतिभागी	28	10	38
14	जिला सचिव	01	11	12
15	जिला उपाध्यक्ष	04	02	06
16	सहायक सचिव	01	02	03
	dy	- - 637	157	794

**i frHkkfx; k<sub>a</sub> dk jkT; okj fooj .k %**

वर्ष 2013–14 में संस्थान द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 24 राज्यों से आए 37 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। विवरण निम्नानुसार हैं :

क्र.सं. (1)	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का नाम (2)	लिंगवार विवरण		
		पुरुष (3)	महिला (4)	कुल (5)
1	महाराष्ट्र	182	39	221
2	गुजरात	32	09	41
3	चण्डीगढ़	04	..	04
4	मध्य प्रदेश (एम. पी.)	39	19	58
5	छत्तीसगढ़	03	01	04
6	जम्मू एवं कश्मीर	15	..	15
7	हिमाचल प्रदेश	03	02	05
8	राजस्थान	52	15	67
9	उत्तर प्रदेश	29	05	34
10	उड़ीसा	18	14	32
11	तमिलनाडु	29	..	29
12	केरल	31	02	33
13	कर्नाटक	07	03	10
14	पाञ्जियरी	02	..	02
15	पंजाब	01	02	03
16	नई दिल्ली	28	13	41
17	हरियाणा	11	02	13
18	आंध्र प्रदेश	59	11	70
19	तेलंगाना	02	13	15
20	बिहार	06	..	06
21	पश्चिम बंगाल	39	05	44
22	झारखण्ड	25	..	25
23	गोवा	08	02	10
24	उत्तराखण्ड	12	..	12
<b>dy ; kx ++</b>		<b>637</b>	<b>157</b>	<b>794</b>

### Js khokj fooj .k %

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई द्वारा वर्ष 2014–15 के दौरान आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश के अधिकाधिक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए यथोचित ध्यान दिया गया। श्रेणीवार विवरण निम्नवत है :

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिभागियों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	अनुसूचित जाति	126	11	137
2	अनुसूचित जनजाति	35	23	58
3	अन्य पिछड़ी जाति	476	123	599
	dy ; kx ++	637	157	794

### Hkkj rh; Jfed f"kk {kk | LFku] i frdky; dh | kf[; dh; : ij{kk %

भा.श्र.शि.सं. पुस्तकालय एवं प्रलेखन केन्द्र पूरे वर्ष श्रम कानूनों से संबंधित विषयों को प्रयोगकर्ताओं की शैक्षिक एवं सूचनाप्रक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संग्रहण विकास, प्रोसेसिंग, संग्रहण, सूचना को डिस्प्ले करने की गतिविधियों मे लगा रहता है।

क्र. सं (1)	पुस्तकालय गतिविधि (2)	अप्रैल, 2014–मार्च, 2015 (3)
1	पुस्तकालय प्रयोगकर्ताओं की संख्या	853
2	जारी दस्तावेज एवं संदर्भित पुस्तकें	3502
3	सूचना का विशिष्ट प्रचार (एस डी आई) प्रयोगकर्ताओं के लिए सेवा	93 (128 विषयों पर)
4	फोटो गैलरी में दर्शक	59
5	पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या	15068
6	वर्ष के दौरान समाहित की गई पुस्तकें	शून्य
7	आबंटित विषय / समुह चर्चा	61
8	भा. श्र. शि. सं. पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों हेतु सूचना का विशिष्ट प्रचार (एस डी आई)	153
9	अध्ययन सामग्री संदर्भ विषय	59
10	पी. एच. डी. थेसिस की कुल सं.	38

### दृश्य&जो; | क/कु

वर्ष 2014–15 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में दृश्य—श्रव्य साधनों का विस्तृत रूप से प्रयोग किया गया।

क्र. सं (1)	दृश्य—श्रव्य साधन (2)	संख्या (3)
1	कम्प्यूटर/लैपटॉप/एलसीडी/ल्यूमेन्स विज्युअलॉइजर	324
2	ओ.एच.पी.	06
3	वीडीयो सी.डी. शो	38

### क्लूक्स एस्यू %

वर्ष 2014–15 के दौरान पूरे भारत से 59 सदस्यों ने फोटो गैलरी को भेट दीं।

### जे फॅक्ट्स | डॉ %

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान से अनुसंधान अधिकारी का पद मुख्यालय में स्थानान्तरित किया गया है।

### फॅक्ट्स क डॉ; डॉ डॉ फॉय्स क.क , ऑइको %

रिपोर्टर्धीन वर्ष 2014–15 के दौरान, संस्थान ने 37 कार्यक्रम आयोजित करके 794 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। जिसमें 637 पुरुष तथा 157 महिला प्रतिभागी थे। संस्थान ने वर्तमान प्रयोग में आने वाले 30 विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित किया। प्रतिभागियों ने सभी विषयाधारित कार्यक्रमों की प्रशंसा की।

वर्षभर में 17 विभिन्न संगठनों जैसे केन्द्रीय श्रम संगठनों, बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों के पदाधिकारी जम्मू एवं कश्मीर एवं सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों, उपक्रमों के पदाधिकारियों ने कार्यक्रमों में भाग लिया।

वर्षभर के दौरान भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान में श्री एस. गोपीनाथ, समूह महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय प्रमुख, मुंबई क्षेत्र, श्री कृष्णा प्रताप सिंह, सदस्य, प्रबंधन समिति, भा.श्र.शि.सं., श्री एच. पण्डया, बोर्ड सदस्य एवं उपाध्यक्ष, के. श्र.शि.बो., डॉ. विजयालक्ष्मी, उपाध्यक्ष, के.श्र.शि.बो. श्री सुर्यकांत महाडिक, पूर्व विधायक एवं अध्यक्ष, भारतीय कामगार सेना महासंघ, मुंबई ने आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागियों को सम्बोधित किया तथा कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

### मर्रज़ & इवलू के इज़ सी %

रिपोर्टर्धीन वर्ष 2014–15 के दौरान उत्तर-पूर्व के क्षेत्रीय निदेशालय ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

### इक्स्क्यू फैफ्र डी सीडी %

8 अक्टूबर 2014 को भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई की 37 वी प्रबंधन समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

### एग्रोइव्हल फॉक्स कर्क, ए %

1. डिजिटल फोटो गैलरी एवं डीवीडी की तैयारी का कार्य सुरु हुआ है जो कि पूर्ण होने वाला है।
2. 10,200 संख्यक एक्सेसन कम्प्यूटर मे रिकार्ड किया गया हैं जो कि भविष्य में विषय कैटलाग की तैयारी के लिए आधार बनेगा।
3. पुस्तकालय में 785 पुस्तकें प्रक्रिया में आई तथा प्रयोगकर्ताओं के लिए 3500 पुस्तकों की पुर्नव्यवस्था की गई।
4. पुस्तकालय ने वर्तमान महत्वपूर्ण के 128 विषयों पर 93 संख्यक प्रयोगकर्ताओं को अखिल भारतीय स्तर पर विशेष संदर्भ सेवा (एस.डी.आई.) उपलब्ध कराया।

### डॉ; एफ्क्यू %

रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई में 03 प्रशिक्षण अधिकारी श्रमिक संघ/प्रबंधन/सरकारी संगठनों आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों से विशेषज्ञ सेवाओं के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वयन एवं आयोजन किया।

{ks-h; } bdkbz , oa xkeh.k Lrj ij dk; de

I kfBr {ks- ea Jfedka dk if"k{k.k %

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरे देश में व्याप्त अपने 50 क्षेत्रीय एवं 09 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा क्षेत्रीय एवं इकाई स्तर पर संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना जारी रखा :—

1. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	45 दिवसीय
2. प्रशिक्षकों के लिए पुनर्शर्चर्या पाठ्यक्रम	1 सप्ताह
3. व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	3 सप्ताह
4. संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम	1/2/3 दिवसीय
5. आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद	2 दिवसीय
6. स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम	1/2/3 दिवसीय
7. श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर कार्यक्रम	2/4 दिवसीय
8. अंशकालीन इकाई स्तर कक्षाएं (प्रति दिन एक घंटा)	45 दिवसीय
9. अंशकालीन इकाई स्तर कक्षाएं (प्रति दिन एक घंटा)	1 माह
10. सप्ताहांत इकाई स्तर कक्षाएं	3 माह
11. पूर्ण कालीन इकाई स्तर कक्षाएं	3 सप्ताह
12. आवश्यकता पर आधारित विशेष परिसंवाद	1 दिवसीय / 5 दिवसीय (अंशकालीन)
13. कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं	6 माह (अंशकालीन)
14. संयंत्र स्तर पर प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए विशेष परिसंवाद	1 दिवसीय

गत वर्ष की भाँति, नए और उपेक्षित उद्योगों के श्रमिकों को प्रशिक्षित करने पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय निदेशालयों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चला कि सक्रिय श्रमिकों एवं श्रमिक संघ के पदाधिकारियों ने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रति अत्याधिक रुचि दिखाई।

if"k{kdk dk if"k{k.k %

चयनित श्रमिकों को क्षेत्रीय निदेशालयों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। वे अपने संगठन में वापस जाकर उद्यम स्तर पर साधारण श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण क्रियाकलापों को आयोजित करते हैं। प्रशिक्षकों की कार्यक्षमता, प्रभावात्मकता, शिक्षण कौशल, रुचि एवं प्रेरणा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं।

वर्ष 2014–2015 के दौरान डेढ़ माह के 06 पूर्णकालीन पाठ्यक्रमों में 185 प्रशिक्षक प्रशिक्षित किए गए। उनमें से 131 सार्वजनिक एवं 54 निजी क्षेत्र के थे।

वर्ष के दौरान प्रशिक्षित श्रमिक प्रशिक्षकों का संघवार व्यौरा निम्नानुसार है :—

1. इंटक	27
2. एटक	8
3. भारतीय मजदूर संघ	17
4. हिन्द मजदूर संघ	46
5. सी.ई.टी.यू.	2
6. यू.टी.यू.सी.	1
7. अखिल भारतीय परिसंघ	19
8. अन्य	65
<hr/>	
dy - -	185
<hr/>	

यह देखा गया है कि प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए श्रमिक संघों ने योग्य व्यक्तियों को नामित करने लगा है। इन पाठ्यक्रमों के लिए श्रमिक संघों में पदाधिकारी की हैसियत से दायित्व निभाने वाले व्यक्ति नामित किए गए थे। उनका विवरण निम्न प्रकार है :—

1. अध्यक्ष	04
2. उपाध्यक्ष	15
3. सचिव	21
4. कोषाध्यक्ष	18
5. कार्यकारी सदस्य	22
6. प्रतिनिधि	51
7. अन्य	54
<hr/>	
dy - -	185
<hr/>	

### "कृक्षक भ्रमण %"

डेढ़ माह के प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया जाता है। शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य देश के विभिन्न स्थानों में श्रमिक संघों, औद्योगिक संबंधों, उत्पादकता तकनीकों, सुरक्षा, कार्य वातावरण आदि से संबंधित प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने में श्रमिकों को मदद करना है। नियोक्ताओं ने अध्ययन भ्रमणों के लिए प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को अपने-अपने संबंधित संगठनों के नियमों के अनुसार पूर्ण यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया। रिपोर्टार्डीन वर्ष के दौरान 08 शैक्षणिक भ्रमणों का आयोजन किया गया।

### LFkuh; Hke.k %

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा प्रधान श्रम संघों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं श्रम विभाग के कार्यालयों में आयोजित स्थानीय भ्रमणों ने उनके क्रियाकलापों को समझने तथा व्यावहारिक महत्व वाले विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करने में मदद किया। वर्ष के दौरान प्रशिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए कुल 14 स्थानीय भ्रमण आयोजित किए गए थे।

## **i f"k{kdk ds fy, i p"p; k l i kBÎ Øe %**

इकाई स्तर की कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले विषयों के बारे में इकाई स्तर की कक्षाएँ आयोजित करने में लगे प्रशिक्षकों को अद्यतन ज्ञान प्रदान करने तथा शिक्षण प्रणाली की अद्यतन प्रवृत्तियों के संदर्भ में श्रमिकों को प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने में उनकी निपुणता बढ़ाने की भी दृष्टि से क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा पुनर्शर्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान 64 प्रशिक्षकों के लिए 04 पुनर्शर्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया।

## **0; fDrRo fodkl dk; Øe %**

श्रम संघ कार्यकर्ताओं के लिए 21 दिवसीय व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम बोर्ड के लोकप्रिय कार्यक्रमों में से एक है जिसकी श्रम संघों द्वारा सराहना की गई। नेतृत्व, संप्रेषण तथा समझौता में प्रवीणता हासिल करने की दृष्टि से श्रमिक संघ अपने सक्रिय श्रमिकों को इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु नामित करते हैं। वर्ष के दौरान 1015 प्रतिभागियों के लिए 37 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया।

## **I a Ør "k{kcd dk; Øe %**

श्रमिक संघों एवं प्रबंधनों के प्रतिनिधियों को एक आम मंच पर लाने की दृष्टि से बोर्ड द्वारा प्रबंधन में भागीदारी, उत्पादकता, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, कार्य-संस्कृति, द्विदलीय समितियों में सहभागिता पर चर्चा करने हेतु एक / दो / तीन दिवसीय अल्पावधि के संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

संगठनों से प्राप्त फीडबैक से पता चला कि इन कार्यक्रमों ने प्रबंधकों एवं श्रमिक संघों को कार्यस्थल पर आपसी समझबूझ, सामूहिकता की भावना एक सामूहिक गतिशीलता बढ़ाने में सहायता प्रदान की है। इन कार्यक्रमों के लिए माँग निरंतर बढ़ती जा रही है।

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान प्रबंधनों तथा श्रमिक संघों के 21851 प्रतिनिधियों के लिए 874 संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम चलाए गए।

## **vko"; drk ij vk/kkfj r i fj I dk n %**

श्रमिक संघ के पदाधिकारियों तथा अन्य श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर गहन और अद्यतन ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीयस्तर पर 01, 02 एवं 05 दिवसीय विषयाधारित अथवा आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान 7248 श्रमिकों ने इस प्रकार के 289 कार्यक्रमों में भाग लिया।

## **Lo; dks k fuelk ds fy, dk; Øe %**

बोर्ड, नाम मात्र शुल्क लेकर क्षेत्रीय स्तर पर 1/2/3 दिवसीय स्वयंकोष निर्माण के कार्यक्रम आयोजित करता आ रहा है।

रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान 6703 श्रमिकों के लिए 354 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

## **Jfedk vkj muds thoul kffk; k ds fy, thou dh xqkorrk dk; Øe %**

9 वीं पंचवर्षीय योजना से बोर्ड द्वारा श्रमिकों और उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर दो / चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके व्यवहारों में परिवर्तन लाने, प्रेरणा विकसित करने, व्यक्तित्व का निर्माण करने, पारिवारिक स्तर ऊँचा उठाने, पड़ोसियों से अच्छे आपसी संबंध बनाए रखने, पर्यावरण, स्वच्छता के प्रति जागरूकता विकसित करने, टीम कार्य, मानवीय संबंधों, उत्पादकता बोध, कार्य के प्रति लगाव, अनुशासन, आपसी विश्वास, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आदि की भावनाओं को विकसित करने की दृष्टि से आरंभ किया गया। आरंभ से ही यह कार्यक्रम लोकप्रिय बन गया है।

वर्ष 2014–2015 के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित इस तरह के 263 कार्यक्रमों में 9887 श्रमिकों के जीवनसाथियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। संगठित क्षेत्र के लिए आयोजित 263 कार्यक्रमों में 9887 श्रमिकों एवं जीवनसाथियों को प्रशिक्षित किया गया जबकि असंगठित क्षेत्र के लिए आयोजित 206 कार्यक्रमों में 7871 श्रमिकों के जीवनसाथियों को प्रशिक्षित किया गया।

## I a = Lrj i j i f" kf{kr Jfedka ds fy, fo" ksk i fj I dk%

बोर्ड द्वारा बहुत पहले प्रशिक्षित श्रमिक भारत सरकार की नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीति आरंभ करने के बाद हुए नवीनतम विकासों के बारे में अनभिज्ञ हैं।

औद्योगिक क्षेत्र में बदलते परिदृश्य की दृष्टि में इकाई स्तर की कक्षाओं में बहुत पहले प्रशिक्षित श्रमिकों को अपनी कार्यात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए श्रम क्षेत्र के नवीनतम विकासों की जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है।

अतः बोर्ड ने इकाई स्तर की कक्षाओं में 1992 से पूर्व प्रशिक्षित हुए श्रमिकों के लिए वर्ष 1997 से संयंत्र स्तर पर एक दिवसीय विशेष परिसंवादों को प्रारंभ किया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इस प्रकार के 173 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिनमें 4813 श्रमिक प्रशिक्षित हुए।

## bdkbz Lrj dh d{k, j%

प्रशिक्षित प्रशिक्षक अपने संबंधित उद्यमों में कार्यरत श्रमिकों के लिए इकाई स्तर की कक्षाएँ आयोजित करते हैं। बोर्ड श्रमिक संघवाद, श्रम अर्थशास्त्र, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम कल्याण इ. विषयों पर एक माह की इकाई स्तर की कक्षाओं को आयोजित करना जारी रखा है। ये कक्षाएं वर्ष 1991–92 में आरंभ की गई हैं। बोर्ड द्वारा रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सप्ताहांत इकाई स्तर की कक्षाओं को भी जारी रखा गया है। वर्ष के दौरान इकाई स्तर की कक्षाओं के 86 सत्रों में 2306 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया।

## "k{kf.kd Hke.k v{kj LFkuh; Hke.k %

संबंधित प्रबंधनों के सहयोग से इकाई स्तर की कक्षाओं के प्रतिभागियों के लिए कक्षा में पढ़ाने के अलावा शैक्षणिक भ्रमण तथा स्थानीय भ्रमण भी आयोजित किए जाते हैं। वर्ष के दौरान इकाई स्तर की कक्षाओं में 07 अध्ययन दौरे आयोजित किए गए। नियोक्ताओं ने उनके संगठन के नियमानुसार श्रमिकों को यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता दिया। वर्ष के दौरान श्रमिक प्रशिक्षकों ने 21 स्थानीय भ्रमण कर लिया था।

## i ciku e Jfedka dh Hkkxhinkjh fo'k; i j dk; Øe %

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने "प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी" विषय की संकल्पना को प्रसारित करने के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को एक उपयुक्त माध्यम मान लिया है और तदनुसार श्रम मंत्रालय ने वर्ष 2014–2015 के दौरान बोर्ड को संयंत्र स्तर पर 10 कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी थी।

बोर्ड ने ऐसी संस्थाओं की पहचान करके, जहाँ प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी योजना प्रचलन में है, वहाँ पर इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इस प्रकार श्रमिक एवं प्रबंधन के 292 प्रतिनिधियों को बोर्ड ने संयंत्र स्तर पर प्रशिक्षित किया है।

## vI kfBr {ks= e Jfedka dk i f" k{k.k %

असंगठित क्षेत्र एवं लघु उद्योग क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक साधारणतया अनेक श्रम कानूनों के अंतर्गत उपलब्ध उनके अधिकारों तथा हक्कों के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं और उनका शोषण होता है। चूंकि ये श्रमिक छोटी-छोटी औद्योगिक इकाइयों में पाये जाते हैं, इसलिए उनके संगठन यदि कार्यरत हों तो भी सामूहिक समझौता करने के लिए कमज़ोर होते हैं। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड इन श्रमिकों को कार्यक्षेत्र में उनकी समस्याओं, संरक्षित श्रम कानूनों आदि के प्रति उनमें जागरूकता विकसित करने एवं इनके समाधान ढंडने में उन्हें सन्नद्ध करने की दृष्टि से वर्ष 1979 से चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है। परंतु बोर्ड की भूमिका मुख्यतया शैक्षणिक व प्रेरणात्मक है।

शिविर के प्रतिभागी हथकरघा, बिजलीकरघा, खादी एवं ग्रामोद्योग, लघु उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, हस्तकला उद्योग, रेशम उद्योग, नारियल की जटा, बीड़ी उद्योग, काँच उद्योग, पीतल उद्योग तथा स्लेट उद्योग आदि से संबंध रखते हैं। बोर्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय कार्यक्रमों के बदले दो दिवसीय कार्यक्रमों का भी आयोजन करता आ रहा है, ताकि अधिकाधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा सकें।

रिपोर्टार्धीन वर्ष के दौरान श्रमिकों के लिए बोर्ड ने दो / चार दिवसीय अवधि के 644 कार्यक्रम आयोजित किए जिनमें 25069 श्रमिकों ने भाग लिए। लक्ष्य समूह की कार्यात्मक आवश्यकता को पहचानने के बाद ये कार्यक्रम क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय निदेशालयों एवं अर्ध शहरी स्थानों पर संचालित किए गए थे।

इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार विवरण सारणी—V में दिया गया है।

#### **ncly oxl ds Jfedka ds fy, dk; Øe %**

बोर्ड, समाज के दुर्बल वर्ग के श्रमिकों जैसे—सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों, अनियत श्रमिकों, नगर विषयक एवं सफाई श्रमिकों, निर्माणकार्य श्रमिकों, घरेलू नौकरों, विकलांग श्रमिकों, रिक्षा चालकों और अन्य प्रकार के श्रमिकों को उनके अधिकार और दायित्व, संगठन का महत्व, फुजूलखर्च से बचाव, पारिवारिक बजट, कल्याणकारी कानून, छोटे परिवार की अवधारणा अपनाने, सामाजिक बुराइयों का विरोध करने आदि के साथ उन्नति के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति उन्हें जागरूक करने की दृष्टि से चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम का आयोजन करता है।

वर्ष 2014—2015 के दौरान बोर्ड ने 5498 श्रमिकों के लिए 142 चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रत्येक कार्यक्रम के पहले शिक्षा अधिकारियों द्वारा लक्ष्य समूह की कार्यात्मक आवश्यकताओं का सामान्य सर्वेक्षण तथा निर्धारण किया गया है। शिक्षण को अधिकाधिक रोचक व सार्थक बनाने हेतु अनौपचारिक एवं विस्तार पद्धति का प्रयोग किया गया।

इन शिविरों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं. (1)	श्रेणी (2)	कार्यक्रमों की संख्या (3)	पुरुष				महिला				कुल योग (12)
			अ.जा. (4)	अ.ज. जा. (5)	अन्य (6)	कुल (7)	अ.जा. (8)	अ.ज. जा. (9)	अन्य (10)	कुल (11)	
1	महिला श्रमिक	99	..	..	..	..	1155	443	2204	3802	3802
2	बाल श्रमिक	3	7	..	54	61	24	..	35	59	120
3	युवा श्रमिक	10	34	7	27	68	132	86	109	327	395
4	विकलांग श्रमिक	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	नगर विषयक एवं सफाई श्रमिक	5	..	..	1	1	96	2	94	192	193
6	निर्माण कार्य श्रमिक	2	..	..	..	..	45	7	22	74	74
7	सिर पर बोझ ढोने वाले श्रमिक	7	60	..	..	60	87	..	127	214	274
8	रिक्षा चालक	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
9	पत्थर खदान श्रमिक	4	11	..	..	11	76	17	56	149	160
10	अन्य	12	..	..	..	..	168	36	276	480	480
<b>dky ..</b>		<b>142</b>	<b>112</b>	<b>7</b>	<b>82</b>	<b>201</b>	<b>1783</b>	<b>591</b>	<b>2923</b>	<b>5297</b>	<b>5498</b>

#### **Je dY; k.k ,oa fodkl dk; Øe %**

बोर्ड, वर्ष 2003—04 से ग्रामीण/असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में उनके सामाजिक—आर्थिक विकास हेतु भारत सरकार की विभिन्न कल्याण योजनाओं के संदर्भ में श्रमिकों में जागरूकता लाने हेतु इन कार्यक्रमों का आयोजन करता आ रहा है।

वर्ष 2014–2015 के दौरान बोर्ड ने ग्रामीण तथा असंगठित क्षेत्र के 368 श्रमिकों के लिए 14285 श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया।

#### **fo"ks k dk; Dde %**

असंगठित श्रमिकों, महिला श्रमिकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिकों एवं बाल श्रमिकों के अभिभावकों/बाल श्रमिकों के लिए भी दो दिवसीय विशेष परिसंवादों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2014–2015 के दौरान बोर्ड ने 5096 परिसंवादों का आयोजन किया जिनमें 192361 श्रमिकों ने भाग लिया।

#### **i RFkj [knku Jfedka ds fy, dk; Dde %**

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 में बोर्ड को निर्देशित करते हुए निर्णय दिया कि बोर्ड को फरीदाबाद जिले में पत्थर खदान तथा पत्थर पीसने का काम करने वाले श्रमिकों को उनके अधिकार एवं हक के प्रति जागरूक करने के लिए समय—समय पर शिविर आयोजित करना है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा—निर्देशानुसार बोर्ड वर्ष 1984 से फरीदाबाद जिले में इन श्रमिकों के लिए दो दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन करता आ रहा है। ये शिविर खदानों में काम कर रहे श्रमिक संघों के सहयोग से श्रमिकों के अनुकूल स्थानों/कार्यस्थलों पर आयोजित किये जाते हैं।

इन शिविरों में बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, ठेका मजदूर (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, समान वेतन अधिनियम, 1976, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, खदान अधिनियम, 1952, फैक्टरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 जैसे विभिन्न कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को दिए गए हक, अधिकार, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी प्रावधानों के बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न करने पर जोर दिया गया।

वर्ष 2013–2014 के दौरान दो दिवसीय अवधि के 06 शिविरों में 239 श्रमिकों ने भाग लिया। विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं. (1)	स्थान (2)	अवधि (3)	प्रतिभागियों की संख्या		कुल (6)
			पुरुष (4)	महिला (5)	
1	धुर्वा का डेरा, फरीदाबाद	16 एवं 17 अगस्त, 2014	8	32	40
2	बाबुलाल का डेरा, फरीदाबाद	24 एवं 25 अगस्त, 2014	11	29	40
3	गदहखोर, फरीदाबाद	28 एवं 29 सितम्बर, 2014	32	8	40
4	बाबुलाल का डेरा, फरीदाबाद	19 एवं 20 दिसम्बर, 2014	4	36	40
5	जसवंत का डेरा, फरीदाबाद	18 एवं 19 फरवरी, 2015	14	26	40
6	महालक्ष्मी का डेरा, फरीदाबाद	23 एवं 24 फरवरी, 2015	11	28	40
		dy - -	80	159	239

## **०; fDrRo fodkl dk; Øe %**

वर्ष 2007–08 के दौरान बोर्ड ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए उनमें सभी प्रकार के कौशल का विकास करने हेतु तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों द्वारा उनके अपने संगठन का विकास करने तथा सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रायोगिक आधार पर दस दिवसीय अवधि के व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम नामक एक नए कार्यक्रम का आरंभ किया।

अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा तथा श्रमिक संघ संगठनों के परामर्श से प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान इस तरह के 02 कार्यक्रमों का आयोजन 60 असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किया गया।

## **i f"kf{kr Jfedka ds fy, i ¶% i f"k{k.k dk; Øe %**

वर्ष 2007–2008 के दौरान बोर्ड ने 05 वर्ष पहले प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए उनके प्राथमिक प्रशिक्षण के बाद ज्ञान स्तर को बढ़ाने तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक करने संबंधी पुनःप्रशिक्षण नामक एक दिवसीय कार्यक्रम का आरंभ किया। रिपोर्टधीन अवधि के दौरान इस तरह के 145 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके 8154 असंगठित श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया।

## **i pk; rh jkt I 1Fkkuka ds fy, fo"ks k dk; Øe %**

पंचायती राज संस्थान ने ग्रामीण संरचना विकास तथा गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों के लिए योजना बनाने तथा विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी चुने हुए पंचायती राज सदस्यों को सौंपी गई है जिसके लिए पंचायती राज सदस्यों में ज्ञान तथा कौशल होना आवश्यक है। पंचायती राज की सफलता के लिए, पंचायती राज के सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने हेतु उनका शिक्षित तथा प्रशिक्षित होना जरूरी है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार पंचायती राज संस्थान के चुने हुए सदस्यों को शिक्षित करने के लिए, बोर्ड ने वर्ष 2007–08 के दौरान दो दिवसीय अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारंभ किया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, बोर्ड ने पंचायती राज संस्थान के चुने हुए 1310 सदस्यों के लिए 37 कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसके अलावा बोर्ड ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए 03 दिवसीय अवधि के 24 कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें 711 पंचायतीराज सदस्यों ने भाग लिया।

## **xkeh.k {ks= e Jfedka dk i f"k{k.k %**

ग्रामीण श्रमिकों को अपनी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को समझने एवं विश्लेषण करने के लिए सन्नद्ध करने तथा उन्हें इन समस्याओं का हल ढूँढ निकालने योग्य बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1977–78 से ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उनके स्व-संगठनों को विकसित एवं सशक्त बनाने में तथा उनके व्यक्तित्व का निर्माण करने में ग्रामीण श्रमिकों को मदद करना बोर्ड का मुख्य उद्देश्य है। फिर भी, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की भूमिका मुख्यतया शैक्षणिक व प्रेरणात्मक है। भूमिहीन श्रमिकों, कृषि श्रमिकों, जनजाति श्रमिकों, सीमांत श्रमिकों, मछुआरों, ग्रामीण कारीगरों, वन श्रमिकों तथा ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बोर्ड ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को आयोजित करता है।

## **xkeh.k tkx: drk f"lfoj %**

दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता शिविर प्रशिक्षार्थियों के लिए प्राथमिक पाठ्यक्रम हैं, जो प्रशिक्षार्थियों को पारिवारिक बजट, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक बुराइयों आदि की जागरूकता देने के अतिरिक्त नये विचारों एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु जानकारी देते हैं। ये शिविर प्रतिभागियों की अभिरुचि के अनुसार विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान केन्द्रित करने एवं वर्तमान सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करने की दृष्टि से आयोजित किए जाते हैं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान आयोजित 829 दो दिवसीय जागरूकता शिविरों में 32264 ग्रामीण श्रमिकों ने भाग लिया। ग्रामीण श्रमिक के लिए दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता शिविर तथा चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित प्रतिभागियों का श्रेणीवार विवरण सारणी-II में दिया गया है।

### **xk<sup>h</sup>.k Jfedk<sup>a</sup> ds fy, l "kDrhdj.k dk; Øe %**

ग्रामीण शिविरों की समिति की सिफारिश के अनुसार बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2003–04 से ग्रामीण श्रमिकों के लिए चार–दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम का आयोजन आरंभ किया है। अनुकूल सम्बन्धों का वातावरण निर्माण करने के लिए आत्मविश्वास, स्व–सहायता, सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना सशक्तीकरण कार्यक्रमों का उददेश्य है।

रिपोर्टाधीन वर्ष 2014–2015 के दौरान आयोजित 115 सशक्तीकरण कार्यक्रमों में 4,519 श्रमिकों ने भाग लिया।

### **xk<sup>h</sup>.k Jfedk<sup>a</sup> ds fy, i ¶% f"k{k.k %**

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तरह ही बोर्ड सदृश्य उददेश्यों सहित वर्ष 2007–08 के दौरान ग्रामीण श्रमिकों के लिए एक दिवसीय अवधि के पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रमों का आरंभ किया है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, इस तरह के 134 कार्यक्रमों का आयोजन 7571 प्रतिभागियों के लिए किया गया।

### **xk<sup>h</sup>.k Lo; d odk<sup>a</sup> ds fy, vfk<sup>h</sup>fol; kl dk; Øe %**

ग्रामीण जागरूकता शिविरों में पढ़ाये जाने वाले विषयों पर ग्रामीण स्वयंसेवकों के ज्ञान को अद्यतन करने और ग्रामीण श्रमिकों को प्रभावशाली रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित कराकर उनकी दक्षता को भी विकसित करने के लिए ग्रामीण जागरूकता शिविरों में लगे ग्रामीण स्वयंसेवकों के लिए क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा एक सप्ताह के अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

### **euj<sup>h</sup>k ds vrxt<sup>r</sup> fo"ks k if"k{k.k dk; Øe**

### **egkRek xk<sup>h</sup> jk'V<sup>h</sup>; xk<sup>h</sup>.k jkst xkj xkj<sup>h</sup>; kst uk %**

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीनरेगा) के लाभार्थियों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा लागू की गई इस योजना का मुख्य उददेश्य ग्रामीण क्षेत्र में जीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है तथा प्रत्येक परिवार के वयस्क जो मैनुअल कार्य कर सकते हैं उन्हें वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिन की रोजगार की गारंटी प्रदान करना है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है:—

(1) **xk<sup>h</sup>.k Lrj ij dk; Øe.**—ग्रामीण स्तर पर 40 प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रु. 10,000 प्रति कार्यक्रम के लिए व्यय किया जाता है।

(2) **[k.M Lrj ij dk; Øe.**—खण्ड स्तर पर 100 प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रु. 81,000 प्रति कार्यक्रम के लिए व्यय किया जाता है।

(3) **ftyk Lrj ij dk; Øe.**—ग्रामीण स्तर पर 20 प्रतिभागियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रु. 55,000 प्रति कार्यक्रम के लिए व्यय किया जाता है।

वर्ष 2014–15 के दौरान, बोर्ड ने मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 22210 श्रमिकों के लिए कुल 437 कार्यक्रमों का आयोजन किया।

क्र. सं. (1)	कार्यक्रम (2)	कार्यक्रमों की संख्या (3)	प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या (4)
1	ग्रामीण स्तर पर	345	13505
2	जिला स्तर पर	4	80
3	खण्ड स्तर पर	88	8625
	<b>dy - -</b>	<b>437</b>	<b>22210</b>

#### eujxk dk; Øeka dk i hkk %

सुग्राही प्रणाली में सुधार करने हेतु विषय—वस्तु, पाठ्यक्रम, विषय सूची, विस्तृत समावेश, भौतिक कार्यप्रणाली का अतिथि के रूप में विभिन्न क्षेत्रों से आए विशेषज्ञों तथा कुछ प्रशिक्षार्थियों का परिचर्चा एवं परस्पर विचार—विमर्श करके मूल्यांकन किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत गाँव/खण्ड/जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों का समग्र प्रभाव रहा है, कि इस योजना में श्रमिक प्रशिक्षार्थी सच में भाग ले रहे हैं। प्रतिभागी अपने गाँव के श्रमिक साथियों से कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान एवं जानकारी बाँटने में बहुत उत्सुक थे। अधिकांश प्रतिभागियों ने अभिव्यक्त किया कि कार्यक्रम में प्राप्त ज्ञान रोजगार पाने के लिए उपयुक्त है तथा यह निश्चय भी किया कि गाँव के विकास के लिए ग्राम सभा में उपस्थित रहेंगे तथा जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए उत्सुक अनेक जॉबकार्ड धारकों को योजना में उल्लिखितनुसार निर्धारित दिनों का कार्य मिला।

---

## I gk; rk vuqku :

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड अपनी सहायता अनुदान योजना के माध्यम से श्रमिक संघों और शैक्षणिक संस्थानों आदि को उन्हें अपने श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

बोर्ड की सहायता अनुदान योजना 1960 में प्रारम्भ हुई और तब से बहुत विकसित हो चुकी है। श्रमिक संघों से प्राप्त सुझावों तथा माँगों पर विचार करते हुए इसे समय समय पर परिवर्तित एवं संशोधित किया गया। सहायता अनुदान के नियमों एवं प्रक्रिया को श्रमिक संघों की आवश्यकताओं के अनुकूल सरल एवं संशोधित कर दिया गया है।

श्रमिक संघ संगठनों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सहायता अनुदान निम्नानुसार चार प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपलब्ध होता है :

1 पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम	3 से 7 दिवसीय
2 पूर्णकालिक गैर आवासीय कार्यक्रम	3 से 7 दिवसीय
3 अंशकालिक गैर आवासीय कार्यक्रम	2 से 4 दिवसीय
4 राज्यस्तर पर पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम	3 से 7 दिवसीय

सहायता अनुदान कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषयों और प्रतिभागियों की संख्या में लचीलापन दिया जाता है। यह सहायता अनुदान योजना ग्रामीण श्रमिकों के लिए भी लागू की गई है।

मार्च, 2015 तक 3134 श्रमिक संघ संगठनों आदि ने बोर्ड से रु. 2,70,38,351.62 सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त करके 6,83,927 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया। प्रदत्त सहायता अनुदान और प्रशिक्षित श्रमिकों संबंधी विस्तृत विवरण सारणी –XIV में दिया गया है।

वर्ष 2014–15 के दौरान 05 श्रमिक संघ संगठनों को रु. 64,440 सहायता अनुदान के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने हेतु दिए गए, जिनमें 3134 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया था। इन कार्यक्रमों में श्रमिक संघवाद, उत्पादकता, श्रमिक संघ एवं प्रबंधन के बीच संबंध, वेतन, बोनस, ग्रामीण श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजदूरी, औद्योगिक सुरक्षा और स्वच्छता, श्रम कानून, जनसंख्या और परिवार कल्याण इत्यादि विषय पढ़ाए गए।

बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों / शिक्षा अधिकारियों ने सहायता अनुदान कार्यक्रमों का निरीक्षण किया तथा अनुदानग्राहियों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किए।

वर्ष 2013–2014 एवं 2014–2015 के दौरान श्रम संगठनों को दी गई सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र. सं. (1)	संगठन (2)	श्रमिक संघों / संस्थानों की संख्या जिन्हें अनुदान दिया गया		प्रदत्त अनुदान राशि (रुपयों में)	
		2013-14 (3)	2014-15 (4)	2013-14 (5)	2014-15 (6)
1	भारतीय मजदूर संघ (बी. एम. एस.)	6	01	1,16,470	15,930
2	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कॉर्प्रेस (इंटक)	8	..	1,11,105	..
3	ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कॉर्प्रेस (एटक)	1	..	15,930	..
4	हिन्द मजदूर सभा (एच. एम. एस.)	..	..	..	..
5	सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन	..	..	..	..
6	इन्डिपेंडेंट ट्रेड यूनियन्स	12	01	1,69,700	10,530
7	सोसाइटीज पंजीकृत अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य निकाय	13	03	1,80,756	37,980
8	अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी परिसंघ	..	..	..	..
		<b>40</b>	<b>05</b>	<b>5,93,961</b>	<b>64,440</b>

सोसाइटीज पंजीकृत अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य निकाय (अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तक)

क्र. सं. (1)	संघ/अन्य संस्थान का नाम (2)
1	अभिनव बहुदेशीय कला मंच, गडचिरोली (महाराष्ट्र)
2	तानापल्ली मिलीता जुबलक संघ, कोरधा (उड़ीसा)
3	नवनीत फाउण्डेशन, रायबरेली (उ.प्र.)

## i dk"ku , oa "k{kd | kexh %

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड एक शैक्षिक संस्थान होने के नाते संगठित, असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए सरल एवं सुबोधगम्य पाठ्यपुस्तिकाएं प्रकाशित करता है। इसी प्रकार कक्षा में प्रतिभागियों की रुचि को बनाए रखने तथा शिक्षण को और अधिक रोचक एवं आशयपूर्ण बनाने के लिये सचित्र पुस्तिकाएं, पोस्टर्स, सी.डी., फ़िल्म्स आदि दृश्य-श्रव्य साधन भी प्रकाशित किये जाते हैं।

शैक्षिक सामग्री एवं दृश्य-श्रव्य साधनों को मुद्रित करने से पहले श्रमिकों, श्रमिक संघों एवं प्रबंधनों की आवश्यकताओं का निर्धारण करने के बाद समय-समय पर आयोजित कार्यशालाओं में बोर्ड के अधिकारियों से उसकी चर्चा की जाती है। ये पुस्तिकाएं रु. 5/- प्रती पुस्तिका की किफायती दर पर बेची जाती है। तथापि, ग्रामीण / असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये रु. 1/- प्रति पुस्तिका के दर से सचित्र पुस्तिकाएं बेची जाती हैं। मार्च, 2015 की समाप्ति तक अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में कोई भी शीर्षक प्रकाशित नहीं किया गया।

## Jfed f"k{k i f=dk %

बोर्ड द्वारा “श्रमिक शिक्षा” नामक तिमाही पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें श्रम संघवाद, औद्योगिक संबंध, श्रम अर्थशास्त्र, शिक्षा के उपकरण एवं तकनीक, उत्पादकता, भागीदारी प्रबंधन आदि विषयों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में उच्च कोटी के लेख होते हैं। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान श्रमिक शिक्षा पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया गया।

## I h-ch-MCY; woz i dk"ku %

बोर्ड की राजभाषा संबंधी विभिन्न गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करने की दृष्टि से बोर्ड सीबीडब्ल्यूई राजभाषा विशेषांक हिन्दी में प्रकाशित करता है, जिसका विमोचन 16 सितम्बर, 2014 को नई दिल्ली में किया गया। इसी प्रकार बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त लेख, कविताओं आदि का समेकन करते हुए मुख्यालय, नागपुर द्वारा 26 जनवरी 2015 को “श्रम किरण” पत्रिका का प्रकाशन किया गया।

---

vU; xfrfot/k; k; %

### depkjh I "kDrhdj.k

बोर्ड ने वर्ष के दौरान अधिकारियों के विकास एवं सशक्तीकरण विषय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए बहुत जोर दिया है, जो उनके ज्ञान एवं कार्यकुशलता और कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हुए हैं। वर्ष 2014–2015 के दौरान बोर्ड ने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों एवं शिक्षा अधिकारियों के लिए कौशल विकास की पहल हेतु निम्नलिखित 06 अन्तर प्रभावी प्रवेश एवं अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया है।

क्र. सं.	कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	06	कौशल विकास की पहल हेतु अन्तरप्रभावी प्रवेश एवं अभिविन्यास कार्यक्रम	क्षेत्रीय निदेशकों एवं शिक्षा अधिकारियों हेतु

ykd f"kdir; r %

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के राष्ट्रीय मुख्यालय में दिनांक 28-09-1993 को एक अलग सतर्कता सेल स्थापित किया गया है। सतर्कता अनुभाग को मूलतः विभागीय जाँच संबंधित कार्य सौंपा गया है। अपर निदेशक के अनुबीक्षण में सहायक निदेशक (सतर्कता) अनुभाग का कार्य देख रहे हैं। अपर निदेशक जो प्रमुख सतर्कता अधिकारी हैं, शिक्षा अधिकारी (शिक्षा) सहायक निदेशक एवं एक उच्च श्रेणी लिपिक अनुभाग का कार्य देख रहे हैं। उप निदेशक (मुख्या.) अपने नेमी कार्यों के अतिरिक्त अंशकालिक प्रमुख सतर्कता अधिकारी का कार्य देखते हैं।

वर्ष 2014–2015 के दौरान सतर्कता अनुभाग न्यायालय में चल रहे पेंशन किराया, पदोन्नति एवं एमएसीपी आदि से संबंधित बोर्ड के मामले देख रहा है। रिपोर्टधीन वर्ष के दौरान उनमें से 28 मामलों का निपटारा किया गया तथा 10 नए मामले दाखिल किये गए हैं तथा चालू वर्ष की समाप्ति तक अर्थात् दिनांक 31/03/2015 तक 44 मामले अभियोजन के अधीन हैं। रिपोर्टधीन वर्ष 2014-15 के दौरान अर्थात् 31 मार्च, 2014 तक मात्र 08 विभागीय जाँच प्रक्रिया अधीन है।

depkjh dY; k.k %

वर्ष 2014–2015 के दौरान बोर्ड ने अपने पदाधिकारियों को विभिन्न अग्रिम प्रदान किया :

संगणक एवं वाहन अग्रिम— शून्य है।

### depkjh dh fLFkfr

बोर्ड में दिनांक 31-03-2015 को वर्ग क, ख, ग एवं एम. टी. एस. कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या निम्नानुसार थी :

Ø- I a ½	dk; kly; dk uke ½½	oxl ^d^ ½½	oxl ^[k^ ½½	oxl ^x^ ½½	, eVh, I ½½	dy ½½
1	मुख्यालय, नागपुर	05	11	37	10	63
2	भा.श्र.शि.सं., मुम्बई	01	05	08	07	21
3	आँचलिक निदेशालय (6)	06	05	24	06	41
4	क्षेत्रीय निदेशालय (50)	0	265	203	121	589
	dy + +	12	286	272	144	714

### I puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005 ds vrxt mi yC/k djkbz xbz tkudkjh %

बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वर्ष 2014–2015 के दौरान 66 आवेदकों को उनके अनुरोध पर संगत जानकारी प्रदान की और इस संदर्भ में रूपये 1274/- प्राप्त हुए।

### jktHkk'kk fgUnh dk dk; klo; u %

रिपोर्टर्धीन वर्ष 2014–2015 के दौरान हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने, अधिकारियों द्वारा हिन्दी में डिक्टेशन देने तथा कार्यालयीन कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने के फलस्वरूप बोर्ड के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहन भत्ता एवं पुरस्कार प्रदान किये गए।

रिपोर्टर्धीन वर्ष 2014–2015 के दौरान बोर्ड के मुख्यालय, नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 03 बैठकें आयोजित की गई तथा मुख्यालय, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुम्बई एवं सभी आँचलिक/क्षेत्रीय निदेशालयों में हिन्दी के प्रगति की समीक्षा की गई।

### jktHkk'kk fgUnh dk; lkyk %

रिपोर्टर्धीन वर्ष 2014–2015 के दौरान निम्नलिखित 02 राजभाषा हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया :

क्र. सं. (1)	कार्यशाला (2)	दिनांक (3)	स्थान (4)	प्रतिभागी (5)
1	97वीं राजभाषा हिन्दी कार्यशाला	25-07-2014	मुख्यालय, नागपुर	21 अधिकारी
2	98वीं राजभाषा हिन्दी कार्यशाला	12-02-2015 एवं 13-02-2015	भा.श्र.शि.सं., मुम्बई	20 कर्मचारी

उपर्युक्त सभी कार्यशालाओं में प्रतिभागियों को दैनंदिन सरकारी कामकाज राजभाषा हिन्दी में करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

## fgUnh fnol @ i [kokMk dk vk; kstu %

मुख्यालय, नागपुर में 15 सितम्बर, 2014 को हिन्दी दिवस तथा 15 से 28 सितम्बर, 2014 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाडे के दौरान, मुख्यालय के सभी कर्मचारियों के लिए टिप्पणी आलेखन, निबंध लेखन, सुलेखन, अंताक्षरी, वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें सभी कर्मचारियों ने उत्सुकता से भाग लेकर पुरस्कार राशि प्राप्त की।

## fofHklu fnol k@ dk vk; kstu %

मुख्यालय, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुम्बई तथा बोर्ड के सभी आँचलिक तथा क्षेत्रीय निदेशालयों ने निम्नलिखित दिवसों का आयोजन किया :

➤ आतंकवाद विरोधी दिवस	21 मई, 2014
➤ स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त, 2014
➤ सद्भावना दिवस	20 अगस्त, 2014
➤ हिन्दी सप्ताह	15 से 28 सितम्बर, 2014
➤ हिन्दी दिवस	15 सितम्बर, 2014
➤ श्रमिक शिक्षा दिवस	16 सितम्बर, 2014
➤ स्वच्छ भारत अभियान	02 अक्टूबर, 2014
➤ सतर्कता जागरूकता सप्ताह	27 अक्टूबर से 01 नवम्बर, 2014
➤ कौमी एकता दिवस	19 से 25 नवम्बर, 2014
➤ गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2015
➤ शहीद दिवस	30 जनवरी, 2015

इस अवसर पर परिसंवाद, संगोष्ठियाँ, विशेष व्याख्यान, फिल्म शो, प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रशिक्षार्थियों एवं कर्मचारी सदस्यों को आवश्यकतानुसार शपथ दिलाई गई।

## निरीक्षण :

वर्ष 2014-2015 के दौरान बोर्ड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे अध्यक्ष, निदेशक, उप निदेशकों एवं आँचलिक निदेशकों ने भी विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों में भेंट दी तथा निरीक्षण भी किया।

24 एवं 25 जुलाई, 2014 को मुख्यालय, नागपुर मे केश्रशिबो के आँचलिक निदेशकों/प्रभारी आँचलिक निदेशकों एवं क्षेत्रीय निदेशकों की समन्वय बैठक आयोजित की गई।

योजनाशीर्ष के अंतर्गत लक्ष्य, उपलब्धि एवं व्यय की समीक्षा करने के लिए माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 22-09-2014, 09-10-2014, 05-11-2014, 12-11-2014 एवं 14-11-2014 को क्रमशः चेन्नै, मुम्बई, नई दिल्ली, भोपाल एवं गुवाहाटी में केश्रशिबो के निदेशक, आँचलिक निदेशकों, क्षेत्रीय निदेशकों एवं शिक्षा अधिकारियों के साथ 05 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई।

श्री. दिनेश निझवान, निदेशक, डीजीईटी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के प्रतिनिधित्व एवं परामर्श में माननीय अध्यक्ष एवं निदेशक, केश्रशिबो के मार्गदर्शन में बोर्ड के उद्देश्यों के अनुसार कौशल विकास के लिए प्रभावी एवं अभिविन्यास कार्यक्रम से संबंधी दिनांक 26-11-2014, 27-11-2014, 29-11-2014, 01-12-2014, 02-12-2014 एवं 11-12-2014

को क्रमशः नई दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नै एवं भोपाल में 06 बैठकें आयोजित की गईं। कौशल विकास की पहल के लिए बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों एवं शिक्षा अधिकारियों हेतु उपर्युक्त अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गये थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निरीक्षण के लिए पद आधारित निरीक्षण प्रोफार्मा तैयार किया गया था। इस निरीक्षण में क्षेत्रीय निदेशक कार्यक्रम की समाप्ति की तिथि से प्रति शिक्षा अधिकारी प्रतिमाह प्रति कार्यक्रम की दर से कार्यक्रमों के पद आधारित निरीक्षण करेंगे।

क्षेत्रीय निदेशालयों के दैनंदिन कार्य से संबंधित अपने अमूल्य सूझावों/निरीक्षणों को आँचलिक निदेशक प्रस्तुत करेंगे। इन सुझावों में क्षेत्रीय निदेशालयों के अधिकांश मामले सम्मिलित हैं। इनमें सामान्य प्रशासन/व्यक्तिगत मामले, विशेष मुद्दों पर अनुपालन, सेवा पुस्तिका का रखरखाव, विभिन्न वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन, क्षेत्रीय सलाहकार समिति से संबंधित डाटा, क्षेत्रीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन तथा आवधिक बैठकें, कर्मचारी शिकायत, लेखा, कैश बुक इ. का रखरखाव, रिपोर्ट्स तैयार करना, सांख्यिकीय डाटा का रखरखाव, सहायता अनुदान से संबंधित निरीक्षण एवं रिपोर्ट, लक्ष्य एवं उपलब्धि, वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट तथा अन्य विवरणों को मुख्यालय तथा आँचलिक निदेशालयों को प्रस्तुत करना, अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम वाउचर्स का रखरखाव एवं प्रस्तुतीकरण, दृश्य-श्रव्य सहायता एवं प्रशिक्षण हॉल का प्रभावी उपयोग एवं रखरखाव, कार्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले विषय तथा उनमें परिवर्तन, क्षेत्रीय निदेशालयों के मामलों में समग्र अनुशासन बनाए रखना सम्मिलित है।

इसी प्रकार दिनांक 01-04-2014 से 31-03-2015 तक की अवधि के दौरान केशशिबो की निदेशक श्रीमती नम्रता तिवारी ने निम्नलिखित दौरा किया है :

1. **भा.श.शि.सं., मुंबई** —भा.श.शि.सं., मुंबई में उत्तर पूर्व रेल कर्मचारियों के लिए “विश्व पर्यावरण दिवस” पर श्रमिक संघ आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विषय पर दिनांक 05-06-2014 को भा.श.शि.सं., मुंबई 05 दिवसीय कार्यक्रम।
  2. **क्षेत्रीय निदेशालय अहमदाबाद** —महिला मंडल, पाटन की सहायता से दिनांक 20-08-2014 को पाटन में क्षेत्रीय निदेशालय, अहमदाबाद द्वारा आयोजित महिला बीड़ी श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष श्रम कल्याण कार्यक्रम।
  3. **क्षेत्रीय निदेशालय, वडोदरा** —क्षेत्रीय निदेशालय, वडोदरा में आंगनवाड़ी श्रमिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।
  4. **क्षेत्रीय निदेशालय, ग्वालियर** —क्षेत्रीय निदेशालय, केशशिबो, ग्वालियर के कार्यालय में दिनांक 15-07-2014 को ग्रामीण स्वयंसेवकों, गैर-सरकारी संगठनों, शेयरधारकों के साथ समन्वय बैठक तथा दिनांक 16-07-2014 को क्षेत्रीय सलाहकार समिति की बैठक।
-

## बोर्ड के चुनिंदा कार्यक्रमों की विशेषताएँ

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए। बोर्ड ने तदनुसार रिपोर्टर्धीन वर्ष के दौरान कुछ मील के पत्थर हासिल किए हैं, जो कि, निम्न प्रकार है :

**केशशिवो ने 16-09-2014 को श्रमिक शिक्षा दिवस समारोह मनाया**

**नई दिल्ली :**

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का 57वाँ स्थापना दिवस 16 सितम्बर, 2014 को स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में मनाया गया। श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

माननीय मंत्री जी ने कार्यक्रम में न केवल अपने उत्तेजक विचारों और मूल्य को बताया बल्कि नयी ‘श्रमिक शिक्षा’ को भी बताया। साथही उन्होंने अपने दूरदर्शी संबोधन में केशशिवो को पूरा हार्दिक सहयोग करने का आश्वासन दिया एवं माननीय अध्यक्ष श्री के. लक्ष्मारेड्डी, केशशिवो द्वारा प्रस्तुत किए गए केशशिवो के विस्तार संबंधी प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया। श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, केशशिवो ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया। केशशिवो की विभिन्न गतिविधियों पर फिल्म भी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशालय जबलपुर, फरीदाबाद, राऊरकेला एवं विशाखापट्टनम के सात प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपनी सफल कहानियों द्वारा गणमान्य अतिथियों मीडिया और अन्य प्रख्यात ट्रेड यूनियन नेताओं का ध्यान आकर्षित किया।

केशशिवो के कार्यक्रमों के जरिए प्रारम्भ की गई इन प्रतिभागियों की सफलता और आर्थिक विकास के लिए अन्य गणमान्यों ने सराहना की। इसके अलावा केशशिवो की ऑनलाईन मा.प्र.रि. की भी सराहना की।

श्री विशुद्धेव साई, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि श्रमिकों का सशक्तीकरण केवल श्रमिक शिक्षा के माध्यम से ही हासिल हो सकता है। इसके अलावा यह भी कहा कि श्रमिक शिक्षा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करें। राजभाषा से संबंधित विशेषांक का भी उनके द्वारा विमोचन किया गया। श्रीमती गौरी कुमार, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने मंच पर प्रस्तुत की गई सफल कहानियों के लिए अपने संबोधन में श्रमिकों के बदलते जीवन में उनकी सफलता के लिए क्षेत्र अधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन में परिवर्तन लाती है। देश में अधिकांश श्रमिकों तक शिक्षा पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा उन्होंने केशशिवो को सुझाव दिया कि अपने पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जन धन योजना, कौशल विकास को शामिल करने की पहल करें। उन्होंने प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जो अधिकांश श्रमिकों को प्रशिक्षित कर सकते हैं।

श्री के. लक्ष्मा रेड्डी, माननीय अध्यक्ष, केशशिवो ने अपने अध्यक्षीय भाषण में माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त किया एवं उन्हें आश्वासन दिया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित कौशल विकास, जन-धन योजना, डिजिटल इंडिया और सफाई संबंधी योजनाओं की तरफ केशशिवो द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अपने विश्लेषण में केशशिवो के पदों के समाप्त होने के कारण क्षेत्र अधिकारियों को हो रही समस्याओं, संसाधनों की कमी, बुनियादी ढाँचे में गिरावट आदि पर प्रकाश डाला। इसके अलावा उन्होंने माननीय मंत्री जी से प्रत्येक अंचल में चार राष्ट्रीय स्तर के श्रमिक शिक्षा संस्थान खोलने की अनुमति मांगी।

श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, केशशिवो ने अपने परिचयात्मक संबोधन में 50 क्षेत्रीय निदेशालयों, 06 ऑचलिक निदेशालयों एवं 09 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों के माध्यम से केशशिवो के कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने संगठन में ई-गर्वनेंस की आवश्यकता पर बल दिया।

लगभग 400 श्रमिकों, श्रमिक संघों के प्रतिनिधि, प्रबंधन के प्रतिनिधि, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि और एनजीओ के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

अंत में श्री. जे. पी. फोगाट, ऑचलिक निदेशक प्रभारी, उत्तर अंचल, दिल्ली ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

### **नागपुर :**

16 सितम्बर, 2014 को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मुख्यालय, नागपुर एवं सभी 50 क्षेत्रीय निदेशालयों में शैक्षणिक परिसंवाद का आयोजन करते हुए बड़े उत्साह और जोश के साथ “श्रमिक शिक्षा दिवस” मनाया गया । मुख्य अतिथि डॉ. आर. जी. मीणा, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्र), नागपुर के करकमलों से दीप प्रज्जवलित कर वन्देमातरम् के साथ कार्यक्रम की शुरुवात हुई । श्री. जे. एस. दवे, उप निदेशक (शिक्षा) ने गणमान्य अतिथियों का स्वागत किया और श्रीमती एल. आर. सोमकुवर, क्षेत्रीय निदेशक, नागपुर ने “श्रमिक शिक्षा दिवस” के महत्व पर सविस्तर महत्वपूर्ण जानकारी दी ।

डॉ. आर. जी. मीणा, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्र), नागपुर ने इस अवसर पर अपने भाषण में श्रमिकों के बीच क्षेत्र में जागरूकता निर्माण करने के लिए सराहनीय कार्य हेतु केश्रशिबो की प्रशंसा की और कहा कि विशेषकर श्रम कानूनों आदि के क्षेत्र में केश्रशिबो द्वारा और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है । साथ ही श्रमिक संघ गतिविधियों में जागरूकता फैलाने के लिए केश्रशिबो के प्रयासों की भी सराहना की ।

श्री. धीमान, निदेशक (कार्मिक), इंडोवर्थ, बुटीबोरी विशेष अतिथि ने राष्ट्र निर्माण में श्रमिक शिक्षा की भूमिका की सराहना की । उन्होंने संगठन में मानव संसाधन विकास में शिक्षा के महत्व पर भी बल दिया । वर्तमान परिदृश्य में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम नवीकरण का सृजन कर रहे हैं, जो श्रमिकों को असाधारण कार्य करने के लिए सशक्त बना दिए हैं । उन्होंने आगे कहा कि सतत सीख एवं जागरूकता के लिए ज्ञान को विकसित करने के लिए केश्रशिबो के प्रयासों का उल्लेखनीय योगदान है ।

इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित श्रमिक संघ कार्यकर्ता श्री. आर. एन. चांदुरकर, प्रभागीय अध्यक्ष, सीआरएमएस, नागपुर ने अपने अनुभवों से अवगत कराया । श्री चांदुरकर, केश्रशिबो को कई वर्षों से जानते हैं तथा किसी संगठन के लिए किसी कार्यबल को किस प्रकार केश्रशिबो श्रमिकों को परिवर्तित करता है इस संबंध में उन्होंने अवगत कराया । विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों को सशक्त बनाने में एवं टीम भावना विकसित करने में श्रमिकों के बीच विश्वास एवं वचनबद्धता बढ़ाने में केश्रशिबो की भूमिका की सराहना की ।

इस अवसर पर वृक्षारोपण भी किया गया । साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से 21 दिवसीय व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

### **हिन्दी दिवस समारोह :**

**नागपुर :** 16 सितम्बर, 2014 को मुख्यालय, नागपुर में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया । श्री. जे. एस. दवे, उप निदेशक (शिक्षा) प्रभारी, केश्रशिबो ने हिन्दी दिवस समारोह में कहा कि “सभी भारतीय भाषाओं में हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो सभी लोगों को जोड़ती है इसलिए हमें इस भाषा के विकास में अपना योगदान देना चाहिए” । श्रीमती एल. आर. सोमकुवर, श्रेत्रीय निदेशक, केश्रशिबो, नागपुर ने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय निदेशालय, नागपुर के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील किया कि वे अपने दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज में सरल हिन्दी का प्रयोग करें तथा प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए रिकार्ड का भी लेखा-जोखा रखें ।

### **सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन :**

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय, नागपुर, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई एवं सभी आँचलिक एवं क्षेत्रीय निदेशालयों में 27 अक्टूबर से 01 नवम्बर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । अपने संबंधित कार्यालयों में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शपथ लीं । इसी प्रकार, केश्रशिबो, मुख्यालय, नागपुर, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई एवं पूरे देश में फैले सभी आँचलिक एवं क्षेत्रीय निदेशालयों में 19 से 25 नवम्बर, 2014 तक कौमी एकता सप्ताह मनाया गया ।

### **“स्वच्छ भारत अभियान” का कार्यान्वयन :**

भारत सरकार के निर्णयानुसार मुख्यालय, नागपुर के साथ-साथ सभी आँचलिक एवं क्षेत्रीय निदेशालयों में 02 अक्टूबर, 2014 को “स्वच्छ भारत अभियान” बड़े उत्साह के साथ कार्यान्वित किया गया। मुख्यालय एवं क्षेत्रीय निदेशालय, नागपुर के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने “स्वच्छ भारत” हेतु स्वच्छ अभियान में अपना योगदान देने के लिए शपथ लीं।

### **रिक्षा चालकों के लिए संचेतना कार्यक्रम :**

**बैरकपुर :** राजरहट ब्लॉक, नार्थ 24 परगना जिला के अंतर्गत तेघोरियाँ में दिनांक 26 एवं 27 मई, 2014 को क्षेत्रीय निदेशालय, बैरकपुर के अधिकार क्षेत्र में जिला 24 परगना में रिक्षा चालकों के लिए 02 दिवसीय संचेतना कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपर्युक्त ब्लॉक में 02 विभिन्न स्थानों पर एक साथ 40 रिक्षा चालकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 रिक्षा चालक प्रतिभागी के रूप में सम्मिलित हुए।

दिनांक 27-05-2014 को 80 रिक्षा चालकों के लिए एक संयुक्त समारोह आयोजित किया गया। श्री पुरनेनदु बसु, माननीय प्रभारी मंत्री, श्रम विभाग एवं ईएसआई पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने समापन भाषण में रिक्षा चालकों के विशेषाधिकार के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक विकास के लिए केशशिबो के संचेतना कार्यक्रमों के महत्व की आवश्यकता पर बल दिया। लक्ष्य समूहों के हित के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए श्रमिक शिक्षा प्रक्रिया एक बेहतर माध्यम है। उन्होंने केशशिबो के प्रयासों की सराहना की और समाज के विशेष वर्गों को शिक्षित करने के मामले में केशशिबो को धन्यवाद दिया। रिक्षा चालकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना में उनके लाभ के लिए पहचान पत्र एवं पंजीकरण हेतु पंचायत एवं नगरपालिका की सहायता के लिए बुलाया गया। बोर्ड द्वारा हिन्दी एवं बंगाली में तैयार की गई सचित्र अध्ययन सामग्री की उन्होंने प्रशंसा की तथा प्रशिक्षार्थियों के बीच उक्त सामग्री वितरित की गई।

श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, केशशिबो ने अपना विचार प्रकट किया कि रिक्षा चालकों को अपनी ताकत को महसूस करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्रीकृष्ण की भूमिका को सारथी के रूप में रिक्षा चालक के समरूप बताया। साधारण रिक्षा चालकों के हृदय का उद्धरण वेद से दिया गया है, जिससे प्रतिभागी बहुत ही अभिभूत हुए।

श्री. जे. एन. रॉय, जिला यातायात अधीक्षक भी कार्यक्रम में सम्मिलित थे। कार्यक्रम में उपस्थित उप पुलिस आयुक्त (यातायात) ने पुलिस कर्मचारियों से रिक्षा चालकों के प्रति मित्रवत व्यवहार एवं सकारात्मक सोच अपनाने एवं अन्य अर्थ दण्ड से वंचित रखने पर बल दिया। दुर्घटना एवं अनहोनी घटना के कारणों पर चर्चा की गई और गरीब रिक्षा चालकों को बीमा कवरेज प्राप्त कराने में सरकार से किस प्रकार पुलिस मदद कर सकती है।

रिक्षा चालक एसोसिएशन फेडरेशन, नई दिल्ली की प्रतिनिधि श्रीमती अर्चना चौधरी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित हुए रिक्षा चालकों से कहा कि अपने मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारात्मक मानकों में परिवर्तन लाएं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के रिक्षा चालकों ने फीडबैक दिया है कि वे अपनी जीवन की गुणवत्ता को विकसित करने के लिए, शराब न पीने, जुआ आदि न खेलने के लिए प्रेरित हुए हैं। पंचायत और नगरपालिका में रिक्षा चालकों के लिए पहचानपत्र जारी कराने, सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए नाम पंजीकरण कराने के लिए भी प्रेरित हुए हैं।

### **निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम :**

**विशाखापट्टणम :** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013-14 से निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तदनुसार, दिनांक 15-12-2014 एवं 16-12-2014 को कॉम्यूनिटी हॉल, टागरापुवालसा भिमिली मंडल, विशाखपट्टणम जिला में निर्माण श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। वे अनभिज्ञ वर्स्टुओं के बारें में बहुत जानकारी प्राप्त की। जनधन योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित हुए एवं संघ के गठन की आवश्यकता एवं महत्व को समझे। बहुत से प्रतिभागी अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक मजदूरी प्राप्त करने हेतु अपने कौशल को बढ़ाने के लिए आगे आए। उन्होंने अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने का निश्चय किया।

**हैदराबाद :** आयटक कार्यालय, रेलवे स्टेशन के पास, जनगाँव (ग्राम) एवं (मण्डल) वारंगल जिला में दिनांक 03 एवं 04 मार्च, 2015 को निर्माण श्रमिकों के लिए आयोजित 02 दिवसीय कार्यक्रम में श्री चि. राजा रेड्डी, भूतपूर्व विधायक, जनगाँव, वारंगल जिला, तेलंगाना सम्मिलित हुए। 33 प्रतिभागियों ने विभिन्न अवधारणाओं एवं श्रम कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रतिभागियों ने यह निश्चय किया कि वे बुरी आदतों को छोड़ देंगे और नाजायज खर्च नहीं करेंगे। 10 प्रतिभागियों ने आइ.डी. कार्ड प्राप्त कराने के लिए अपना नाम पंजीकरण कराया। वे श्रम कल्याण निधि का लाभ उठा रहे हैं। कार्यक्रम का प्रभाव निम्न प्रकार है : (1) प्रतिभागियों ने यह पाया कि कार्यक्रम उपयोगितेन्मुख है और उनके दैनंदिन जीवन में उपयोगी है। (2) कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। यदि कार्यक्रम के अध्यापन को व्यवहार में परिलक्षित किया गया तो व्यक्तित्व में दृष्टिप्रक विकास होगा। (3) अधिकांश प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि उनके लिए यह दुर्लभ था और उनके बीच नए विचारों के सृजन में निश्चित रूप से नेतृत्व करेगा।

**चेन्नै :** अलंगुपम, पॉण्डिचेरी में दिनांक 06-11-2015 एवं 07-11-2015 को निर्माण श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित थे। विधानसभा क्षेत्र कलापटटु, पॉण्डिचेरी के माननीय विधायक श्री पी. एम. एल. कल्याणसुंदरम् ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के अधिकांश प्रतिभागियों ने कहा कि वे समाज की सामाजिक बुराइयों के साथ लड़ेंगे तथा छोटा परिवार मानक अपनाएंगे।

**गोरखपुर :** बामविवा, कैसरगंज, बहराईच में दिनांक 08-09-2014 एवं 09-09-2014 को निर्माण श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अधीन 12 प्रतिभागियों ने पंजीकरण प्राप्त किया तथा सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ उठाया।

**आसनसोल :** बोलपुर मानब जमिन, मिर्जापुर, पो.ओ. रायपुर, बीरभूम में दिनांक 13-08-2014 एवं 14-08-2014 तथा 25-08-2014 एवं 26-08-2014 को असंगठित क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों के लिए 02 संख्यक 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री टी. एस. मजूमदार, सहायक श्रम आयुक्त, बोलपुर एवं श्री एस. सरकार, सहायक श्रम आयुक्त, सूरी कार्यक्रम में उपस्थित थे। उक्त अधिकारियों ने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में प्रतिभागियों के साथ चर्चा की। उन्होंने प्रतिभागियों को हितकारी कार्ड जारी किया तथा हितकारी कार्ड के लिए नए फार्म को भी वितरित किया। दोनों कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने केशशिबो के कार्यक्रमों की सराहना की और अपनी राय प्रकट की कि कार्यक्रम से वे बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। सहायक श्रम आयुक्त ने भी केशशिबो के कार्यक्रमों की सराहना की और आश्वासन दिया कि उनके अधिकार क्षेत्र में आयोजित ऐसे कार्यक्रमों की सफलता में वे पूरा सहयोग देंगे।

### सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम :

**इलाहाबाद :** सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत बोर्ड ने वर्ष 2014-15 में विशेष कार्यक्रम आयोजित करना प्रारंभ किया। तदनुसार सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपनाए गए ग्राम जयपुर, ब्लॉक अराजीलाईन, वाराणसी में दिनांक 17-12-2014 एवं 18-12-2014 को महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। 80 प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। श्री एस. पी. श्रीवास्तव अध्यक्ष, क्षेत्रीय सलाहकार समिति, केशशिबो, इलाहाबाद कार्यक्रम में सम्मिलित थे। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य अतिथ ने कहा कि यह कार्यक्रम श्रमिकों के जीवन के सभी पहलुओं में बहुत ही गुणात्मक एवं उत्पादी होगा इसलिए उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि कार्यक्रम वे अपना पूरा ध्यान दें। सभी प्रतिभागियों ने केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन की शपथ ली।

### बाल श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम :

**चण्डीगढ़ :** एन.सी.एल.पी. स्कूल, आंबेडकर नगर, लुधियाना (पंजाब) में दिनांक 20-11-2014 एवं 21-11-2014 को बाल श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। श्री सिमरजीत सिंह बैन्स, माननीय विधायक, लुधियाना (पंजाब) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने बच्चों को कार्य पर जाने के बजाय पढ़ाई करने के लिए बाल श्रमिकों को प्रेरित करने हेतु केशशिबो के प्रयासों की सराहना की। परिणामस्वरूप आयोजकों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार बच्चे अध्ययन में बहुत ही रुचि ले रहे हैं।

**मुजफ्फपुर :** पी. एस. खेदलपुरा, ब्लॉक बिहटा, जिला पटना में दिनांक 18-03-2015 एवं 19-03-2015 को बाल श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। बच्चों ने शिक्षा के प्रति अनमोल ज्ञान प्राप्त किया और स्कूल में भी जाने लगे। इस कम उम्र में बच्चे वैयक्तिक संर्वांगीण विकास के साथ-साथ भावी साक्षरता के बारे में शिक्षा के महत्व के प्रति शिक्षित किए गए। बच्चे बहुत ही प्रसन्नचित थे और जीवन की विभिन्न दैनंदिन गतिविधियों के प्रति जागरूक होते हुए आनंद उठाये।

#### **बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए विशेष कार्यक्रम :**

**गोरखपुर :** ग्राम जोलहापुर, बिलरियागंज, आजमगढ़ में दिनांक 10-06-2014 एवं 11-06-2014 को बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागी बहुत ही प्रभावित हुए और अपने बच्चों को शिक्षा लाभ का अधिकार प्राप्त कराने के लिए 09 बालकों को विद्यालय में भेजा। बहुत-सी अनभिज्ञ जानकारियों के बारें में उन्हें जानकारी मिली और प्रेरित हुए।

**मुजफ्फरपुर :** पी. एस. खेदलपुरा, ब्लॉक बिहटा, जिला पटना में दिनांक 16-03-2015 एवं 17-03-2015 को बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने अपने बच्चों को काम पर न भेजने के बजाय स्कूल भेजना प्रारंभ कर दिया। बाद में प्रतिभागी बाल श्रमिकों के उन्मूलन के बारे में शिक्षित हुए और स्मार्ट कार्ड का नवीनकरण कराना प्रारंभ कर दिए।

#### **महिला श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम :**

**आसनसोल :** जेमुवा जी.पी. मीटिंग हॉल, ग्राम पोस्ट जेमुवा बर्दवान में दिनांक 05-08-2014 एवं 06-08-2014 को महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्राम पंचायत अधिकारी एवं संबंधित एजेंट की 02 दिवसीय उपस्थिति में असंगठित श्रमिकों के लिए भविष्य निधि की राज्य योजना में 18 महिलाओं ने अपना नामांकन कराया। शेष प्रतिभागी अपना नामांकन नहीं करा सकीं क्योंकि उनके दस्तावेज अधूरे थे। फिर भी उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे यथाशीघ्र अपना नामांकन करा लेंगी।

**चेन्नै :** कोसापयायम, पॉण्डिचेरी में दिनांक 23-03-2015 एवं 24-03-2015 को महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 37 प्रतिभागी सम्मिलित हुईं। श्री ओमशक्तिशिवा, माननीय विधायक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों ने निश्चय किया कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे एवं अपने बच्चों को अच्छी स्थिति में देखेंगे।

**कानपुर :** क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर द्वारा दिनांक 06-06-2014 एवं 07-06-2014 को महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष परिसंवाद आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 37 प्रतिभागी सम्मिलित हुईं। जिनमें उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 20 महिलाओं ने अपना पंजीकरण कराया। वे अपने परिवार के साथ-साथ राष्ट्र के विकास में महिलाओं की अहम भूमिका के बारे में समझ गईं।

**मुजफ्फरपुर :** अपग्रेडेड मिडिल स्कूल, ग्राम लालपुरा, पो.ओ. चक्रमदास में दिनांक 14-07-2014 एवं 15-07-2014 को महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का यह प्रभाव था कि प्रतिभागी स्व-रोजगार एवं स्व-विकास के लिए प्रेरित हुईं और उन्होंने अपने बेहतर जीवन के लिए स्वावलम्बन समूह का गठन करने का निर्णय भी लिया।

**गोवा :** श्री सिद्धविनायक हॉल, पोयराबंध, कुनकोलिन, ब्लॉक सॉलसेटे, जिला दक्षिण गोवा में दिनांक 11-09-2014 एवं 12-09-2014 को महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 39 महिला प्रतिभागी सम्मिलित हुईं। श्रीमती अलका पोतदार, सरपंच, ग्राम पंचायत बाली ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री राजन नायक, माननीय विधायक कुनकोलिन समापन समारोह में उपस्थित थे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि महिला सशक्तीकरण के लिए गृह आधार योजना, ममता योजना एवं लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ उठाएं।

### **असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम :**

**बरेली :** ग्राम छोया चौबारी, ब्लॉक गजरौला, अमरोहा में दिनांक 20-03-2015 को ग्रामीण श्रमिकों के लिए 01 दिवसीय पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 60 प्रतिभागी उपस्थित थे। सुश्री पूनम (भा.पु.से.) एस.एस.पी. अमरोहा ग्रामीण श्रमिकों के लिए आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सुश्री पूनम आई.पी.एस. ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया और कहा कि ग्रामीण श्रमिकों के लिए आवश्यकता पर आधारित यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ऐसे आश्चर्यजनक कार्यक्रम में सम्मिलित होना उनके लिए प्रथम अनुभव है। कार्यक्रम में सुश्री पूनम आई.पी.एस. की भेंटने महिला प्रतिभागियों के बीच सुरक्षा एवं प्रेरणा को उजागर किया है।

**आसनसोल :** हरेकृष्णपुर बिरीसमाबाई समिति मीटिंग हॉल, हरेकृष्णपुर, गदारदिही ग्राम पंचायत, बाकुडा में दिनांक 28-07-2014 को असंगठित क्षेत्र के लिए 01 दिवसीय पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले प्रशिक्षण से प्रोत्साहित एवं आश्वस्त होकर वे को-ऑपरेटिव अथवा योजनों में अपना नाम दर्ज कराए थे। यह पाया गया कि कार्यक्रम के 03 प्रतिभागी बीरी कॉरपोरेशन के कार्य में सक्रिय हो गये थे। उनमें से अधिकांश प्रतिभागियों ने 100 रुपये से 140 रुपये मजदूरी बढ़ाने के लिए जिला प्राधिकारियों को आवेदन प्रस्तुतीकरण में हिस्सा लिया था।

**मोलनदिघी ग्राम पंचायत मीटिंग** हॉल, कुलडिहा, कांक्षा ब्लॉक बर्धमान में दिनांक 12-08-2014 को ग्रामीण श्रमिकों के लिए 01 दिवसीय पुनःप्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह पाया गया कि अधिकांश प्रतिभागी एसएएसपीएफयूडब्लू में अपना पंजीकरण कराए थे जिनमें से कुछ लोग छोटा व्यवसाय करना प्रारंभ कर दिए थे। यह भी रिपोर्ट कर दिया है कि अधिकांश प्रतिभागी एसजीएसवाय समूह का गठन किए थे। अधिकांश प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के बारे में यह कहा कि वे समाज में बढ़ती हुई सामाजिक बुराइयों का सामना करेंगे एवं छोटा परिवार मानक अपनाएंगे।

### **संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम :**

**आसनसोल :** आईएफबी एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पानागढ़, बर्धमान में दिनांक 30-03-2015 एवं 06-03-2015 तथा 07-03-2015 को 01 दिवसीय एवं 02 दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कायजन समिति द्वारा तैयार की गई उत्पादन तंत्र में कायजन तकनीक को कार्यान्वित करवाने के लिए प्रतिभागी बहुत ही प्रेरित हुए थे। जबकि वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए लागत को कम करना ही मुख्य ध्येय था।

**चेन्नै :** मद्रास परमाणु ऊर्जा केन्द्र, कलपाकक्ष में दिनांक 12-08-2014 को 01 दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें 30 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। श्री कोटेश्वरन, केन्द्र निदेशक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा केश्वरियों के प्रयासों की सराहना की।

**कानपुर :** दिनांक 19-07-2014 को आयोजित 01 दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम के समापन सत्र में श्री. आर. बंसल, वरिष्ठ प्रभागीय अभियंता (प्रशि.), इलेक्ट्रिक लोको शेड, उत्तर मध्य रेल, कानपुर मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। संगठन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिभागियों के बीच समानता एवं समन्वय रखने के लिए शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की रेलवे के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रशंसा की गई।

**मुजफ्फरपुर :** मिल्क चिलिंग सेंटर, सुधा डेयरी, खगरिया में दिनांक 23-07-2014 एवं 24-07-2014 को 02 दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने यह प्रशंसा की कि कार्यक्रम कर्मचारियों के साथ-साथ संगठन दोनों के लिए बहुत ही प्रभावी एवं परिवर्तनात्मक है। प्रतिभागियों ने अपना सकारात्मक विचार व्यक्त किया और सुझाव दिया कि इस कार्यक्रम को ग्राहक संतुष्टि के लिए नियमित आधार पर आयोजित करते रहना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पटना में दिनांक 11-08-2014 एवं 12-08-2014 को 02 दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानपरक एवं प्रभावकारी था। प्रतिभागियों ने यह पाया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके स्वयं के विकास के साथ-साथ संगठन के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस कार्यक्रम में उत्पादकता एवं कार्य संस्कृति, प्रेरणा एवं मनोदेशा के बारे में प्रतिभागियों ने ज्ञान हासिल किया उन्होंने यह भी वादा किया कि वे कार्यक्रम में पढ़ाये गए विषयों को अपने दैनंदिन वयक्तिगत एवं कार्यालयीन जीवन में अपनाएंगे।

## **xkēh.k tkx: drk dk; De**

ग्रामीण श्रमिकों के आर्थिक विकास से ही देश का आर्थिक विकास सम्भव है। जीवंत ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था है। इस दृष्टि से, केशशिबो संबंधित क्षेत्रीय निदेशालयों के दूर दराज, पिछड़े क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए दबाव डाल रहा है।

**dkš EcÙkj %** प्रिमियर नगर, मधुकराई ब्लॉक, कोयम्बत्तूर में 28 एवं 29 अगस्त, 2014 को 02 दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 40 प्रतिभागियों को शिक्षित किया गया। श्री के. लक्ष्मा रेड्डी, अध्यक्ष, केशशिबो ने श्री एम. दुरैराज, क्षेत्रीय निदेशक, केशशिबो, कोयम्बत्तूर, श्री के. पलानीचामी, महा सचिव, भा.म.सं., श्री आर. मिनाक्षी कुमार, शिक्षा अधिकारी एवं श्री बी. प्रभाकरन्, शिक्षा अधिकारी के साथ प्रिमियर नगर, मधुकराई ब्लॉक, कोयम्बत्तूर में 28.08.2014 एवं 29.08.2014 को श्रीमती वी. गिरजाशिवकामी, शिक्षा अधिकारी, केशशिबो, कोयम्बत्तूर द्वारा आयोजित 02 दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम में अपनी भेट दी। शिविर की प्रतिभागी आरती और कम्मी ने अध्यक्ष का परम्परागत ढंग से स्वागत किया।

अध्यक्ष ने कार्यक्रम के प्रतिभागियों को कार्यक्रम में पढ़ाए गए सरकारी योजनाएं – कल्याण एवं स्वास्थ्य योजनाएं, व्यक्तिगत स्वच्छता, जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा के मूल्यों की महत्ता, पर्यावरण सुरक्षा एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे विषयों के बारे में एक-दूसरे से चर्चा की।

अपने संबोधन में प्रतिभागियों से प्राप्त फीडबैक की सराहना की। अध्यक्ष ने प्रतिभागियों को संपूर्ण सफाई योजना एवं प्रधानमंत्री जन-धन योजना के बारे में बताया।

**I jwkl LoPNrk ; kstuk %** अध्यक्ष ने अभिव्यक्त किया कि स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2019 तक प्रत्येक घर को साफ-सुथरा रखने का सरकार का उद्देश्य है। हमारे देश में सभी ग्रामीण घरों की साफ-सुथरा रखना सरकार की योजना है। यहाँ तक कि हमारे देश की लगभग 67 प्रतिशत आबादी इस सदी में शौचालय का प्रयोग नहीं करती है। इन अपराधों को रोकने के लिए मूलभूत सुविधाओं के प्रयोग की नितांत आवश्यकता है तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों के लिए) पर विशेष ध्यान दिया जाना है। पूरे देश में केशशिबो के जागरूकता कार्यक्रम के जरिए ही लोगों के मनोवृत्ति में परिवर्तन एवं जागरूकता लाया जा सकता है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना पर बल देते हुए अध्यक्ष महोदय ने अभिव्यक्त किया कि केवल 58 प्रतिशत लोग ही बैंक सेवा का लाभ उठा रहे हैं। जनवरी, 2015 तक 7.5 करोड़ बैंक खाता खोलने का सरकार का लक्ष्य है सार्वजनिक / निजी क्षेत्रों में जीरो बैलेंस के साथ खाता खोला जा सकता है और ग्राहकों को 01 लाख का मुफ्त दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाएगा। अध्यक्ष ने प्रतिभागियों को सलाह दिया कि वे सरकार की योजनाओं का उपयोग करें और उन्होंने गरीब जनता में जागरूकता फैलाने में केशशिबो, कोयम्बत्तूर द्वारा किए गए प्रयासों की वास्तविक रूप से सराहना की।

कार्यक्रम की समाप्ति पर, अध्यक्ष ने सभी प्रतिभागियों को प्रतिदिन का दैनिक भत्ता एवं प्रमाणपत्र प्रदान किया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की बहुत ही सराहना की और उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा का महत्व, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कल्याणकारी योजनाएं जैसे विषयों के बारे में समझने की आवश्यकता है।

**xkok %** सरकारी प्राथमिक विद्यालय, माओलिंगुइम, ग्राम पंचायत काले ब्लॉक, संगुइम, जिला दक्षिण गोवा में दिनांक 18.06.2014 एवं 19.06.2014 को 02 दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री गणेश गोयंकर, माननीय विधायक, सावरडेम एवं अजा / अजजा निगम, गोवा सरकार के अध्यक्ष ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि वे स्वयं के विकास के लिए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को उपयोग में लाएं। श्रीमती वैशाली नाईक, सरपंच ग्राम पंचायत काले समापन कार्यक्रम में सम्मिलित थीं। कार्यक्रम में 37 प्रतिभागी सम्मिलित थे।

**Vkl ul ky %** जोंगपुर, कॉम्यूनिटी हॉल, बंजोरा, ग्राम पंचायत, मेजा ब्लॉक, बाकुडा में दिनांक 25.06.2014 एवं 26.06.2014 को 02 दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मूल्यांकन सत्र के दौरान कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक, एसडीओ एवं बीडीओ के समक्ष प्रतिभागियों ने व्यक्त किया कि उन्हें केन्द्र एवं राज्य सरकार

की विभिन्न कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के बारे में जानकारी नहीं थी। केशशिवों की सराहना करते हुए उन्होंने अपनी रॉय प्रकट की कि वे कार्यक्रम से बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में ऐसे अधिक से अधिक कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की।

**xlkj [ki j %** ग्राम कोटसराय, मसुधा, फैजाबाद में दिनांक 16.02.2015 एवं 17.02.2015 को 02 दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागी प्रेरित हुए और महिला कौशल विकास के लिए सिलाई केन्द्र खोले, जिससे सिलाई एवं कढ़ाई कार्य के जरिए उनके घर का खर्च चल रहा है।

**te"knij %** ग्राम चोंगासई, ब्लॉक चक्रधरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम में दिनांक 25.07.2015 एवं 26.07.2015 को 02 दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम श्री सुखदेव महतो, शिक्षक, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कार्यक्रम में उपस्थित थे।

### Je dY; k.k fodkl dk; Øe

**gñj kckn %** अभय प्रशिक्षण केन्द्र, नार्थ कमला नगर, इसीआईएल, कापरा में 9 एवं 10 फरवरी, 2015 को 02 दिवसीय श्रम कल्याण विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें श्री एन.वी.एस. प्रभाकर, विधायक उप्पल विधानसभा, हैदराबाद कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्रम कल्याण विकास कार्यक्रम में 35 प्रतिभागी सम्मिलित थे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागी मोमबत्ती एवं शैंपू बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किए। समाज के गरीब वर्गों के लिए केशशिवों के जरिए भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिभागी बहुत ही प्रभावित हुए। बोर्ड के अधिकारियों द्वारा की गई आत्मिक पहल से वे बहुत ही प्रभावित हुए।

**vgenkckn %** दिनांक 19.08.2014 एवं 20.08.2014 को श्रम कल्याण एवं विकास विषय पर (बीड़ी श्रमिकों के लिए) 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक कार्यक्रम के समापन समारोह में उपस्थित थीं। दिनांक 20.08.2014 को निदेशक ने कार्यक्रम के प्रतिभागियों को मानदेय प्रदान किया। महिला मण्डल, बाबू बंगला के सामने, पाटन, जिला पाटन में 40 महिला बीड़ी श्रमिकों को शिक्षित किया गया। सुश्री मीनाबेन पंचाल, महिला मण्डल, पाटन के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। निदेशक श्रीमती नम्रता तिवारी ने महिला सशक्तीकरण विषय पर संबोधित किया। निम्नलिखित अतिथियों ने कार्यक्रम में अपनी भेंट दी और व्याख्यान दिए। सुश्री उषाबेन बुच, ट्रस्टी एवं सामाजिक कार्यकर्ता, श्रमजीवी कल्याण ट्रस्ट, पाटन ने वैयक्तिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय पर चर्चा की। श्रीमती संध्या बेन प्रधान, एडवोकेट, शेहकुंज, भादरा, पाटन ने घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 विषय पर चर्चा कीं। श्रीमती योगिनीबेन व्यास, सामाजिक कार्यकर्ता एवं ट्रस्टी महिला मण्डल, पाटन ने स्वावलम्बन समूह एवं इसके लाभ विषय पर चर्चा की। श्री नरेश भाई ठाकर, सहायक प्रबंधक, सफाई कर्मचारी बोर्ड, गुजरात सरकार, पाटन ने गुजरात सरकार की कौशल विकास योजनाओं के बारे में चर्चा की। कार्यक्रम में 40 महिला प्रतिभागी सम्मिलित थीं।

इसी प्रकार, महिला मण्डल, पाटन में दिनांक 04.09.2014 एवं 05.09.2014 को बीड़ी श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम से शिक्षित बीड़ी श्रमिक जागरूक होकर ठेकेदार से अपनी न्यूनतम मजदूरी प्रदान करने की मांग की। राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा एवं विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रतिभागियों को शिक्षित किया गया। प्रतिभागियों ने उनके लिए भविष्य में ऐसे अधिकाधिक कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की।

**dkuij %** दिनांक 30.07.2014 एवं 31.07.2014 को 02 दिवसीय श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती पूर्णिमा सिंह, सदस्य, क्षेत्रीय सलाहकार समिति, कानपुर एवं कार्यकारी अध्यक्ष, इंटक (महिला विंग) दिनांक 31.07.2014 को समापन सत्र में मुख्य अतिथि थीं। तदनुसार, क्षेत्रीय सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिभागियों को प्रति दिन दैनिक भत्ता प्रदान किया गया।

**oMknjk %** ग्राम ओलपाड, जिला सूरत में 17 एवं 18 जुलाई, 2014 को श्रम कल्याण एवं विकास विषय पर 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री धर्मेन्द्र केल्वानी मण्डल ने मण्डल का गठन किया और वडोदरा स्व-रोजगार संस्थान, बीएसवीएस, बैंक ऑफ बडोदा, सूरत के अंतर्गत कौशल विकास के अधीन सिलाई करने, गारमेंट बनाने का भी प्रशिक्षण प्राप्त किया।

**vko"; drk i j vk/kkfj r i fj l dk**

**dkui j %** श्री श्रीकांत अवस्थी, आयोजक सचिव, भा.म.सं. ने 24 जुलाई,2014 को आवश्यकता पर आधारित 02 दिवसीय परिसंवाद का उद्घाटन किया और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रबुद्ध करने की दृष्टि से क्षेत्रीय निदेशालय, केश्रशिबो, कानपुर द्वारा किए जा रहे महान कार्य का उल्लेख किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिभागी प्रशिक्षित हुए और स्वयं विकास एवं सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही रुचि दर्शायी।

**et¶Qj i j %** बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में दिनांक 08.09.2014 एवं 09.09.2014 को आवश्यकता पर आधारित 02 दिवसीय परिसंवाद का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों के अनुसार कार्यक्रम बहुत ही उत्कृष्ट था। प्रतिभागियों ने भविष्य में ऐसे अधिकाधिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुरोध किया।

बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के प्रबंधन की मांग पर क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा आवश्यकता पर आधारित 02 दिवसीय 02 अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया।

बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में दिनांक 14.10.2014 एवं 15.10.2014 को आवश्यकता पर आधारित 02 दिवसीय परिसंवाद आयोजित किया गया। रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रम बहुत ही अच्छा था। सभी प्रोफेसरों ने यह महसूस किया कि उनके अध्यापन में कुछ अभाव था।

बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में दिनांक 21.10.2014 एवं 22.10.2014 को आवश्यकता पर आधारित 02 दिवसीय परिसंवाद आयोजित किया गया। जिसमें प्रतिभागियों ने कहा कि कार्य के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की बहुत ही आवश्यकता है।

प्रतिभागियों ने अपना विचार व्यक्त किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर कार्यक्रम से कार्य संस्कृति एवं कार्य नीति जैसे विषयों पर उपयोगी एवं सूचनाप्रद जानकारी प्राप्त हुई है।

**mUkj & i wZ 1m-i wZ {ks- ds Jfed | ¶k dk; DrkVka ds fy, jkt; Lrjh; if"k{k.k dk; Øe %**

**bEQky %** सेण्टर फॉर को—ऑपरेटिव मैनेजमेण्ट (त्रिपुरा), सीसीएमटी, अगरतल्ला पश्चिम, त्रिपुरा के सम्मेलन कक्ष में दिनांक 19.01.2015 से 23.01.2015 तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों के पदाधिकारियों के लिए 05 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 30 प्रतिभागियों को शिक्षित किया गया। श्री बलिन देबारमा, भा.प्र.से., निदेशक, रोजगार सेवाएं एवं मैनपावर प्लानिंग, त्रिपुरा ने प्रतिभागियों को अभिव्यक्त किया कि वे राष्ट्रीय एकता का सृजन करें तथा अपने क्षेत्र में गरीब ग्रामीणों के लिए उनके हित हेतु कार्य करें।

होटल तम्फा, नार्थ ए.ओ.सी., इम्फाल के सम्मेलन कक्ष में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए दिनांक 18.03.2015 से 20.03.2015 तक 03 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 30 प्रतिभागियों को शिक्षित किया गया। श्री एम. के. प्रेशव शिमराय, उप सभापति, मणिपुर विधान सभा एवं अध्यक्ष, क्षेत्रीय सलाहकार समिति, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, इम्फाल ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने ज्ञान का लाभ उठाएं और अपने भावी जीवन के कार्यों में अपने ज्ञान को विकसित करें तथा उसे बनाए रखें।

सम्मेलन कक्ष, होटल लेकविंड, मोरंग, जिला मणिपुर में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए दिनांक 15.11.2014 से 17.11.2014 तक तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें 30 प्रतिभागियों को शिक्षित किया गया। श्री के.लक्ष्मा रेड्डी, माननीय अध्यक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों ने कहा कि माननीय अध्यक्ष, के.श्र.शि.बो. ने उन्हें श्रमिक संघ एकता एवं सुदृढीकरण के लिए प्रेरित किया। वे अविकसित क्षेत्र के श्रमिक संघ के सदस्यों के रूप में बहुत ही लाभान्वित हुए हैं।

**fI yhxMh %** गंगटोक, सिक्किम में दिनांक 25.09.2014 से 27.09.2014 तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र में मानव सशक्तीकरण एवं विकास विषय पर सिविकम राज्य से 30 प्रतिभागियों के लिए 03 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री नरजोंग लेच्चा, महामंत्री, ॲल सिविकम डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट (एएसडीएलएफ) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ए.एस.डी.एल.एफ. ने रिपोर्ट किया कि श्री नर बहादुर लिम्बो (कार्यक्रम के प्रतिभागी) राज्य योजना आयोग, सिविकम सरकार के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गये हैं।

गंगटोक में ऑल सिविकम डेमोक्रेटिक लेबर फँट, गंगटोक द्वारा प्रायोजित 30 प्रतिभागियों के लिए दिनांक 02.12.2014 से 04.12.2014 तक तीन दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (उत्तर-पूर्व विशेष) आयोजित किया गया। श्री एस.के. प्रधान, सचिव, सिविकम राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिविकम सरकार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा इसके बाद में एएसडीएलएफ ने इस क्षेत्रीय निदेशालय को रिपोर्ट किया कि सुश्री सोनू लिम्बू (कार्यक्रम की एक प्रतिभागी) राज्य खादी आयोग, सिविकम सरकार के संयुक्त आयोजक के सदस्य के रूप में मनोनीत किए गये हैं।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सेमिनरी हिल्स्, बलियाखानी, पूर्व सिविकम में दिनांक 04.02.2015 से 06.02.2015 तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए 03 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 30 प्रतिभागी शिक्षित हुए। श्री सी.पी. धकल, नगरपालिका आयुक्त, गंगटोक, सिविकम ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सेमिनरी हिल्स्, बलियाखानी, पूर्व सिविकम में दिनांक 22.09.2014 से 24.09.2014 तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए तीन दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। 30 प्रतिभागी शिक्षित किए गये। श्री एच.पी. ढकल, उप निदेशक, शिक्षा योजना विभाग, सिविकम सरकार ने प्रतिभागियों को व्याख्यान दिया।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सेमिनरी हिल्स्, बलियाखानी, पूर्व सिविकम में दिनांक 25.09.2014 से 27.09.2014 तक उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए 03 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। 30 प्रतिभागी शिक्षित किए गये। श्री एम. एस. सोधी, वरिष्ठ अधिकारी, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई तथा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए आयोजित विशेष कार्यक्रम की सराहना की।

प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की बहुत सराहना की तथा अपना विचार प्रकट करते हुए कहा कि वे श्रमिक संघ एवं श्रमिक संघ की बदलती भूमिका के साथ-साथ कार्य संस्कृति एवं कार्य नीति, नेतृत्व, गुणवत्ता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आदि महत्वपूर्ण विषयों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त किए। उन्होंने अभिव्यक्त किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने से उन्हें बहुत उपयोगी जानाकारी प्राप्त हुई, जिसके कारण वे अपनी समस्याओं का बेहतर ढंग से बेहतर स्थिति में निराकरण कर सकेंगे तथा श्रमिक संघ को बेहतर ढंग से योगदान कर सकेंगे।

v-tk@v-t-tk- ds Jfedka ds fy, fo"ks k dk; Øe%

एक्ट१Qj i j % सामुदायिक भवन, फरीदपुर ब्लॉक, फूलवरीशरीफ, जिला पटना में दिनांक 22.05.2014 एवं 23.05.2014 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वे राज्य सरकार की अ.जा./अ.ज.जा. की समाज कल्याण योजनाओं के बारे में भी शिक्षित हुए। प्रतिभागी केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के स्वावलंबन समूह से संबंधित शिक्षा से भी बहुत प्रेरित हुए। प्रतिभागियों ने महिला एवं चंचल नामक 02 स्वावलम्बन समूहों का गठन किया।

पंचायत भवन, कुकुरी टोला, ब्लॉक फूलवरी शरीफ, जिला पटना में दिनांक 26.05.2014 एवं 27.05.2014 को अ.जा./अ.ज.जा. के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने स्वावलम्बन समूह के गठन में बहुत ही रुचि लिया और 'किरण' नामक स्वावलम्बन समूह का गठन भी किया। वे अ.जा./अ.ज.जा. के लिए राज्य सरकार की समाज कल्याण योजनाओं के बारे में भी शिक्षित किए जाते हैं।

vkfnokl h mi ; kstuk ॥५॥, I -i h½ ds Jfedka ds fy, fo"ks k dk; Øe %

Cjyh % प्राथमिक विद्यालय, ग्राम गुरुखेड़ा, ब्लॉक खाटिमा, जिला उधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) में आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) श्रेणी के अंतर्गत दिनांक 27 एवं 28 जुलाई, 2014 को अनुसूचित जन जाति के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री केशव प्रसाद, सहायक विकास अधिकारी, ब्लॉक खाटिमा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री प्रेमसिंह राणा, माननीय विधायक, नानक मत्ता ने दिनांक 28 जुलाई, 2014 को कार्यक्रम का समापन किया। श्री अनिल सिंह राणा, समन्वयक, सोटेक भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। 40 आदिवासी श्रमिक शिक्षित किए गये। प्रतिभागियों ने बाल विवाह, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने का भी आश्वासन दिया और अपनी लड़कियों को उच्च शिक्षा देने का भी आश्वासन दिया।

प्राथमिक विद्यालय, ग्राम कुटरा, ब्लॉक खाटिमा, जिला उधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) में दिनांक 24 एवं 25 सितम्बर, 2014 को आदिवासी उप योजना (टीएसपी) श्रेणी के अधीन अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री विक्रम सिंह, ग्राम प्रधान ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और श्री देवानन्द तमटा, शाखा प्रबंधक, एल आई सी, खाटिमा ने कार्यक्रम का समापन किया। 40 आदिवासी श्रमिक शिक्षित किए गये। श्री प्रभात सक्सेना, एल.आई.सी., श्री दिनेश राणा, सहायक अध्यापक, सरकारी विद्यालय ने स्वावलम्बन समूहों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आय अर्जित करने वाली योजनाओं, स्वास्थ्य एवं प्रतिभागियों की जीवन की गुणवत्ता के बारे में भी सम्बोधित किया।

**i qks %** ग्राम हकेटाण्डा, जिला लातूर में आदिवासी उप योजना (टीएसपी) श्रेणी के अंतर्गत 09 एवं 10 मार्च, 2015 को आदिवासी श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम वसंतराव नाईक बहुदेशीय सेवा भावी संस्था, गौड़ टाण्डा, लातूर की सहायता से आयोजित किया गया। 40 प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और वे श्रमिक गन्ना काटने वाले श्रमिक थे। प्रतिभागियों ने उन्हें स्वावलम्बन समूहों एवं स्व- रोजगार, शिक्षा महत्व आदि विषयों पर दी गई जानकारी के लिए सराहना की। जिला परिषद योजना की सहायता से संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित करने के बाद गैर सरकारी संगठन ने स्व रोजगार के उद्देश्य से प्रतिभागियों को 05 सिलाई मशीन वितरित किया।

**xkot %** गणपति मंदिर हाल, वेलिप वाडा, ग्राम पंचायत बल्ली, ब्लॉक क्यूपेम, जिला दक्षिण गोवा में आदिवासी उप योजना (टीएसपी) श्रेणी के अंतर्गत दिनांक 13.11.2014 एवं 14.11.2014 को आदिवासी श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित थे। श्रीमती अल्का पोतदार उद्घाटन एवं समापन समारोह में उपस्थित थी। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और सभी प्रतिभागियों से अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए अनुरोध किया। प्रधान जन धन योजना के अंतर्गत 15 प्रतिभागियों ने नया खाता खोला।

**vud fpr tkfr mi ; kstuk ds Jfedk ds fy, fo"ksk dk; Dœ %**

**i qks %** अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) श्रमिकों के लिए दिनांक 07 एवं 08 मई, 2014 तथा 25 जून, 2014 को पुष्पनगर भूधरगढ एवं मदुर, जिला कोल्हापुर एवं विभिन्न ग्रामों में क्रमशः कार्यक्रम आयोजित किए गये।

कार्यक्रमों के परिणाम वास्तव में ध्यान देने योग्य हैं कुछ प्रतिभागी प्रेरित होकर स्वेच्छा से अभ्यासिका प्रारंभ किए जहाँ वे विद्यार्थियों को प्रतिदिन 02 घण्टा पढ़ने के लिए सामुदायिक केन्द्र अथवा सेंट्रल प्लेस में बुलाते हैं। अभ्यासिका 10 गाँवों में विकसित हुई है और 20 शिक्षक स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। वे डी.एड., बी.एड आदि में योग्यता हासिल किए हैं। इन अभ्यासिका में पहली से दसवीं स्तर के विद्यार्थी हैं। लगभग 350 लोग इस गतिविधि से लाभान्वित हैं।

अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए कराड, जिला सतारा एवं शेलोली – कर्णवीर, जिला- कोल्हापुर में दिनांक 16 एवं 17 जुलाई, 2014 तथा 08 एवं 09 अगस्त, 2014 को क्रमशः कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतारा जिला में इस कार्यक्रम का प्रभाव यह था कि 60 महिलाएं कार्यक्रम में सम्मिलित हुई थी। जिन्होंने रामामाता मगशवर्जी महिला बचत गट बैंक का गठन किया। प्रत्येक से रुपये 1200/- संग्रहित कीं और शेयर निधि में रुपये 72000/- इकट्ठा करना चालू कर दिए हैं। इसी प्रकार उपर्युक्त कार्यक्रम जिला कोल्हापुर में आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने रमाई बचत गट बैंक का उद्घाटन किया। इस आर.आर.बी.आई. बैंक में कुल 50 महिलाएं सदस्य हैं। बैंक के प्रत्येक सदस्य ने रुपये 1200/- एकत्र किया था कुल मिलाकर शेयर निधि में रुपये 60,000/- जमा कर दिया है। प्रत्येक सदस्य इस आर.आर.बी.आई. से ऋण प्राप्त करते हैं और अपने व्यवसाय को विकसित करते हैं।

**/kuckn %** अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) श्रेणी के अंतर्गत दिनांक 26.02.2015 एवं 27.02.2015 को अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए हरि मंदिर, राझडर साइड, चासनल्ला, ब्लॉक- झारिया, जिला धनबाद में 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री एस. एन. सिंह, भूतपूर्व विधायक (बिहार) ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कुल 40 प्रतिभागी शिक्षित हुए। प्रतिभागियों ने कहा कि वे जो कुछ भी सीखें हैं उसे अपनाएंगे और भारत सरकार की आई.ए.वाई., के.सी.सी. आदि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में

नामांकन कराएंगे। एस.सी.एस.पी. के प्रतिभागी कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सरकार की अनुसूचित जाति विकास योजनाओं के अंतर्गत योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी उत्सुक थे।

अनुसूचित जाति उप योजना (एस सी एस पी) श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए प्राथमिक विद्यालय, छाल छलिया, धोवरा (हेठलीबन्ध), ब्लॉक- झरिया, जिला धनबाद में दिनांक 28.03.2015 एवं 29.03.2015 को 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री मोहन प्रसाद, विधायक, जयरामपुर (झारखण्ड) ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 40 प्रतिभागी शिक्षित हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद अपने स्वास्थ्य के हित के लिए शराब पीना एवं धूम्रपान करना छोड़ दिए। इसके बाद जो भी प्रतिभागी तास खेलने/जुआ खेलने की बुरी आदतों में संलिप्त थे वे इसे छोड़ने का आश्वासन दिए और वे केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित अनुसार बचत करना प्रारंभ करेंगे।

**dkuij %** अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) श्रेणी के अधीन अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए दिनांक 27.05.2015 एवं 28.05.2015 को 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 15 महिला श्रमिकों का पंजीकरण किया गया।

**eit¶Qjij %** अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए ग्राम जमसोत मुशरी, ब्लॉक दानापुर, जिला पटना, दूसरा प्राथमिक विद्यालय, नगवा नयाटोला, ब्लॉक नौआबतपुर, जिला पटना इसी तरह ग्राम धीबरा, ब्लॉक- दानापुर, जिला पटना में दिनांक 28.06.2014 एवं 29.06.2014 तथा 21.06.2014 एवं 22.06.2014 तथा 14.06.2014 एवं 15.06.2014 को क्रमशः कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम के प्रभाव ने उन्हें स्वावलम्बन समूह बनाने के लिए प्रेरित किया। वे क्रमशः 'रोशनी', 'कल्याणी' एवं 'मुस्कान' नामक स्वावलम्बन समूहों का गठन किया।

**eujxk ds vrxt Cykll Lrjh; ,oafytk Lrjh; dk; Øe %**

**cxy# %** मनरेगा के अंतर्गत धाबा कुण्टे अन्जिनेयास्वामी कल्याण मन्ताप, कैवरा, चिंतामणि तालुका, चिककाबल्लपापुर जिला में दिनांक 18.12.2014 एवं 19.12.2014 को 02 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 100 प्रतिशत समिलित हुए। माननीय श्री कृष्ण रेड्डी, विधायक चिंतामणि ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और श्रीमती बी.बी. श्रीनिवास, उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत कैवरा ने दिनांक 19.02.2014 को कार्यक्रम का समापन किया। प्रतिभागियों ने मनरेगा योजना के बारे में सीखे गये एवं शिक्षित किए गये अनुसार अनुसरण करने की रुचि दिखाई।

मनरेगा के अंतर्गत कन्नड जागृति परिषद सभा भवन, दोड्डबल्लपुरा ब्लॉक, बेंगलूरु ग्रामीण जिला में दिनांक 25.11.2014 एवं 26.11.2014 को 02 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती शामला जी लक्ष्मीपतियु, अध्यक्ष, तालुका पंचायत, डड्डबल्लपुरा ने दिनांक 25.11.2014 को कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कुल 100 प्रतिभागी कार्यक्रम में समिलित हुए। डॉ. कृष्ण रेड्डी, ब्लॉक कार्यकारी अधिकारी, तालुका पंचायत ने दिनांक 28.11.2014 को कार्यक्रम का समापन किया।

**fo"kk[ki VV.ke %** मनरेगा के अंतर्गत सम्मलेन कक्ष, ग्रामीण विकास अधिकारी कार्यालय काम्प्लेक्स, नरसिपट्टणम (पो. एवं मण्डल), विशाखपट्टणम जिला में दिनांक 04.03.2015 एवं 05.03.2015 को 02 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 100 श्रमिक (कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक) समिलित हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री के. लक्ष्मारेड्डी, माननीय अध्यक्ष, के.श्र.शि.बो. ने किया। श्रीमती चिन्ता कायला अनिता, नगरपालिका अध्यक्ष के समापन भाषण के साथ कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। श्री चिन्ताकायला सन्यासी पत्रुडु, नगरपालिका उपाध्यक्ष, श्री सूर्या राव, आरडीओ, श्री एन.रमेश रमण, एमपीडीओ., श्रीमती के. सूर्यमणि, एपीओ मनरेगा, श्री के. नानी बाबू, एपीओ, मनरेगा, श्री पी. प्रभाकर, सहायक श्रम आयुक्त ये सभी पदाधिकारी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति को प्रभावी रूप से महसूस किया।

सभी प्रतिभागी प्रेरित हुए और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जान गये। वे अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए जनधन योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में समिलित होने के लिए आगे आये। सभी प्रतिभागी भवन एवं निर्माण मजदूर बोर्ड के अंतर्गत अधिक लाभ उठाने के लिए श्रम विभाग से पहचान

पत्र प्राप्त करने के लिए आगे आये। बहुत से प्रतिभागी कौशल विकास की गतिविधियों में समिलित होने के लिए आगे आये। उन्होंने महसूस किया कि राष्ट्रीय विकास के लिए वे किस प्रकार कृषि उत्पादकता को सुधार सकते हैं।

**cjy %** सफथारा, ददरौल, शाहजहाँपुर में दिनांक 23 एवं 24 मार्च, 2015 को दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय मनरेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 100 प्रतिभागी समिलित थे। श्री जयनाथ यादव, एस.डी.एम., सदर एवं श्री राजेश झा, उप आयुक्त, मनरेगा, शाहजहाँपुर कार्यक्रम के अतिथि थे। एक अच्छा प्रभाव यह था कि ग्रामीण श्रमिक अपने हाथों में जॉब कार्ड लिए हुए बहुत ही उत्साह के साथ कार्यक्रम में समिलित हुए और कार्यक्रम में बहुत सारे प्रश्न पूछे, जिसका उप आयुक्त मनरेगा एवं लोकपाल, मनरेगा ने जवाब दिया। उपायुक्त/लोकपाल, मनरेगा तथा खण्ड विकास अधिकारी/उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट की उपस्थिति ने कार्यक्रम में कार्यस्थल पर ही मनरेगा के श्रमिकों को समस्या के निराकरण में अस्त्र का कार्य किया।

**dkuij %** ब्लॉक—सरवनखेड़ा, कानपुर देहात में दिनांक 30 एवं 31.03.2015 को दो दिवसीय मनरेगा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। माननीय रामस्वरूप सिंह गौड़, विधायक, रानिया, अकबरपुर विधान सभा क्षेत्र ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा तभी सफल रहेगी जब श्रमिक मनरेगा के प्रावधानों के बारे में जानेंगे। परिणामस्वरूप वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति संघर्ष करते रहेंगे।

**ब्लॉक** उमरडा, कन्नौज में दिनांक 25.03.2015 एवं 26.03.2015 को दो दिवसीय मनरेगा ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री उदयराज यादव, सी.डी.ओ., कन्नौज ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री राम उदरेज यादव, खण्ड विकास अधिकारी ने दिनांक 26.03.2015 को कार्यक्रम का समापन किया। उप प्रभागीय मजिस्ट्रेट, कन्नौज भी समापन सत्र में उपस्थित थे।

**eftQjij %** ग्राम, ब्लॉक सम्पत्तचक, जिला पटना में दिनांक 28.03.2015 एवं 29.03.2015 को 02 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय मनरेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 97 प्रतिभागी शिक्षित किए गये। श्री शिवकुमार मांझी, भूतपूर्व विधायक एवं सदस्य, बिहार अ.जा./अ.ज.जा. आयोग तथा श्री उदय मांझी, अध्यक्ष, बिहार महादलित आयोग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी था तथा प्रतिभागी बहुत ही उत्साही थे। श्री मांझी ने अभिव्यक्त किया कि यह कार्यक्रम लाभार्थियों के जीवन में नई किरण लाएगी।

**bykgkcn %** सेमिनार हॉल, ब्लॉक मिर्जापुर सिटी, मिर्जापुर में दिनांक 14.11.2014 एवं 15.11.2014 को 02 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय मनरेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 100 प्रतिभागी उपस्थित थे। श्री राजीव बंकाटा, परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण, मिर्जापुर एवं जिला विकास अधिकारी भी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के दौरान बहुत से ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न गाँवों के ग्राम प्रधानों ने भी अपना अमूल्य विचार प्रकट किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यक्रम के प्रभाव से प्रभावित हुए और अन्य राज्य सरकार की योजनाओं, विशेष उपलब्धियों पर भी अपना विचार प्रकट किया। अपने भाषण में मनरेगा की योजना में सामाजिक लेखा परीक्षा के महत्व एवं उपयोगिता को बताया और कहा कि सभी मनरेगा लाभार्थी महत्वपूर्ण भूमिका निभाये। उ.प्र. भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 2009 के अंतर्गत 55 प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण कराया।

**p.Mhx<+%** बचत भवन, जिला फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) में दिनांक 24.03.2015 एवं 25.03.2015 को मनरेगा पर दो दिवसीय जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री कमलदीप सिंह संघा (भा.प्र.से.), उपायुक्त, जिला फतेहगढ़ साहिब ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 20 प्रतिभागी कार्यक्रम में समिलित थे। श्री संजीव कुमार गर्ग, अपर उपायुक्त (जिला), जिला फतेहगढ़ साहिब (पंजाब) ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि वे मनरेगा कार्यक्रम के कार्यान्वयन तथा लोगों को 100 दिनों का रोजगार दिलाने एवं निधि दिलाने में अपना पूरा सहयोग देंगे।

जिला परिषद काम्प्लेक्स, रोपड़ जिला रूप नगर (पंजाब) में दिनांक 11.03.2015 एवं 13.03.2015 को मनरेगा पर 02 दिवसीय जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री अमरजीत सिंह शाही, एडीसी (डी) ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 20 प्रतिभागी कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री अमरजीत सिंह मक्कोवाल, अध्यक्ष, जिला परिषद, जिला

रूपनगर (पंजाब) ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनांक का रोजगार दिलाने में लोगों की सहायता करने के लिए प्रतिभागी बहुत ही प्रेरित किए गये। कार्यक्रम के पदाधिकारियों ने जिले में मनरेगा के कार्यान्वयन में हर तरह से अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया।

**21 fnol h; 0; fDrRo fodkl dk; Dc %**

**dkuij %** प्रशिक्षण कक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, कानपुर में दिनांक 20.11.2015 एवं 21.11.2015 को मनरेगा पर दो दिवसीय ग्रामीण स्तर का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 38 प्रतिभागी उपस्थित थे। श्रीमती श्रेया गायनकर, सरपंच, ग्राम पंचायत थाणे, डांगुरली ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि योजना का वे अधिक से अधिक लाभ उठाएं। श्री गोविन्द कोरगावनकर, निदेशक, बाल भवन भी समापन समारोह में उपस्थित थे। कार्यक्रम में मनरेगा के लिए ग्राम पंचायत की सहायता से कार्य चुनने के लिए प्रतिभागी प्रेरित किए गये।

## **21 fnol h; 0; fDrRo fodkl dk; Dc %**

**dkuij %** प्रशिक्षण कक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, कानपुर में दिनांक 07.08.2014 से 27.08.2014 तक केवल महिला कर्मचारियों के लिए 21 दिवसीय व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री एस. पी. शुक्ला, उप श्रम आयुक्त, कानपुर क्षेत्र 12 अगस्त, 2014 को 21 दिवसीय व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (महिला कर्मचारी) का उद्घाटन किया और श्रीमती मीता जमाल, प्राचार्य डी.जी.पी.जी. कॉलेज, कानपुर ने 27 अगस्त, 2014 को कार्यक्रम का समापन किया।

श्री बलराम नरुला, अध्यक्ष, आई.आई.ए., कानपुर ने प्रतिभागियों को व्याख्याता के रूप में सम्बोधित किया। कार्यक्रम के दौरान श्रीमती भावना तिवारी, जे.डब्ल्यू.एम. (मा.सं.), ओ.ई.एफ., रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, कानपुर, सुश्री प्रतिभा गुप्ता, सहायक प्रभागीय विद्युत अभियंता, लोकोशेड हिन्द मजदूर सभा (महिला विंग), कानपुर, श्री प्रबल प्रताप सिंह, राज्य प्रभारी, भारतीय मजदूर संघ (वित्तीय संस्थान), कानपुर एवं श्री राजेश कुमार वाजपेई, निदेशक, जन शिक्षण संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कानपुर में प्रतिभागियों को व्याख्याता के रूप में संबोधित किया।

प्रतिभागियों ने कहा कि व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम ने उनके संगठन के उत्तरदायी कर्मचारी के रूप में विकसित करने के लिए उनके मनस्थिति को बदल दिया है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि कार्यक्रम बहुत उपयोगी सूचनाप्रकरण एवं ज्ञानप्रद रहा। कार्यक्रम के दौरान सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाये रखने, उत्पादकता एवं गुणवत्ता को विकसित करने तथा संगठन को लाभप्रद एवं उत्तरजीवी बनाये रखने के लिए उत्पादन की लागत को कम करना आदि बातों पर ध्यान दिया गया है। यह भी कहा गया है कि वे शाप फलोर एवं कार्यस्थल में संगठन को सशक्त बनाये रखने के लिए अपने सहयोगियों के साथ अपना अनुभव एवं ज्ञान बाँटेंगे।

प्रशिक्षण कक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, कानपुर में दिनांक 29.10.2014 से 18.11.2014 तक दूसरा 21 दिवसीय व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। उत्तर-पूर्व रेलवे, लखनऊ, सी एण्ड डब्ल्यू, आलमबाग, लखनऊ, लोको वर्क शाप, आलमबाग, लखनऊ, हाल, लखनऊ, टी.एम.शेड, कानपुर आदि से कार्यक्रम में 35 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुखदेव मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय मजदूर संघ, नई दिल्ली ने प्रतिभागियों को सम्बोधित किया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि बदलते वर्तमान परिदृश्य में श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत होना चाहिए। ऐसा होने से देश के विकास में गति आएगी। डॉ. एम. ए. नकवी, निदेशक, सीएमएस, कानपुर, श्रीमती मल्लिका द्विवेदी, फील्ड गन फैक्टरी, श्री बलराम नरुला, अध्यक्ष, आई.आई.ए., कानपुर ने भी कार्यक्रम में व्याख्याता के रूप में अपनी भेंट दी तथा कार्यक्रम की सराहना की।

**bykgkcn %** प्रशिक्षण कक्ष, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, इलाहाबाद में दिनांक 10.09.2014 से 30.09.2014 तक 21 दिवसीय व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। 28 प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित थे। श्री ए.के. सिंह, उप श्रमायुक्त, श्रम विभाग, उ.प्र. सरकार कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम न केवल उनके व्यक्तित्व को सम्पन्न बनाएगा बल्कि उनके कार्य के प्रति उनकी मनोवृत्ति को सकारात्मक बनाएगा। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में कहा कि यह कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच उनके मनोवृत्ति में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा और उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होगा।

## i cikku e Jfedka dh Hkkxhnikjh %

vgenkckn % प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी विषय पर दिनांक 19.08.2014 से 21.08.2014 तक 03 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय निदेशालय, अहमदाबाद में आयोजित किया गया। श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, के.श्र.शि.बो. ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने द्विपक्षीय समिति के लिए प्रभावी भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया। पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद प्रभाग, इफको कालोल, जी.एम.डी.सी. एवं जी.एस.आर.टी.सी., अहमदाबाद से 29 प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम बहुत ही सूचनापरक एवं प्रभावी था जिसे बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजित किया गया। प्रतिभागियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का जवाब संकाय द्वारा अच्छी तरह से दिया गया। सभी प्रतिभागियों के साथ-साथ इफको के प्रबंधन द्वारा कार्यक्रम की सराहना की गई।

dkuijg % आयुध निर्माणी, कानपुर में दिनांक 18 से 20 फरवरी, 2015 तक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर 03 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री राजीव अग्रवाल, वरिष्ठ महाप्रबंधक, ओईएफ, कानपुर ने दिनांक 18.02.2015 को मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया तथा श्री एस.पी. शुक्ला, उप श्रमायुक्त, कानपुर क्षेत्र उ. प्र. एवं क्षेत्रीय सलाहकार समिति, कानपुर के सदस्य, श्री सुखदेव मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव, भा.म.सं., श्री डी.पी. मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक, ओईएफ, कानपुर एवं श्री मनोज कुमार, संयुक्त महाप्रबंधक भी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

oMknjk % ओ.एन.जी.सी. श्रमिकों के लिए ऑफिसर क्लब, ओएनजीसी में दिनांक 18.02.2015 से 20.02.2015 तक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी विषय पर 03 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री के. जी. राव, महा प्रबंधक (मा.सं.एवं आई.पी.), ओ.एन.जी.सी., वडोदरा, श्री सी.एल. अरोरा, उप महाप्रबंधक (आई एवं आरटीआई प्रमुख) कार्यक्रम में उपस्थित थे। 26 प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में प्रभावी भागीदारी के लिए द्विपक्षीय समिति सशक्त रूप से सक्रिय हो गई और ओ.एन.जी.सी. से सहयोग देने के लिए आश्वासन दिया।

p. Mhx<+% भेल गोइन्दवाल साहिब, जिला तारण (पंजाब) में दिनांक 17.02.2015 से 19.02.2015 तक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर 03 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। विभिन्न संयत्रों से आये प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। प्रतिभागियों ने फीडबैक दिया कि यह कार्यक्रम श्रमिकों के लिए तकनीकी रूप से लाभप्रद है। उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से अतिथिवक्ता आमंत्रित किए गये थे। जिन्होंने उत्पादकता, गुणवत्ता बढ़ाने तथा श्रमिकों में वातावरण का निर्माण करने आदि विषयों पर व्याख्यान दिया।

## vi kfBr {ks= ds dk; Øe %

oMknjk % केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, वडोदरा ने दिनांक 19.08.2014 से 20.08.2014 तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (आंगनवाड़ी श्रमिकों) के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। 30 प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, के.श्र.शि.बो. के साथ-साथ श्री एच.जे. पण्ड्या, उपाध्यक्ष के.श्र.शि.बो. भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री के. जे. ठक्कर, भूतपूर्व अध्यक्ष, के.श्र.शि.बो. ने संगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में अपने विचारों का आदान-प्रदान किया तथा श्रमिक संघ के अनुभवों को भी बताया। आंगनवाड़ी के श्रमिकों ने श्रमिक संघों में सम्मिलित हुए और अनौपचारिक क्षेत्रों के कार्यक्रमों में अपना सहयोग देने के लिए कहा।

/kuckn % अपग्रेडेड मिडिल स्कूल, सोज जीतपुर, ब्लॉक एवं जिला जमतारा में दिनांक 24.02.2015 एवं 25.02.2015 को दो दिवसीय जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम आयोजित किया। डा. इरफान अंसारी, विधायक, जमतारा, झारखण्ड कार्यक्रम का मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन किया। 40 प्रतिभागी शिक्षित हुए। कार्यक्रम का प्रभाव यह रहा कि प्रतिभागी परिवार कल्याण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री जनधन योजना, गृहणियों के लिए स्व-रोजगार आदि के बारे में जानकारी प्राप्त किए। वे छोटा परिवार मानक अपनाने के लिए प्रेरित हुए। स्वावलम्बन समूह की सहायता से स्व-रोजगार की गतिविधियों को प्रारंभ कर दिए। अपने नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना में दर्ज कराए।

mn; ij % राजीव गांधी केन्द्र, ग्राम बिचाड़ी, जिला उदयपुर में दिनांक 12.10.2014 एवं 13.10.2014 को दो दिवसीय असंगठित क्षेत्र का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों को शिक्षित किया गया। लाभार्थियों का प्रभाव यह था कि प्रोफेसर एस.एस. सारंगादेवट, कुल सचिव, जनार्दन राय नगर यूनिवर्सिटी, उदयपुर ने

अपने समापन भाषण में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रयासों की सराहना की। बोर्ड समाज के पददलितों के लिए अच्छा प्रयास कर रही है। कार्यक्रम ने प्रतिभागियों के मन में एक अमिट छाप छोड़ दिया है और वे बहुत ही प्रेरित हुए और स्वावलम्बन समूह का गठन किया और विशेष उपलब्धि यह थी कि ऐसी प्रेरणा से प्रेरित होकर बहुत सी महिलाओं ने स्व-रोजगार करना प्रारंभ कर दिया और स्वावलम्बन समूह के गठन से लाभान्वित हुई। सामाजिक जिम्मेवारी के अधीन महिला सशक्तीकरण का यूनिवर्सिटी सेल, उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र में बहुत सारे सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ कर दिया।

**/kuckn %** असंगठित क्षेत्र के लिए दिनांक 24.02.2015 एवं 25.02.2015 को अपग्रेडेड मिडिल स्कूल, सोज जितपुर, ब्लॉक एवं जिला— जमतारा में दो दिवसीय जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. इरफान अंसारी, माननीय विधायक, जमतारा, झारखण्ड ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कुल 40 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम का प्रभाव यह था कि प्रतिभागी परिवार कल्याण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, गृहणियों के लिए स्व-रोजगार के अवसर आदि के बारे में जान सकें। वे छोटा परिवार मानक अपनाने के लिए प्रेरित हुए, स्वावलम्बन समूहों की सहायता से स्व-रोजगार की गतिविधियों को प्रारम्भ कर दिए। अपने नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना में दर्ज कराए।

**vgenkckn %** असंगठित क्षेत्र के मजूर कल्याण ट्रस्ट, सिंधपुर, जिला पाटण के लिए दिनांक 13.11.2014 एवं 14.11.2014 को दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागी मजदूर कल्याण ट्रस्ट, सिंधपुर द्वारा चलाए जा रहे सिलाई, टाइपिंग एवं कम्प्यूटर में कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त किए।

**eit¶Qj i j %** सरकारी मिडिल स्कूल, उदयपुर, ब्लॉक ताजपुर, समस्तीपुर में दिनांक 16.07.2014 एवं 17.07.2014 को असंगठित क्षेत्र के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसे कार्यक्रम के प्रभाव से प्रतिभागी प्रेरित हुए और दुर्गा एवं काली नामक 02 स्वावलम्बन समूहों का गठन किया।

### **pkj fnol h; I "kDrhdj.k dk; Øe %**

**xkok %** वस्तवाड़ा, मुर्चोरेम, ब्लॉक क्यूपेम, जिला— साऊथ गोवा में दिनांक 23.02.2015 से 26.02.2015 तक असंगठित क्षेत्र के लिए चार—दिवसीय सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया। श्रीमती अनिता मरोती नायक, अध्यक्ष, कुर्चोरेम नगरपालिका ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड शिविर में सीखे गये सही ज्ञान से स्वयं को सशक्त बनाए। समापन समारोह में श्री नीलेश कबारल, माननीय विधायक, कुर्चोरेम एवं अध्यक्ष, गोवा पर्यटन विकास निगम उपस्थित थे। अपने भाषण में सभी से अनुरोध किया कि स्वच्छ भारत मिशन में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने आस—पास सफाई रखें। पर्यावरण के संरक्षण के लिए 40 प्रतिभागियों को कपड़े के बैग वितरित किए गये। कार्यक्रम में कुल 38 प्रतिभागी उपस्थित थे।

**dkydkrk %** असंगठित क्षेत्र के लिए 04 दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय, मुख्य हिवप, पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्बल वर्ग के लिए चार दिवसीय सशक्तिकरण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिमन बनर्जी, माननीय स्पीकर, पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभा, पश्चिम बंगाल सरकार ने कार्यक्रम का समापन किया। श्रमिकों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं एवं उपायों के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिभागी बहुत सारी नई चीजें सीखे और कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का निश्चय किए।

**gñjkckn %** महिला शिक्षण भवनम, सीडीएस भवन, इरराकुण्टा, कापरा जी.एच.एम.सी., आर.आर.डी. में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 04 दिवसीय सशक्तिकरण शिविर आयोजित किया गया। श्री एन.वी.एस.एस. प्रभाकर माननीय विधायक, उप्पल विधानसभा क्षेत्र, हैदराबाद ने दिनांक 04 से 07 फरवरी, 2015 तक आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। प्रतिभागियों में 02 नया ग्रुप गठित किया और यूनियन से सहबद्ध हुए। वे श्रम कल्याण निधि में दर्ज कराने और जन धन योजना में खाता खोलने के लिए प्रस्ताव किए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के संबंध में प्लास्टिक उन्मूलन एवं उसके दुरुपयोग पर भी शपथ ली।

**pñus %** लासपेट पाठ्यक्रमी में दिनांक 09.03.2015 से 12.03.2015 तक ग्रामीण श्रमिकों के लिए चार दिवसीय सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें 40 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। श्री वैद्यनाथन माननीय विधायक,

लासपेट पाण्डिचेरी में ग्रामीण श्रमिकों के लिए आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। एक समूह ने पशुपालन फार्म खोलने का वादा किया। विधायक की पत्नी श्रीमती वैतियानाथन बड़े उत्साहपूर्वक चार दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित रहीं।

पुडुनगर, रेडिउयारपलायम पुडुच्चेरी में दिनांक 20.01.2015 से 23.01.2015 तक ग्रामीण श्रमिकों के लिए चार—दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 39 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। श्री सेसुडास प्रशिक्षक, भा.प्र.से. अकादमी एवं श्री एन.जी. पनीरसेल्वम, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, पुडुच्चेरी सरकार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

**Cjyঃ %** राजकुमारी इण्टर कॉलेज सम्मेलन कक्ष मधीनाथ, बरेली में दिनांक 09 से 12 मार्च, 2015 तक चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 40 प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। श्री राजेश कुमार, उप श्रम आयुक्त, बरेली प्रभाग, बरेली भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के आय उत्पादक कार्यक्रमों को जानने के लिए प्रतिभागी बहुत ही उत्सुक थे, ताकि वे अपना निजी छोटी जरी इकाई प्रारंभ कर सकें। हस्तशिल्प बोर्ड से अतिथिवक्ता आमंत्रित किए गये, जिन्होंने प्रतिभागियों को जरी कार्ड जारी करने का आश्वासन दिया। ताकि वे बोर्ड से सुविधाओं का लाभ उठा सकें। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रयास से अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के पदाधिकारियों ने शिविर में अपनी भेंट दी और प्रतिभागियों की आवश्यकताओं से संतुष्ट हुए।

**Xkj [ki j %** शिवदासपुर, मसुधा, फैजाबाद में ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय सशक्तीकरण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रभाव यह था कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में 18 प्रतिभागी नामांकित हुए।

**te"knij %** दिनांक 10.07.2015 से 13.07.2015 तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आयोजित चार—दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम में श्री अनिल मांझी, मुखिया, बानगुर्द पंचायत एवं श्रीमती बजीहंसडा, वार्ड सदस्य, कशमार पंचायत ग्राम गैलकाटा एवं माझीडीह, ब्लॉक पटम्डा, जिला—सिंघभूम पूर्व ने समारोह की शोभा बढ़ाई।

**eṭ¶Qj i j %** प्राथमिक विद्यालय, कोहवाबा, ग्राम पंचायत लालमम पट्टी, ब्लॉक बसंतपुर, सुपौल में दिनांक 13.03.2015 से 16.03.2015 तक असंगठित क्षेत्र के लिए चार—दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कौशल विकास तथा स्वावलम्बन समूह गठित करने के लिए जन—धन योजना में प्रतिभागियों ने खाता खोला।

### i pk; r̄hjkt ds i nkf/kdkjh %

**bEQky %** सम्मेलन कक्ष सं. 2, मणिपुर प्रेस क्लब, मजोर खुल, इम्फाल, मणिपुर में दिनांक 16.11.2014 से 18.11.2014 तक पंचायती राज पदाधिकारियों के लिए 03 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। 30 प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सभी प्रतिभागियों ने समाज के प्रति ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए शपथ ली। श्री के. लक्ष्मारेडडी माननीय अध्यक्ष केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों ने अभिव्यक्त किया कि वे कौशल विकास पर अध्यक्ष के संदेश पर बहुत लाभान्वित हुए और क्षेत्र के सामाजिक—आर्थिक विकास के प्रयास हेतु वे बहुत ही प्रेरित हुए।

### thou dh xqkoUkk dk; Øe 2 ,oa 4 fnol h; %

**/kuckn %** अपग्रेडेड मिडिल स्कूल, सोज जितपुर, ब्लॉक एवं जिला जमतारा के दिनांक 24.02.2015 एवं 25.02.2015 को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डॉ. इरफान अंसारी, माननीय विधायक जमतारा, झारखण्ड ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का प्रभाव यह था कि प्रतिभागी परिवार कल्याण, राष्ट्रीय स्वारक्ष्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमंत्री जनधन योजना स्व—रोजगार गृणियों के लिए स्वरोजगार के अवसर आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। वे छोटा परिवार मानक अपनाने के लिए प्रेरित हुए और स्वावलम्बन समूहों की सहायता से छोटा रोजगार करना प्रारंभ कर दिए और अपना नाम राष्ट्रीय स्वारक्ष्य बीमा योजना एवं जनश्री बीमा योजना में अपना नाम दर्ज किया।

**vgenkcn %** दामोदर नी. चाली, एस.बी.आई. इण्डस्ट्रियल ब्रांच के सामने, बापूनगर, अहमदाबाद में जीवन की गुणवत्ता (असंगठित क्षेत्र) पर दिनांक 12.11.2015 एवं 15.11.2015 तक पर चार दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने दामोदर नी. चाली में महालक्ष्मी महिला बचत एवं क्रेडिट सोसाइटी का गठन किया। यह रिपोर्ट किया गया।

है कि 12 प्रतिभागियों ने जय महाकाली महिला बचत एवं क्रेडिट सोसाइटी बनाया। 60 प्रतिभागियों ने शराब पीना, तम्बाकू तथा गुटखा खाने जैसी बुरी आदतों को छोड़ दिया।

**एक०१०जी०५ %** मिडिल स्कूल, चक मधुवा, ब्लॉक सुरैया, जिला, मुजफ्फरपुर में असंगठित क्षेत्र के लिए दिनांक 21.03.2015 एवं 24.03.2015 तक चार दिवसीय जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपर्युक्त कार्यक्रम का प्रभाव यह था कि प्रतिभागियों ने उजाला नामक स्वावलम्बन समूहों का गठन किया। प्रतिभागियों ने वित्तीय योजना एवं स्वास्थ्य मुददों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे अपने जीवन में कठिनाइयों से ऊपर उठने की योग्यता में सुधार लाए और बचत बैंक खाता खोले।

**व्ही०१०जी०५ %** गोगरा कुक्कुट शाला परिसर, ग्राम पंचायत एवं पो. गोगरा, सालतोरा, बांकुड़ा में दिनांक 16.03.2015 एवं 19.03.2015 तक असंगठित क्षेत्र के लिए चार दिवसीय जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों की राय यह थी कि वे कार्यक्रम से बहुत ही लाभान्वित हुए ताकि वे पती-पत्नी एवं माता-पिता की भूमिका को समझ सकें, उन्होंने यह भी कहा कि कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महसूस किया कि उनमें परिवर्तन आ गया है।

### लो० एक०१०जी०५ %

**एक०१०जी०५ %** ओरिएण्टल कन्टेनर लि., कुण्डेइम इण्डस्ट्रियल इस्टेट, ब्लॉक पोण्डा, जिला नार्थ गोवा में एक दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रीय निदेशालय, गोवा द्वारा दिनांक 28.07.2014 को टीम वर्क एवं टीम निर्माण पर, दिनांक 08.10.2014 को आई.एम.ओ. 9001:2008 पर दिनांक 18.09.2014 को नेतृत्व विकास एवं सम्प्रेषण कौशल पर दिनांक 14.08.2014 को संघर्षशील प्रबंधन एवं टीम वर्क पर क्रमशः 04 स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री यशवंत परब, प्रबंधक (मा.सं.) उद्घाटन एवं समापन समारोह में उपस्थित रहे। उन्होंने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रमों की कार्य पद्धति की सराहना की और कहा कि प्रतिभागी अपने निष्पादन एवं स्व-विकास को विकसित करने के लिए प्रेरित हुए।

**एक०१०जी०५ %** पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लि., क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में दिनांक 18.06.2014 को 01 दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों के आत्म विश्वास स्तर एवं व्यक्तित्व विकास के स्तर का बढ़ा दिया है।

**p. MhX<+%** दिनांक 19.09.2014 को एक दिवसीय स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमें प्रसन्नता है कि हम सकारात्मक मनोवृत्ति, लागत की कटौती, उत्पादकता में सुधार एवं गुणवत्ता में सुधार आदि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण के बाद बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं।

मनीष फोर्ज (पंजाब) लि., लुधियाना (पंजाब) में दिनांक 19.03.2015 एवं 20.03.2015 को 02 दिवसीय 02 स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रबंधन ने कहा कि हम आपके सहयोग एवं स्पष्ट सम्प्रेषण, रचनात्मक एवं दृष्टीपरक सोच से हमारा कार्यबल प्रेरित हुआ है। प्रशिक्षण कार्यक्रम ने संगठन में उत्पादकता एवं दक्षता को बढ़ा दिया है। प्रतिभागियों ने समापन समारोह में कार्यक्रम की सराहना की।

---

i **likko** , d >yd

**dlnh; Jfed f"kk ckMZ ds dk; Deka us vki[ka [kky nh %**

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लाभार्थियों को डाइरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से प्रतिदिन भत्ता दिनांक 01.01.2015 से कार्यान्वित किया गया है।

**VkbEI ~ vknD bf.M; k , oa vknR; fcM-yk I kekftd i likko ijLdkj 2014&15**

श्रमिक शिक्षा योजना के जरिए उद्देश्यों को हासिल करने के लिए राष्ट्र निर्माण में अद्वितीय योगदान देने हेतु बोर्ड के शैक्षिक कार्यक्रमों पर तीसरी पार्टी की राय (मल्टीनेशनल कम्पनी) द्वारा प्रथम निष्पादन की मान्यता दी गई।

**i qks %** केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करता है। परन्तु वर्ष 2014–15 के दौरान केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, पुणे के अधीन कार्यरत उप क्षेत्रीय निदेशालय, कोल्हापुर के ऐसे कार्यक्रम नई धारणा और आर.आर.बी.आई. (रियल रूरल बैंक ऑफ इण्डिया) के साथ उभरकर सामने आये। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के लिए यह गर्व की बात है कि टाइम्स ऑफ इण्डिया ग्रुप एवं आदित्य बिड़ला सोशल इम्पैक्ट अवार्ड ने सामाजिक प्रभाव पुरस्कार के लिए इस अवधारणा का चयन किया था जिसे राष्ट्रीय स्तर पर माना गया है। यह अवधारणा राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार से प्राप्त हुई है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रमों की यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह जानकर वास्तव में प्रसन्नता है कि टाइम्स ऑफ इण्डिया ग्रुप एवं आदित्य बिड़ला सोशल इम्पैक्ट अवार्ड ने श्री बी.जी. कुरवलकर द्वारा किए गये कार्यों को रेखांकित किया है और आजीविका की श्रेणी में सामाजिक प्रभाव पुरस्कार 2014–15 के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड को नामित किया गया है। श्री कुरवलकर, शिक्षा अधिकारी द्वारा किए गये प्रयासों की राष्ट्र स्तर पर प्रशंसा की गई।

आजीविका क्षेत्र (सरकारी श्रेणी) में रियल रूरल बैंक ऑफ इण्डिया (आर.आर.बी.आई.) विषय पर केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की पहल— 05 श्रेणियों में से प्रथम विजेता के रूप में थी।

आजीविका क्षेत्र में जूरी ऑफ टाइम्स ऑफ इण्डिया एवं आदित्य बिड़ला सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2014–15 की **vfre fVII .kh** के अनुसार:

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए स्वावलम्बन समूहों का गठन किया, दूसरा संगठन झारक्राफ्ट आदिवासियों की सहायता करते हुए एवं स्व हस्तशिल्प उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय उद्यम संस्थान एवं लघु व्यवसाय विकास के जरिए लाखों आदिवासियों की आजीविका में सुधार लाया।

जबकि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की बहुत ही उच्च ग्रेडिंग की गई थी और इसके कार्यों की सराहना भी की गई थी। श्री के.पी. कामत, पंचायत ने झारक्राफ्ट को पुरस्कार देने का निर्णय लिया इसने 3.6 लाख लोगों को प्रशिक्षित कर दिया है और लाभार्थी पिछड़े क्षेत्र से मुख्यतया आदिवासी जाति के थे। इन दोनों संगठनों के बीच सरकारी श्रेणी में चुना जाना था।

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रभाव उत्कृष्ट था, वर्ष 2014–15 में मल्टी नेशनल कम्पनियों द्वारा रेखांकित किया गया।

**Hkpus'oj %** ओल्ड ब्यायज एसोशिएसन हॉल (बहुग्राम), ग्राम पाटापुर, ब्लॉक सालेपुर, जिला कटक में दिनांक 02.03.2015 एवं 03.03.2015 को असंगठित क्षेत्र के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के प्रतिभागी निर्माण कार्य के श्रमिक थे। श्री बसंत कुमार साहू (उपाध्यक्ष) की ओर से भारतीय मजदूर संघ, भा.म.सं. उड़ीसा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 40 प्रतिभागी शिक्षित किए गये जिनमें से अनुसूचित जाति के 22 पुरुष, 02 महिलाएं एवं अन्य 16 पुरुष थे। श्रीमती मोनालिसा नायक, सहायक श्रम अधिकारी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई और प्रतिभागियों को भवन एवं निर्माण पंजीकरण कार्ड प्रदान कीं। श्री के. लक्ष्मारेड्डी, माननीय अध्यक्ष, के.श्री.शि.बो. भी कार्यक्रम

में सम्मिलित हुए थे। उन्होंने प्रतिभागियों को श्रम पंजीकरण कार्ड प्रदान किए। उन्होंने निर्माण कार्य के श्रमिकों को सुझाव दिया कि वे अच्छी योजना का लाभ उठाएं।

**भा.म.स.** श्रमिक संघ के उच्चाधिकारियों ने कार्यक्रम में सम्मिलित हुए जो कि एक शानदार सफलता के साथ सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रभाव यह रहा कि 60 से अधिक निर्माण श्रमिकों (शिविर से 40 श्रमिक) ने हमारे कार्यक्रम के जरिए श्रम पंजीकरण कार्ड प्राप्त किया। पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान संबंधित बैंक के जरिए अपना लाभ राशि प्राप्त किया। अन्य श्रमिक भी पंजीकरण के लिए आवेदन करने हेतु आगे आये। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने अपनी प्रसन्नता अभिव्यक्त की ताकि वे केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की सक्रियता के कारण अपने जागरूकता स्तर को विकसित कर सकें।

**bykgkckn %** "सांसद आदर्श ग्राम योजना" पर पहला कार्यक्रम बोर्ड द्वारा 2014–15 में आरंभ किया गया। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपनाएं गये ग्राम जयपुर, ब्लॉक अराजीलाईन, वाराणसी में 80 महिला श्रमिकों के लिए दिनांक 17.12.2014 एवं 18.12.2014 को दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री एस. पी. श्रीवास्तव, अध्यक्ष, क्षेत्रीय सलाहकार समिति, के.श्र.शि.बो., इलाहाबाद उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह कार्यक्रम उनके जीवन के सभी पहलुओं में उच्च गुणकारी एवं उत्पादी हो सकेगा और इसलिए उन्होंने प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक ध्यान दें। सभी प्रतिभागियों ने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं में आ रही सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करने की शपथ ली।

**xpkglVh %** भगदल ग्राम, ब्लॉक— मजबाट, जिला उदलगुड़ी, असम में आदिवासी श्रमिकों के लिए दिनांक 24.12.2014 एवं 25.12.2014 को दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने 'मरमी' नामक स्वावलम्बन समूह का गठन किया। वे बुनाई गतिविधियों में अपना निजी व्यवसाय प्रारंभ कर दिए हैं। उपर्युक्त स्वावलम्बन समूह उक्त तिथि का असम ग्रामीण विकास बैंक, ओरंग ब्रांच, खाता सं.7072010033516 खोला। बुनाई गतिविधियों के परिणामस्वरूप लगभग 90 हजार का व्यापार रहा। समूह की योजना है कि वे सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अपने व्यवसाय को विकसित करें।

**oMknjk %** केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, वडोदरा द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (आंगनवाड़ी श्रमिक) के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। 30 प्रतिभागी कार्यक्रम में सम्मिलित थे। श्रीमती नम्रता तिवारी, निदेशक, के.श्र.शि.बो., श्री के. जे. ठक्कर, भूतपूर्व अध्यक्ष, के.श्र.शि.बो. तथा साथ में श्री एच. जे. पण्ड्या, उपाध्यक्ष, के.श्र.शि.बो. भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। अपने को सशक्त बनाने के लिए आंगनवाड़ी के भी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में सहयोग देने के लिए श्रमिक संघ में सम्मिलित हुए।

**fI yhxMh %** उत्तर-पूर्व क्षेत्र में मानव सशक्तीकरण एवं विकास विषय पर सिविकम राज्य से 30 प्रतिभागियों के लिए दिनांक 25.09.2014 से 27.09.2014 तक गंगटोक, सिविकम में 03 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑल सिविकम डिमोक्रेटिक लेबर फ्रन्ट के महासचिव श्री नरजोंग लेप्चा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्य स्तर पर कार्यक्रम का प्रभाव ए.एस.डी.एल.एफ. द्वारा यह रिपोर्ट किया गया है कि श्री नर बहादुर लिम्बो (कार्यक्रम का एक प्रतिभागी) सिविकम सरकार में राज्य योजना आयोग के सदस्य के रूप में चुन लिए गये हैं। कार्यक्रम का महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि कार्यक्रम का ही एक सदस्य सिविकम राज्य के योजना आयोग का सदस्य बना।

दूसरा 03 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गंगटोक, सिविकम में दिनांक 08.03.2015 से 10.03.2015 तक आयोजित किया गया। 30 प्रतिभागी ऑल सिविकम डिमोक्रेटिक लेबर फ्रन्ट, गंगटोक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ए.एस.डी.एल.एफ. ने इस निदेशालय को यह रिपोर्ट किया है कि सुश्री सुष्मा छेत्री (कार्यक्रम की एक प्रतिभागी), सिविकम सरकार द्वारा राज्य परिवहन विकास बोर्ड की सदस्य बनीं।

**gMjkckn %** आयटक ऑफिस, रेलवे स्टेशन के पास ग्राम जनगाव मण्डल एवं जिला वारंगल में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए दिनांक 03 एवं 04 मार्च को 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री चौधरी रजा रेड्डी, भूतपूर्व विधायक, जनगाव, वारंगल जिला, तेलंगाना राज्य ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 33 प्रतिभागी कार्यक्रम में

शिक्षित हुए। प्रतिभागियों ने विभिन्न अवधारणाओं एवं श्रम कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त किया तथा प्रतिभागियों ने बुरी आदतों को छोड़ने एवं फिजूल खर्च करने की आदतों को छोड़ने का निश्चय किया। आई.डी. कार्ड प्राप्त करने के लिए एवं निधि का उपयोग करने के लिए 10 प्रतिभागियों ने अपना नाम दर्ज कराया। कार्यक्रम का प्रभाव निम्न प्रकार था। 1) प्रतिभागी अपने दैनंदिन जीवन में कार्यक्रम की उपयोगिता का प्रयोग कर रहे हैं।

2) कार्य की उपयोगिता दर बहुत ही उपयोगी है वे पढ़ाये गये विषयों को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर रहे हैं और उनके व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष रूप से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। 3) बहुत से प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की है और कहा है कि यह उनके लिए दुर्लभ अनुपलब्धि है और निश्चित रूप से उनके बीच नये विचारों का उद्भव होगा।

**fo"kk[ki VV.ke % सम्मेलन कक्ष, आर.डी.ओ. ॲफिस काम्लेक्स, नरसिंपट्टणम जिला में दिनांक 04.03.2015 एवं 05.03.2015 को मनरेगा के अंतर्गत 02 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। असंगठित क्षेत्र के (कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक) 100 श्रमिक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। श्री के. लक्ष्मारेडडी, माननीय अध्यक्ष, के.श्र.शि.बो., श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्रीमती चिन्ताकायला अनिता, नगरपालिका अध्यक्ष ने समापन भाषण दिया। श्री चिन्ताकायला सन्यासी पाटरुडु, नगर पालिका उपाध्यक्ष, श्री के. सूर्यराव, आर.डी.ओ., श्री एन.रमेश रमण, एमपीडीओ, श्रीमती के. सूर्या मणि, एपीओ, मनरेगा, श्री के. नानी बाबू ए.पी.ओ., मनरेगा, श्री पी. प्रभाकर, सहायक श्रम आयुक्त कार्यक्रम में सम्मिलित थे। कार्यक्रम का प्रभाव यह था कि सभी प्रतिभागी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के प्रति प्रेरित हुए एवं जानकारी प्राप्त किए। वे अधिक लाभ के लिए जनधन योजना एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना में सम्मिलित होने के लिए आगे आये। भवन एवं निर्माण कार्य मजदूरी बोर्ड के अधीन अधिक लाभ उठाने के लिए श्रम विभाग से आई.डी. कार्ड प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिभागी आगे आये। अधिकांश प्रतिभागी कौशल विकास की गतिविधियों में सम्मिलित हो गये। उन्होंने यह महसूस किया कि राष्ट्रीय विकास में कृषि उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है।**

**p\\$us %** श्री एस. शंकरसुब्रमण्यम, शिक्षा अधिकारी ने पेरिया कालापट्टु, पुडुचेरी में दिनांक 04.01.2014 एवं 05.12.2014 को दो दिवसीय मनरेगा कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागी सम्मिलित थे। श्री पी.एम. एल. कल्याणसुंदरम्, माननीय विद्यायक, कालापट्टु विधानसभा क्षेत्र पुडुचेरी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। माननीय विद्यायक ने प्रत्येक घर में प्रतिदिन एक कैन शुद्ध जल देने का वादा किया और अपने वादे को पूरा भी किया।

**dkui j %** अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए 17 एवं 18 मई, 2014 एवं 28 एवं 29 मई, 2014 को दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसके दौरान 18 स्वावलम्बन समूहों का गठन हुआ तथा अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए दिनांक 24 से 27 मई, 2014 तक चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम तथा 04 दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम के दौरान 54 स्वावलम्बन समूहों का गठन हुआ।

इकाई स्तर का 45 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिनांक 24.02.2014 से 09.04.2014 तक लघु आयुध निर्माणी, कानपुर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री पी.सी. बरनवाल, महाप्रबंधक, एस.ए.एफ., कानपुर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

**i qks%** ग्राम सिद्धनाराली, तालुका कागल, जिला कोल्हापुर में 09 से 12 मार्च, 2015 के दौरान चार दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिद्धनेरली तालुका कागल, जिला कोल्हापुर में 4 दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 4 महिला प्रतिभागी सम्मिलित हुईं। इस कार्यक्रम के जरिए महिलाओं के एक समूह ने प्रेरणा प्राप्त कर "तारारानी बचत गट बैंक" खोला और बैंक को चलाने के लिए आर.आर.बी.आई. का गठन किया और प्रति व्यक्ति रुपये 1200 की दर से शेयर पूंजी रुपये 2,40,000/- एकत्रित किया। इस बैंक ने नजदीक के गाँवों के दूसरी 200 महिलाओं को आकर्षित किया जो कि इस बैंक में सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गईं। यह बैंक को—ओपरेटिव बैंकिंग सेक्टर के ढांचागत कार्य के अधीन इस बैंक को सेट करने का विचार कर रहा है।

ग्राम गारगोटी— कोल्हापुर में दिनांक 16 एवं 17 अक्टूबर, 2014 तथा ग्राम मधुर जिला कोल्हापुर में दिनांक 09 एवं 10 फरवरी, 2015 को निर्माण कार्य श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वर्ष 2014–15 के दौरान

केन्द्र के निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया था, इस कार्यक्रम का परिणाम यह था कि निर्माण कार्य श्रमिक एकजुट होकर बांधकाम कामगार बचत गट बैंक के अधीन अपना बैंक प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इस समय निर्माण कार्य करने वाले 125 सदस्य इससे जुड़े हैं जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक पुरुष श्रमिक तथा शेष महिला श्रमिक हैं। प्रति व्यक्ति रुपये 1,50,000/- संग्रहित कर लिए हैं। इस बैंक का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को उनके खुद के व्यवसाय को स्थापित करना अथवा उनकी आजीविका के लिए उनकी सहायता करना है। सामान्यतया अपनी खुद की क्षमता के बजाए विशेषकर मध्यम अथवा बड़े पैमाने पर किसी निर्माण कार्य प्राप्त करने के लिए वे असहाय हैं। यह बैंक अपने सदस्यों को निधि उपलब्ध कराता है जबकि वे सदस्यों की एक लघु यूनिट बना सकते हैं और अपने लाभ को आपस में बाँट सकते हैं। पहले यह सम्भव नहीं था क्योंकि यह कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रीयकृत था जो कि बड़े ठेकेदार अथवा जमीन मालिक अथवा साहूकार थे।

ग्राम मीरज, जिला सांगली में दिनांक 12 से 15 मई, 2014 तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने स्व-रोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने का निर्णय लिया। 25 प्रतिभागियों ने चमड़े का बैग बनाने का व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

ग्राम वसन्तपुर, टाण्डा, पो. हरवाडी, जिला—लातूर में 11–12 मार्च, 2015 को आदिवासी उप योजना (टीएसपी) श्रेणी के अंतर्गत आदिवासी श्रमिकों के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम वसन्तराव नाईक बहुदेशीय सेवा भावी संस्था, गौर टाण्डा, लातूर की सहायता से आयोजित किया गया। स्वावलम्बन समूह एवं स्वरोजगार, नशामुक्ति, शिक्षा का महत्व आदि विषयों पर उन्हें प्रदान की गई जानकारी के लिए प्रतिभागियों ने बहुत ही सराहना की। कार्यक्रम आयोजित करने के बाद एनजीओ ने जिला पंचायत योजना की सहायता से प्रतिभागियों को स्व-रोजगार के उद्देश्य से 02 सिलाई मशीन प्रदान किया।

भीम शक्ति नगर, चिखली रोड, पुणे में अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए दिनांक 20 फरवरी, 2015 को दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लगभग 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम प्रगति महिला मण्डल द्वारा आयोजित किया गया। महिला श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक कानूनों के बारे में आये तथा स्वावलम्बन समूहों के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। भीमशक्ति, अजन्ता नगर, चिंचवड़ क्षेत्र से लगभग 400 श्रमिक श्रम कार्यालय, महाराष्ट्र सरकार, पुणे में घरेलू महिला कामगार मण्डल में अपना नाम पंजीकृत कराये। लगभग 40 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

**eqt ॥Qj i j %** मिडिल स्कूल, चक मधुआ, ब्लॉक सरैया जिला मुजफ्फरपुर में दिनांक 21.03.2015 से 24.03.2015 तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ और 'उजाला' नामक स्वावलम्बन समूह का गठन किया गया।

**bEQky %** कोलाइपाल हाई स्कूल, खूमबोग, इम्फाल पश्चिम, जिला मणिपुर में ग्रामीण क्षेत्र के लिए दिनांक 06 से 09 नवम्बर, 2014 तक चार दिवसीय सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद श्रीमती के. अहनबी देवी खुम्बोंग, इम्फाल, पश्चिम जिला में 'एलपा' नामक पिकल यूनिट गठित करने के लिए प्रेरित हुई। जिनके लिए प्रथम चरण में जिला उद्योग केन्द्र, इम्फाल पश्चिम में पंजीकरण करा लिया। इसी प्रकार खनगाबोक मर्खा लेइकै, थाउबाल जिला मणिपुर में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दिनांक 20.11.2014 से 21.11.2014 को दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। खनगाबोक एरिया बिलिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक संघ, थाउबाल जिला, मणिपुर का पंजीकरण अधिनियम, 1926 जैसे— 2014 का पंजीकरण सं. 807 के अंतर्गत पंजीकरण किया गया।

**xkok %** महल बाड़डेम, ब्लॉक कैनकोन जिला दक्षिण गोवा में अनुसूचित जनजाति उपयोजना श्रेणी के अंतर्गत दिनांक 16.06.2014 एवं 17.06.2014 को अनुसूचित जनजाति के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती वैशाली वी. वेलिप वी.पी. ग्रामपंचायत सदस्य ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री उमेश गायनकर, अध्यक्ष, आदर्श कला एवं सांस्कृतिक मण्डल, कोटिगांव कार्यक्रम में उपस्थित थे। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रतिभागी प्रेरित हुए और साइनाथ स्वावलम्बन समूह सभी उगाना प्रारम्भ कर दिया। कार्यक्रम में 34 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

कम्युनिटी हॉल, कुमारी, ग्राम पंचायत भाटी, ब्लॉक सनगुइम, जिला दक्षिण गोवा में दिनांक 21.09.2014 एवं 22.09.2014 को अनुसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 38 प्रतिभागी सम्मिलित थे।

श्री नरेश परकर, प्रबंधक, गोवा राज्य सहकारी बैंक, संगुइम ब्रांच उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। उन्होंने जीवन में बचत के महत्व पर जोर दिया। श्रीमती शिल्पा नाईक, सरपंच और श्री वी.पी. भाटी समापन समारोह में उपस्थित थे। कार्यक्रम में 'कुमारी', 'सतेरी' नामक दो स्वावलम्बन समूहों का गठन हुआ। 15 प्रतिभागियों ने जनधन योजना के अंतर्गत नया खाता खोला।

**xkj [ki g %** ग्राम गांजा, मसुधा, फैजाबाद में दिनांक 07.12.2014 एवं 08.12.2014 को अनुसूचित जनजाति उप योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागी प्रेरित होकर महिला कौशल विकास के लिए नया सिलाई केन्द्र खोला। घर का खर्चा चलाने के लिए सिलाई एवं कढ़ाई का कार्य करना प्रारंभ कर दिया।

सहबलपुर, कैसरगंज, बहराइच में निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए दिनांक 19.02.2015 एवं 20.02.2015 को 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। 17 प्रतिभागियों ने सामाजिक सुरक्षा के अधीन उत्तर प्रदेश भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण करवाया।

**dñnt; Jfed f"kk ckMz dks Js %**

**LokoyEcu | eg dk xBu %**

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित स्वावलम्बन समूह का महत्व एवं आवश्यकता विषय पर चर्चा ने प्रतिभागियों को प्रेरित कर दिया। जो भी प्रतिभागी इस कार्यक्रम में सम्मिलित थे उन्होंने अपने सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के स्वावलम्बन समूहों का गठन किया। वर्ष 2014–15 के दौरान प्रतिभागियों ने लगभग 820 स्वावलम्बन समूहों का गठन किया।

---

अध्याय-X

---

## सांख्यिकी सारणियाँ

---

## संक्षिप्त

शि. अधि.	शिक्षा अधिकारी
प्र. प्र. पा.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
व्य. वि. का.	व्यवित्तव विकास कार्यक्रम
प्र. पु. पा.	प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
सं. शौ. का.	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम
आ. आ. प.	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद
इ. स्त. क.	इकाई स्तर की कक्षाएं
का. प्रौ. सा. क.	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं
आ. आ. वि. का.	आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम
अ. सं. / दु. व.	असंगठित / दुर्बल वर्ग
ग्रा. जा. शि.	ग्रामीण जागरूकता शिविर
बा. श्र./बा. श्र. अ.	बाल श्रमिक/बाल श्रमिकों के अभिभावक
स्व. को. नि. का.	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम
श्र. क. वि. का.	श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम
ग्रा. श्र. स. शि.	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण शिविर

### वर्ष 2015-16 के लिये लक्ष्य (क्षेत्रीय निदेशालयवार)

क्र.	क्षेत्रीय निदेशालय का नाम	संगठित क्षेत्र कार्यक्रम										असंगठित क्षेत्र कार्यक्रम										ग्रामीण क्षेत्र		उत्तर-पूर्व क्षेत्र		मनरेगा						
		विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव	विधि का अनुभव							
1	इलाहाबाद	2			2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	2	2	4	8	8	8	40	20	8	2	4	8	175			
2	बोरेली	1			1	3	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	5	4	4	4	20	10	1	2	4	8	89			
3	बाणीगढ़	2			2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	4	8	175		
4	दिल्ली	4	1		4	12	1	4	8	20	2	1	4	4	4	4	4	4	8	20	16	16	16	80	40	16	4	32	8	349		
5	फौदाराबाद	2			2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	8	175		
6	गाजियाबाद	4	1		4	12	1	4	8	20	2	1	4	4	4	4	4	4	8	20	16	16	16	80	40	16	4	32	8	349		
7	गोरखपुर	4	1		4	12	1	4	8	20	2	1	4	4	4	4	4	4	8	20	16	16	16	80	40	16	4	32	8	349		
8	जमू	2	1		2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	8	176		
9	कानपुर	4	1		4	12	1	4	8	20	2	1	4	4	4	4	4	4	8	20	16	16	16	80	40	16	4	32	8	349		
10	पट्टाण	1			1	3	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	5	4	4	4	20	10	4	1	8	1	2	4	89	
11	आसनसोल	2			2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	8	175		
12	बैरकापुर	2	1		2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	8	176		
13	बैरहामपुर	3	1		3	9	1	3	6	15	2	1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	60	30	12	3	24	3	6	12	263	
14	गुपनेश्वर	3	2		3	9	1	3	6	15	2	1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	60	30	12	3	24	3	6	12	264	
15	धनबाद	2			2	6	1	2	4	10	1	2	1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	4	8	177
16	जमशेंदपुर	3	1		3	9	1	3	6	15	2	1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	60	30	12	3	24	3	6	12	263	
17	कोलकाता	3	1		3	9	1	3	6	15	2	1	3	3	3	3	3	6	15	12	12	12	60	30	12	3	24	3	6	12	263	
18	मुजफ्फरपुर	2			2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	4	8	175	
19	रोपी	2	1		2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	4	8	176	

20	प्राचीनता	5	1	5	15	1	5	10	25	2	1	5	6	5	5	10	25	20	20	100	50	20	6	40	5	10	20	20	435									
21	अधिकारी	3	1	3	9	1	3	6	15	2	1	3	3	3	3	6	15	12	12	60	30	12	3	24	3	6	12	12	263									
22	संगी	2	2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	4	0	0	175									
23	गमी	3	1	3	9	1	3	6	15	2	1	3	3	3	3	6	15	12	12	12	60	30	12	3	24	2	6	12	12	263								
24	गृही	4	1	4	12	1	4	8	20	2	1	4	4	4	4	8	20	16	16	16	80	40	16	4	32	4	8	16	16	349								
25	राजकी	2	2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	4	0	0	175									
26	विनी	2	1	2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	4	0	0	175								
27	विदेशी	3	1	3	9	1	3	6	15	2	1	3	3	3	3	6	15	12	12	12	60	30	12	3	24	3	6	12	12	263								
28	विदेशी	4	1	4	12	1	4	8	20	2	1	4	4	4	4	8	20	16	16	16	80	40	16	4	32	4	8	16	16	349								
29	विनी	5	1	6	16	1	6	10	25	2	1	5	5	5	5	10	25	20	20	20	100	50	20	5	40	5	10	20	20	435								
30	विनी	4	1	4	12	1	4	8	20	2	1	4	4	4	4	8	20	16	16	16	80	40	16	4	32	4	8	16	16	349								
31	विनी	4	1	4	12	1	4	8	20	2	1	4	4	4	4	8	20	16	16	16	80	40	16	4	32	4	8	16	16	349								
32	विनी	1	1	3	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	5	4	4	4	20	10	4	1	8	1	2	4	4	69								
33	विनी	4	2	4	12	1	4	8	20	2	1	4	4	4	4	8	20	16	16	16	80	40	16	4	32	4	8	16	16	350								
34	विनी	2	2	2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	4	0	0	177								
35	विनी	6	2	5	15	1	5	10	25	2	1	5	5	5	5	10	25	20	20	20	100	50	20	5	40	5	10	20	20	436								
36	विनी	2	2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	4	0	0	175									
37	विनी	3	1	3	9	1	3	6	15	2	1	3	3	3	3	6	15	12	12	12	60	30	12	2	24	3	6	12	12	263								
38	विनी	1	1	3	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	5	4	4	4	20	10	4	1	8	1	2	4	4	89								
39	विनी	2	2	6	2	4	10	1	0	0	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	4	0	0	111									
40	विनी	4	1	4	12	0	4	8	20	2	0	4	4	4	4	8	20	16	16	0	4	0	0	20	4	12	6	12	200									
41	विनी	1	1	3	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	5	4	4	4	20	10	4	1	8	1	2	4	4	89								
42	विनी	2	2	6	0	2	4	10	1	0	0	2	2	2	2	4	10	8	8	0	2	4	6	0	0	6	6	109										
43	विनी	4	1	4	12	1	4	8	20	2	1	4	4	4	4	8	20	16	16	16	80	40	16	4	32	4	16	16	16	357								
44	विनी	2	1	2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	4	0	0	175								
45	विनी	1	1	3	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	5	4	4	4	20	10	4	1	8	1	2	4	4	89								
46	विनी	2	2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	4	0	0	175									
47	विनी	2	1	2	6	1	2	4	10	1	1	2	2	2	2	4	10	8	8	8	40	20	8	2	16	2	4	0	0	175								
48	विनी	6	2	6	15	1	6	10	25	2	1	5	5	5	5	10	25	20	20	20	100	50	20	5	40	5	10	20	20	436								
49	विनी	3	1	3	9	1	3	6	15	2	1	3	3	3	3	6	15	12	12	12	60	30	12	3	24	3	6	12	12	263								
50	विनी	1	1	3	1	1	2	5	1	1	1	1	1	1	1	2	5	4	4	4	20	10	4	1	8	1	2	4	4	89								
	कुल	137	5	29	0	0	136	0	406	46	136	276	600	76	2	0	47	134	135	136	272	653	526	544	0	508	2569	1268	623	127	0	1061	127	27	27	0	0	1166

**सारणी-I**  
ग्रामीण जागरूकता शिविरों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्लौरा

क्र. सं.	ग्रामीण श्रमिकों की श्रेणी	*पाँच दिवसीय शिविर		**सशक्तीकरण शिविर चार दिवसीय				दो दिवसीय जागरूकता शिविर			प्रतिभागियों की संख्या				
				2003-2014		2014-2015		1977-2014	2014-2015	कुल	1977-2014	2014-15	कुल		
(1)	(2)	कार्यक्रम	प्रतिभागी	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	भूमिहीन श्रमिक	328	12846	1028	40126	67	2636	18292	629	18921	717148	24505	741653		
2	खेतीहर श्रमिक तथा सीमान्त कृषक	969	38520	534	21003	14	543	33540	107	33647	1319352	4165	1323517		
3	मत्स्य व्यवसाय श्रमिक	36	1479	11	436	6	239	818	9	827	32044	356	32400		
4	आदिवासी श्रमिक	91	3595	15	575	2	80	1195	5	1200	46493	196	46689		
5	ग्रामीण कारीगर	57	2299	47	1822	6	239	1659	20	1679	63532	760	64292		
6	वन श्रमिक	17	683	19	746	5	184	412	4	416	15560	154	15714		
7	शिक्षित बेरोजगार	163	6291	65	2580	4	160	2429	28	2457	94876	1065	95941		
8	बागान श्रमिक	0	0	23	950	5	199	195	7	202	7852	275	8127		
9	ग्रामीण श्रमिक (सामान्य)	290	11656	191	8130	6	239	10646	20	10666	419499	788	420287		
	कुल . .	1951	77369	1933	76368	115	4519	69186	829	70015	2716356	32264	2748620		

कुल योग कॉलम 4+6+8+14 अर्थात्  $77369+76368+4519+2748620=2906876$

\*\* सशक्तीकरण शिविर 2003-2004 से प्रारम्भ

\*\* इस सारणी में ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों हेतु एक दिवसीय पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम के आँकड़ों को शामिल नहीं किया गया है। (कार्यक्रमों की संख्या 134 तथा प्रतिभागियों की संख्या 7571)

ग्रामीण कार्यक्रमों की कुल संख्या -  $829+115+134=1078$

ग्रामीण प्रतिभागियों की कुल संख्या -  $32264+4519+7571=44354$

सारणी-II

2014-2015 के दौरान ग्रामीण श्रमिक शिक्षा

(प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार व्यौरा)

क्र. सं.	ग्रामीण श्रमिकों की श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	भूमिहीन श्रमिक	629	633	509	1836	2978	6422	2079	13026	21527	24505
2	खेतिहार श्रमिक तथा सीमान्त श्रमिक	107	80	67	539	686	655	276	2548	3479	4165
3	मत्स्य व्यवसाय श्रमिक	9	1	0	34	35	56	27	238	321	356
4	आदिवासी श्रमिक	5	0	12	6	18	39	98	41	178	196
5	ग्रामीण कारीगर	20	10	0	59	69	81	72	538	691	760
6	वन श्रमिक	4	6	14	45	65	30	16	43	89	154
7	शिक्षित बेरोजगार	28	24	1	125	150	301	66	548	915	1065
8	बागान श्रमिक	7	0	0	0	0	20	4	251	275	275
9	ग्रामीण श्रमिक (सामान्य)	20	12	0	66	78	157	36	517	710	788
योग . .		829	766	603	2710	4079	7761	2674	17750	28185	32264

I kj .kh III  
vi<sup>g</sup>] 2014 I s ekp] 2015 csl nk̥ku i f'k{kr Jfedka v̥xteh.k {ks-½  
dk {ks-h; funskty; vuq kj C; lk k

I k j . kh & III & जारी

I kj .kh &IV  
o"kl 2014&2015 ds nk§ku vi xfBr {ks= e i f"kf{kr Jfed

## I kj . kh &amp; v

2014&amp;2015 ds nkjku vI kfBr {ks= eä if"kf{kr Jfed

Vi f"kf{kr Jfedka dk Js khokj C; kjkh½

vI kfBr {ks= ds dk; Øe ¼ fnol h; ½

क्र. सं.	श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	gFkdj?kk	89	205	42	185	432	1020	261	1765	3046	3478
2	i koj yE	16	12	0	23	35	142	0	461	603	638
3	[kknh , oaxkeks] ks	7	0	0	0	0	131	4	139	274	274
4	y?qm   ks	6	8	0	17	25	85	0	120	205	230
5	vks  kfxd {ks=	4	0	0	15	15	68	0	77	145	160
6	gLrf'kyi	9	0	0	10	10	101	42	206	349	359
7	ukfj; y tVkm   ks	3	25	0	15	40	0	7	73	80	120
8	chMh m   ks	4	4	0	2	6	100	0	54	154	160
9	jks fi dlz	2	0	0	0	0	37	0	40	77	77
10	vll; & pkj fnol h;	8	4	1	78	83	22	0	212	234	317
11	& nksfnol h;	496	583	273	2257	3113	4324	757	11062	16143	19256
12	vI kfBr {ks= dsfy, , d fnol h; iþ%f'k{k.k dk; Øe dly ; ks	145	264	106	600	970	2996	457	3731	7184	8154
		789	1105	422	3202	4729	9026	1528	17940	28494	33223

## I kj . kh &amp; VI

vi s 2014 I s ekp] 2015 ds nkjku vI kfBr {ks= ds Jfedka ds fy, I "kDrhdj.k f"kfoj ¼ fnol h; ½

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रम संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग	
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	mYkj vpy	dly m- va	3	3	0	5	8	56	0	56	112	120
2	bykgkln		1	32	0	7	39	0	0	0	0	39
3	cjy়h		2	0	0	2	2	24	0	49	73	75
4	p.Mhx<+		4	0	0	2	2	64	0	92	156	158
5	fnYyh		2	0	0	0	0	40	0	40	80	80
6	Ojhnkcln		5	42	0	59	101	71	0	16	87	188
7	xkj [kj		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	tEew		5	0	0	10	10	40	0	150	190	200
9	dkuij		5	25	0	28	53	29	0	118	147	200
10	ijok.kw		1	4	0	15	19	1	0	17	18	37
			28	106	0	128	234	325	0	538	863	1097
11	i nZ vpy	dly i w va	2	64	0	1	65	14	0	1	15	80
12	vkl ul ky		4	4	0	2	6	115	0	39	154	160
13	cjdij		1	0	0	0	0	32	0	8	40	40
14	cjgkeij		2	0	0	0	0	10	0	70	80	80
15	Hkpusoj		2	1	0	7	8	10	0	61	71	79
16	/uckn		3	3	10	23	36	7	53	24	84	120
17	te'knij		6	0	0	0	0	99	0	140	239	239
18	dkydkrk		5	24	0	9	33	84	0	79	163	196
19	ejtflQj ij		3	25	21	16	62	0	55	2	57	119
20	jkph		2	7	3	40	50	17	13	0	30	80
			30	128	34	98	260	388	121	424	933	1193
21	i f"pe vpy	dly i - va ..	3	0	0	0	0	20	0	98	118	118
22	vgenkcn		3	0	0	0	0	32	3	80	115	115
23	oMknjk		2	0	0	3	3	1	1	75	77	80
24	xkdk		3	0	0	0	0	47	0	56	103	103
25	elccbZ		4	0	0	0	0	67	1	80	148	148
26	i qks		2	0	0	0	0	33	7	40	80	80
27	jkt dkv		1	0	0	0	0	13	0	26	39	39
			18	0	0	3	3	213	12	455	680	683
28	nf{k.k vpy	dly n- va	2	0	0	0	0	30	4	46	80	80
29	ckyW		5	0	0	0	0	133	0	67	200	200
30	pduS		5	0	0	10	10	16	0	174	190	200
31	dkphu		4	0	0	0	0	64	0	88	152	152
32	dkf'kdM		1	0	0	0	0	6	1	33	40	40
33	gryh		2	0	0	0	0	18	1	61	80	80
34	gryh kckn		2	0	0	9	9	0	7	64	71	80
35	dkf'kdM		11	0	0	0	0	108	0	322	430	430
36	enjS		2	0	0	0	0	3	10	65	78	78
37	eckyW		3	0	0	0	0	65	12	43	120	120
38	fot; okM+		1	0	0	4	4	12	0	24	36	40
			38	0	0	23	23	455	35	987	1477	1500

## । kj . kh &amp; vi &amp; जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	mYkj & i w vpy										
39	xpkgkVh	2	0	0	0	0	0	40	40	80	80
40	bEoky	3	0	0	15	15	0	39	66	105	120
41	fl yhxMh	2	0	0	0	0	0	1	79	80	80
42	frul fd; k	1	0	0	17	17	0	0	23	23	40
	dy m- i w va	8	0	0	32	32	0	80	208	288	320
	e/; vpy										
43	jk; ij	1	0	5	7	12	1	19	8	28	40
44	Hkki ky	8	5	0	17	22	48	37	198	283	305
45	bUnkj	2	0	0	0	0	40	0	40	80	80
46	tcyij	4	19	4	37	60	11	2	87	100	160
47	Xolkfy; j	4	0	0	0	0	125	0	32	157	157
48	t; ij	2	0	0	0	0	31	3	45	79	79
49	mn; ij	1	0	0	0	0	4	0	36	40	40
50	ukxij	4	0	0	0	0	65	5	89	159	159
	dy e- va	26	24	9	61	94	325	66	535	926	1020
	dy ; ks	148	258	43	345	646	1706	314	3147	5167	5813

## I kj . kh &amp; VII

vi s] 2014 | s ekp] 2015 ds nkjku i f"kf{kr Jfedka fo"ksk i fj | vkn%

dk {ks=h; funs"kky; vu| kj C; ksj

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रम संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग	
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
1	mYkj vpy	dly m- va	81	587	5	138	730	2095	5	410	2510	3240
2	bykgkcln		23	68	0	259	327	297	0	366	663	990
3	cjyjh		87	430	0	86	516	2546	0	338	2884	3400
4	p.Mhx<+		52	114	1	167	282	710	10	992	1712	1994
5	fnYyh		38	93	0	45	138	839	3	538	1380	1518
6	Qjhmkcln		44	169	0	229	398	796	0	505	1301	1699
7	xkftf kcln		56	294	0	563	857	265	4	1032	1301	2158
8	xkj [ki j		28	62	0	129	191	695	40	191	926	1117
9	tEew		67	176	0	358	534	564	0	1582	2146	2680
10	dkuij		25	63	0	36	99	572	18	290	880	979
	i jok.kw		501	2056	6	2010	4072	9379	80	6244	15703	19775
11	i wZ vpy	dly i w va	36	358	54	378	790	158	33	434	625	1415
12	vkl ul kj		75	330	8	188	526	1317	158	988	2463	2989
13	cjdij		55	49	0	343	392	436	45	1111	1592	1984
14	cjgkeij		34	194	52	213	459	265	215	370	850	1309
15	Hkpusoj		26	26	63	118	207	174	172	469	815	1022
16	/kuckn		49	27	186	57	270	177	890	538	1605	1875
17	te'knij		80	166	14	98	278	1744	286	766	2796	3074
18	dkydkrk		12	68	0	13	81	267	0	132	399	480
19	ejt¶Qj ij		20	52	115	29	196	81	352	145	578	774
20	jkÅjdyk		34	118	108	113	339	234	451	306	991	1330
	dly i - va		421	1388	600	1550	3538	4853	2602	5259	12714	16252
21	i f"pe vpy	dly i - va	72	175	227	171	573	1344	355	431	2130	2703
22	vgenkcln		45	9	186	162	357	117	378	793	1288	1645
23	oMknjk		55	80	0	16	96	80	923	943	1946	2042
24	xkdk		168	60	18	162	240	1732	134	836	2702	2942
25	eifcbz		112	91	101	115	307	2572	493	767	3832	4139
26	i qks		47	45	4	145	194	498	15	1057	1570	1764
27	jktdkv		64	144	173	120	437	679	426	963	2068	2505
	Flk.ks		563	604	709	891	2204	7022	2724	5790	15536	17740
28	nf{k.k vpy	dly n- va	34	2	0	136	138	209	72	823	1104	1242
29	cayw		129	153	1	108	262	2514	43	2286	4843	5105
30	pduS		70	15	0	229	244	234	6	2303	2543	2787
31	dkphu		45	0	0	4	4	623	0	1058	1681	1685
32	dk{k EcUkj		18	6	0	52	58	136	11	484	631	689
33	gryjh		66	125	16	171	312	465	55	1751	2271	2583
34	gñjckcln		27	3	0	159	162	103	0	764	867	1029
35	dkf"kdM		38	0	0	2	2	299	18	1174	1491	1493
36	enjs		26	5	4	27	36	98	103	698	899	935
37	eayw		21	26	16	26	68	188	16	568	772	840
38	fot; okM+		21	11	2	137	150	110	86	494	690	840
	fo'lk[kki VV.ke		495	346	39	1051	1436	4979	410	12403	17792	29228

I kj . kh &VII&जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	m̥Vkj & i ɒz vɒy										
39	xɒŋklVh	25	2	96	6	104	0	569	266	835	939
40	bEQky	70	79	40	987	1106	161	99	1392	1652	2758
41	frul fɔd; k	21	0	0	39	39	4	6	791	801	840
42	fɪl yhɪxVh	24	170	70	16	256	426	90	183	699	955
	dʒy m- i w və	140	251	206	1048	1505	591	764	2632	3987	5492
	e/; vɒy										
43	jk; ij	22	8	7	59	74	275	81	339	695	769
44	hɪkɪ ky	120	175	229	61	465	2110	727	1253	4090	4555
45	bʌnlʃ	19	17	0	4	21	309	38	379	726	747
46	tcyij	64	136	244	431	811	369	367	1013	1749	2560
47	Xɔlfy; j	36	40	0	59	99	645	29	637	1311	1410
48	t; ij	34	44	1	49	94	525	176	526	1227	1321
49	m̥n; ij	19	0	45	2	47	118	190	402	710	757
50	ukxiij	102	103	34	65	202	1471	836	995	3302	3504
	dʒy e- və	416	523	560	730	1813	5822	2444	5544	13810	15623
	dʒy ; lks	2536	5168	2120	7280	14568	32646	9024	37872	79542	94110

I kj .kh & VIII

vifly] 2014 Is ekp] 2015 ds nk{ku if"kf{kr if"k{kdk{, oa Jfedka dk vayokj fooj.k

## I kj . kh &amp; VIII&amp;जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	mYkj & i wL vpy									
39	xplgkVh	--	--	--	0	--	--	--	--	--
40	bEQky	--	--	--	10	--	10	--	--	--
41	frul fd; k	--	--	--	--	--	--	--	--	--
42	fl yhxMh	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	e/ vpy									
43	jk; ij	--	--	--	17	3	20	27	--	27
44	Hkki ky	--	--	--	9	5	14	0	--	0
45	bUnkj	--	--	--	0	--	0	37	13	50
46	tcyij	--	--	--	0	--	--	--	--	--
47	Xolfy; j	--	--	--	20	9	29	--	--	--
48	t; ij	--	--	--	37	10	47	--	--	--
49	mn; ij	--	--	--	0	--	0	--	--	0
50	ukxij	--	--	--	27	14	41	32	8	40
	dy ; kx	131	54	185	719	296	1015	1593	713	2306

## I kj . kh &amp; ix

vi s] 2014 | s ekp] 2015 ds nkjku i f"kf{kr i f"k{kdk , oa Jfedka dk m | kxkuq kj C; kjk

क्र. सं.	उद्योग का नाम	प्रशिक्षक			श्रमिक (इकाई स्तर की कक्षाएं)			
		सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	df'k	--	10	0	10	13	22	35
2	phuh	--	19	11	30	5	28	53
3	[kk] , oai§	--	19	0	19	0	50	50
4	[kuu ɻeVkfyd½	--	0	10	10	22	0	22
5	[kuu ɻukW eVkfyd½	--	0	0	0	33	0	33
6	di Mk rFkk gkstjh	--	0	2	2	0	65	65
7	iVI u	--	0	0	0	6	60	13
8	vflk; kf=dh	--	6	28	34	140	30	170
9	j l k; u ,oamojd	--	0	0	0	22	0	22
10	dkxt , oadkxt mRikn	--	0	0	0	0	93	93
11	enpk rFkk iZk'ku	--	20	0	20	38	0	38
12	I heV	--	0	--	--	0	102	102
13	Xykl vlj feVvh dscrL	--	0	--	--	30	0	30
14	peMk m   kx	--	0	--	--	104	68	172
15	jcj rFkk jcj mRi knu	--	0	--	--	8	22	30
16	i fjogu	--	16	0	16	124	0	124
17	cUnjxkg , oaxknh	--	0	--	--	35	0	35
18	okf.kT; I ok	--	0	--	--	0	45	45
19	I jdkjh rFkk LFkkuh; fudk;	--	0	0	0	109	0	109
20	fo   r rFkk 'kfDr	--	20	0	20	314	0	314
21	i Vlfy; e	--	0	0	0	91	45	136
22	byDVWuDI	--	6	0	6	80	38	118
23	j {kk	--	15	0	15	214	0	214
24	cfdk	--	0	--	0	69	28	97
25	fofo/k	--	0	3	3	136	70	206
	clv ; kx	--	131	54	185	1593	713	2306

## I kj . kh &amp; X

i f"kf{kr Jfedka ds fy , 2014&amp;2015 ds nkjku i pu"p; kZ i kB; Øe ½ fnol h; ½

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल योग	
			अ.जा. (4)	अ.ज.जा. (5)	अन्य (6)	योग (7)	अ.जा. (8)	अ.ज.जा. (9)	अन्य (10)	योग (11)				
(1)	(2)	(3)												
1	xkft ; kckn	1	0	0	10	10	0	0	0	0	7	3	10	
2	oMknjk	1	2	0	17	19	0	0	0	0	12	7	19	
1	pñus	1	0	0	21	21	0	0	0	0	16	5	21	
3	gñjkckn	1	3	0	10	13	0	0	1	1	14	0	14	
	dy ; bx		4	5	0	58	63	0	0	1	1	49	15	64

## I kj . kh &amp; xi

vi &amp; y] 2014 | s ekp] 2015 ds nk]ku 0; fDrRo fodkl dk; DDe 1/21 fnol h; h

क्र. सं.	ज्ञातीय निदेशालय	कार्यक्रम संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग	
			अ.जा. (4)	अ.ज.जा. (5)	अन्य (6)	योग (7)	अ.जा. (8)	अ.ज.जा. (9)	अन्य (10)	योग (11)		
(1)	(2)	(3)										
	<b>mVkj vpy</b>											
1	bykgkckn	-	1	4	0	23	27	0	..	1	1	28
2	cjsyh	-	1	1	..	14	15	0	0	0	0	15
3	p.Mhx<+	-	1	5	..	13	18	..	..	..	..	18
4	fnYyh	-	1	..	..	40	40	..	..	1	1	41
5	Qjhmkckn	-	1	..	..	20	20	..	..	1	1	21
6	xkft+ kckn	-	2	5	..	48	53	..	..	1	1	54
7	xkj [ki j	-	1	3	..	16	19	..	..	..	0	19
8	tEew	-	1	..	..	21	21	..	..	..	0	21
9	dkui j	-	3	8	..	44	52	3	..	20	23	75
10	ijok.kw	-	1	10	1	17	28	..	0	0	..	28
	<b>dy m- va -</b>		13	36	1	256	293	3	0	24	27	320
	<b>iDl vpy</b>											
11	vkl ul ky	-	1	1	0	11	12	0	0	0	0	12
12	cjdij	-	1	1	2	14	17	..	..	..	..	17
13	cjgkeij	-	1	7	10	56	73	5	6	17	28	101
14	Hkpusoj	-	1	12	8	39	59	4	5	24	33	92
15	/kuckn	-	1	6	2	19	27	..	..	2	2	29
16	te'knij	-	1	..	2	19	21	..	..	3	3	24
17	dkydkrk	-	1	..	..	11	11	..	..	4	4	15
18	eqt!Qjij	-	0	..	2	..	0	..	..	..	0	0
19	jkph	-	1	15	..	1	18	..	..	..	0	18
20	jkAjdyl	-	0	..	..	..	..	..	0	..	0	0
	<b>dy i- va -</b>		8	42	26	170	238	9	11	50	70	308
	<b>if'pe vpy</b>											
21	vgenkckn	-	1	..	..	21	21	0	0	0	0	21
22	oMknjk	-	1	4	4	19	27	0	0	0	0	27
23	xlok	-	0	..	..	..	..	..	..	..	..	0
24	e[cbz	-	0	..	..	..	..	..	0	0	0	0
25	iqks	-	0	..	..	..	..	..	..	..	0	0
26	jktdkv	-	1	2	..	27	29	1	0	1	2	31
27	Fkk.lk	-	0	..	..	..	0	..	..	..	0	0
	<b>dy i- va -</b>		3	6	4	67	77	1	0	1	2	79
	<b>nf{t.k vpy</b>											
28	cxyi	-	0	..	..	..	..	..	..	..	0	..
29	pduS	-	3	..	..	92	92	..	..	4	4	96
30	dkphu	-	..	..	..	..	0	..	..	..	..	0
31	dkS EcUkj	-	..	..	..	..	0	..	..	..	..	0
32	gpyh	-	..	..	..	..	0	..	..	..	..	0
33	gfhjkckn	-	1	10	2	13	25	0	0	0	0	25
34	dkf' dkdkM	-	1	..	..	6	6	..	..	7	7	13
35	enjS	-	1	..	..	13	13	..	..	..	..	13
36	eayi	-	0	..	..	..	0	..	..	..	..	0
37	fot; okM+	-	0	..	..	..	0	..	..	..	..	0
38	fo'lk [ki VV.ke	-	0	..	..	..	0	..	..	..	0	0
	<b>dy n- va -</b>		6	10	2	124	136	0	0	11	11	147

## । kj . kh &amp; XI &amp; जारी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	<b>mVj &amp; i vpy</b>										
39	xpkglVh	-	..	..	..	0	..	..	..	0	0
40	bEQky	-	1	..	..	1	1	0	0	9	9
41	frul fd; k	-	..	..	..	0	..	..	..	0	0
42	fl yhxMh	-	..	..	..	0	..	..	..	0	0
	<b>dy m- i va</b>	1	0	0	1	1	0	0	9	9	10
	<b>e/; vpy</b>										
43	jk; ij	-	1	5	0	14	19	..	..	1	1
44	Hkki ky	-	1	5	1	8	14	..	..	..	14
45	blnlj	-	0	..	..	..	0	..	..	..	0
46	tcyij	-	0	..	..	..	0	..	..	..	0
47	Xolfy; j	-	1	1	1	24	26	0	0	3	3
48	t; ij	-	2	5	7	34	46	..	..	1	1
49	mn; ij	-	0	..	..	..	0	..	..	0	0
50	ulkxij	-	1	8	2	26	36	4	0	1	5
	<b>dy e-va</b>	6	24	11	106	141	4	0	6	10	151
	<b>dy ; lx</b>	37	118	44	724	886	17	11	101	129	1015

## I kj . kh &amp; XII

vi] 2013 Is ekp] 2014 ds nkjku if"kk{k.k ikBî Øeka dh ixfr fji kVz

गतिविधि (1)	कार्यक्रम सं. (2)	पुरुष				महिला				कुल योग (11)
		अ.जा. (3)	अ.ज.जा. (4)	अन्य (5)	योग (6)	अ.जा. (7)	अ.ज.जा. (8)	अन्य (9)	योग (10)	
jkVt; Lrj										
mVkj&iDzjkVt; Lrj ½ fnol h; ½	15	32	51	193	276	16	56	102	174	450
{k-h; Lrj										
if'k{kdkdk if'k{k.k ¼5 fnol h; ½	6	11	5	161	177	3	0	5	8	185
0; fDrRo fodkl dk; Øe ¼1 fnol h; ½	37	118	44	724	886	17	11	101	129	1015
if'k{kdkdsfy, i'p; kVikBî Øe ½ fnol h; ½	4	5	0	58	63	0	0	1	1	64
I aDr 'ks{kdk dk; Øe ½ fnol h; ½	4	9	4	67	80	0	0	1	1	81
vko'; drk ij vk/kkfjr ifjl økn ½ fnol h; ½	278	599	291	4743	5633	192	173	900	1265	6898
I hVhi hth I fgr Lo; dk fuelk dk; Øe ½ fnol h; ½	9	4	0	128	132	0	0	3	3	135
i cdku eaJfedkdh Hkxhnhjh ½ fnol h; ½	10	36	5	219	260	0	0	32	32	292
I aDr 'ks{kdk dk; Øe ¼1 fnol h; ½	606	1034	419	11114	12567	311	172	1965	2448	15015
mRrj&iDzjkT; Lrjh; dk; Øe ½ fnol h; ½	--	--	--	--	0	--	--	--	0	0
0; fDrRo fodkl dk; Øe ¼0 fnol h; ½	2	0	0	0	0	3	5	52	60	60
vko'; drk ij vk/kkfjr ifjl økn ¼1 fnol h; ½	10	13	16	85	114	15	82	111	208	322
<b>bdkbZLrj</b>										
bdkbZLrj dh d{kk, a½akdkyhu½ ¼5 fnol h; ½	84	135	37	1784	1956	35	21	249	305	2261
bdkbZLrj dh d{kk, a½akdkyhu½ ¼21 fnol h; ½	2	12	2	31	45	0	0	0	0	45
bdkbZLrj dh d{kk, a½aklrgd½ ¼0 fnol h; ½	0				0				0	0
I aDr 'ks{kdk dk; Øe ½ fnol h; ½	264	516	176	5228	5920	148	26	661	835	6755
Lo; dk fuelk dk; Øe ½ fnol h; ½	154	264	221	2363	2848	10	36	114	160	3008
Lo; dk fuelk dk; Øe ¼1 fnol h; ½	191	330	82	2920	3332	14	45	169	228	3560
vko'; drk ij vk/kkfjr fo'ksk ifjl økn ½ fnol h; ½	1	8	2	15	25	2	0	1	3	28
dk; kRed iks+l k{kjrk d{kk, a ¼80 fnol h; ½	3	0	0	0	0	5	3	43	51	51
thou dh xqkoYkk dk; Øe ¼ afBr {ks=½ ¼ fnol h; ½	4	20	1	57	78	20	1	57	78	156

I kj .kh & XII—जारी

I kj . kh & XII—जारी

## I kj . kh &amp; XIII

vi &amp;] 2014 Is ekp] 2015 ds nkjku dk; kred i k+I kj rk d{kkvka e i f"kf{kr Jfed

क्र.सं.	श्रेणी	कार्यक्रम सं.	पुरुष				महिला				कुल योग (12)
			अ.जा. (4)	अ.ज.जा. (5)	अन्य (6)	योग (7)	अ.जा. (8)	अ.ज.जा. (9)	अन्य (10)	योग (11)	
1	[knku	1	--	--	--	0	1	2	9	12	12
2	dk yk	1	--	--	--	0	4	1	9	14	14
3	vll;	1	--	--	--	0	0	0	25	25	25
	dy ..	3	0	0	0	0	5	3	43	51	51

I kj.kh & XIV

31 ekp 2015 rd Je l&k l&Buks vks vll; fudk; k@l l&Fkuks dks iñYk l gk; rk vunku

## I kj .kh &amp; xv

i f"kf{kr f"k{k vf/kdkfj ; k} i f"k{kdk , o a Jfedka dh I {; k 1958&amp;2015%

योजना / वर्ष	शिक्षा अधिकारी	प्रशिक्षक	व्यवित्तव्य विकास कार्यक्रम	श्रमिक			श्रमिक			
				इकाई स्तर कक्षाएं	अल्प कालीन कार्यक्रम	ग्रामीण स्वयंसेवक	ग्रामीण जागरूकता शिविर	असंगठित क्षेत्र शिविर	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं	अनुदान ग्राहियों द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
nijh ; kstuk (1958&61)	100	1070	--	9070	--	--	--	--	--	0
rhljh ; kstuk (1961&66)	217	6340	--	309470	--	--	--	--	--	2371
okfid ; kstuk (1966&69)	59	9055	--	419823	105975	--	--	--	--	9187
plkh ; kstuk (1969&74)	36	14856	--	802394	307591	--	--	--	--	72987
ikpola ; kstuk (1974&78)	44	15166	--	720458	485594	--	6214	--	--	110393
okfid ; kstuk (1978&79) (1979&80)	46	3955	--	213677	91306	--	7386	--	--	25417
--	3927	--	185891	38563	--	17671	5241	4149	25911	
NBoha ; kstuk 1980&85	56	15984	3087	667160	32970	589	268556	86691	116551	124106
Ikroha ; kstuk 1985&90	78	6588	19677	279194	170485	236	451936	60027	64749	123121
okfid ; kstuk 1990&91	--	1209	3957	52385	46041	169	139798	17138	13607	15056
1991&92	24	1305	3904	52424	47504	124	136861	18321	9972	15544
vkBoha ; kstuk 1992&97	75	5721	17397	230281	240562	1054	494239	84909	40258	59424
uksha ; kstuk 1997&2002	--	2737	16495	112171	706939	149	403588	187672	9310	36926
nloha ; kstuk 2002&2007	81	1470	10606	28071	336173	0	516765	623111	1698	30369
Xkjgoha ; kstuk 2007&2012	--	1134	7275	15361	279644	0	500276	700630	343	24922
okfid ; kstuk 2012&2013	--	204	1158	2318	46542	0	90442	281710	366	2322
okfid ; kstuk 2013&2014	--	195	988	1757	47169	0	91742	285992	185	2847
okfid ; kstuk 2014&2015	--	185	1075	2306	43437	0	66564	237208	51	3134
<b>dy ; lx -</b>	<b>816</b>	<b>91101</b>	<b>85619</b>	<b>4104211</b>	<b>3026495</b>	<b>2321</b>	<b>3192038</b>	<b>2588650</b>	<b>261239</b>	<b>684037</b>

# वार्षिक लेखा

वित्तीय वर्ष

2014-2015



केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड,

भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,

वी. एन. आई. टी. गेट के पास, उत्तर अंबाझरी रोड,

नागपुर-440 033



गुलजारी लाल

प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक

### भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय, मुंबई,  
सी-25, लेखा परीक्षा भवन, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स,  
बान्द्रा (पूर्व), मुंबई-400 051.

दूरभाष : (022) 2657 2578, फैक्स : 2657 2451,  
ई-मेल : pdacentralmumbai@cag.gov.in

डी.ओ.सं. पीडीए(सी)/मु./सी एण्ड एबी/एसएआर/सीबीडब्ल्यूई/14-15/1073, दिनांक 23 दिसम्बर, 2015

प्रिय श्रीमती तिवारी,

मैंने केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक लेखा की लेखा परीक्षा किया है तथा दिनांक 18.12.2015 के पत्रानुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी किया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित त्रुटियाँ जोकि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश नहीं की गई थीं, को आपके द्वारा सुधारक तथा उपचारी कार्रवाई हेतु ध्यान में लाया जा रहा है :

1. वित्तीय विवरण क्षेत्रीय कार्यालय के प्राप्तियाँ एवं व्यय विवरण से तैयार किया गया है जिसे मुख्यालय के साथ जोड़ दिया गया है, फिर भी इसे लेखा की टिप्पणी में प्रकट नहीं किया गया है।
2. यद्यपि संस्थान ने लेखा की उपार्जन प्रणाली का अनुसरण किया है। लेखा में मार्च माह का वेतन अप्रैल में किया गया है इसकी व्यवस्था नहीं की गई है।
3. बोर्ड ने उन बैंकों के साथ व्यवहार किया है जो निवेश के रूप में सावधिक जमा करते हैं और जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक है तथा सावधिक जमा के बाकी को चालू आस्तियों के रूप में व्यवहार किया जाता है। तथ्य को महत्वपूर्ण लेखा नीति में प्रकट किया जाना चाहिए।
4. लेखा की टिप्पणी में अनुदान लेखा नीति को उपर्युक्त ढंग से प्रकट नहीं किया गया है।
5. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ एवं लेखा की टिप्पणियों को लेखा के साथ बहुत ही संक्षेप में अनुलग्नित किया गया है। भविष्य में लेखा के यूनिफार्म फारमेट के अनुबंध में लेखा की टिप्पणियों के साथ लेखा में अनुलग्न किया जाना चाहिए तथा इसके साथ-साथ बोर्ड की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विस्तृत विवरण एवं स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाना चाहिए।
6. यह देखा गया है कि दूबारा अनुस्मारक देने के बावजूद भी वित्तीय वर्ष में आयोजित बोर्ड की शासी निकाय, वित्त समिति तथा आपके संगठन की अन्य बृहत समितियों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त को लेखा परीक्षा के लिए पृष्ठांकित नहीं किया गया है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में सभी बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त को लेखा परीक्षा के लिए अवश्य भेजें।

सादर,

आपका,

हस्ता ./-

श्रीमती नम्रता तिवारी,

निदेशक,

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड,

उत्तर अंबाझरी मार्ग,

नागपुर-440 033.



### **भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग**

प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक का कार्यालय (केन्द्रीय)  
सी-25, लेखा परीक्षा भवन, आयकर भवन के पीछे,  
बान्द्रा, कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई-400 051.

दूरभाष : (022) 2657 2578, फैक्स : 2657 2451,

इपीएबीएक्स : 2657 1750/41/42/36, फैक्स : 657 2951/657 2451

सं. पीडीए(सी)/मु./सी एण्ड एबी/एस.ए.आर./2014-15/सीबीडब्ल्यूई, दिनांक .....

सेवा में,

सचिव,  
भारत सरकार,  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,  
नई दिल्ली-110 001.

महोदय,

**विषय : वर्ष 2014-15 के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के लेखा पर विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट :**

संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के लेखा पर विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट कृपया इसके साथ संलग्न है।

(1) लेखा विवरण।

(2) अनुलग्नक सहित अंग्रेजी में लेखा परीक्षा रिपोर्ट-सह-लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र।

संसद मे प्रस्तुत किए जाने वाले कागजातों की प्रतियाँ एवं संसद के दोनों सदनों में उन कागजातों को प्रस्तुत करने की तिथि की सूचना कृपया हमारे कार्यालय को दें।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

हस्ता./-

निदेशक/सी एण्ड ए बी

सं. पीडीए(सी)/मु./सी एण्ड एबी/एस.ए.आर./2014-15/सीबीडब्ल्यूई/1067, दिनांक 21.12.15

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा के साथ लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र अंग्रेजी में निदेशक, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नार्थ अम्बाझरी रोड, नागपुर-440 033 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित की जाती है। संसद के दोनों सदनों में कागजातों को प्रस्तुत करने की तिथि(यों) की सूचना इस कार्यालय को भेजी जाए।

हस्ता./-

निदेशक/सी एण्ड ए बी

निदेशक,  
केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड,  
नार्थ अम्बाझरी रोड,  
नागपुर-440 033.

31 ekp] 2015 dks | ekIr oṣ ds fy, dñh; Jfed f"kk ckm] ukxi j ds y[kk ij fu; fd ,oa egk y[kk ij h{kdk] Hkkjr | jdkj dh vyx | s y[kk fj i kVA

हमने 31 मार्च, 2015 को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर (केश्रशिबो) के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 20(ii) के अंतर्गत लेखा परीक्षा कर ली है। 2017-18 की अवधि तक लेखा परीक्षा सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों में बोर्ड की इकाइयों/शाखाओं के लेखाएं सम्मिलित हैं। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

2. इस विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखाकरण पद्धतियाँ, लेखाकरण मानदण्डों एवं अनावृत मानकों आदि सहित वर्गीकरण, अनरूपता से संबंधित केवल लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी एवं दक्षता-सह-निष्पादन तथ्य आदि, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट्स नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई है।

3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा संचालित किया है। सामग्रियों के यथार्थ विवरण से मुक्त वित्तीय विवरणों के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमें लेखा परीक्षा की योजना बनाना एवं निष्पादित करना इन मानकों के लिए अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों में राशि के पक्ष में एवं विपक्ष में साक्ष्य जाँच आधार पर परीक्षण करना लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। प्रयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राककलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों में सर्वाग्नि प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय में एक यथार्थ आधार मुहैया कराती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है :

- (i) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।
- (ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में प्राप्त कर लिया है।
- (iii) हमारी राय में बोर्ड द्वारा इस संस्था के ज्ञापन के नियम एवं विनियम 20(i) के अंतर्गत तथा अपेक्षित, लेखा की उचित पुस्तकें एवं अन्य संगत अभिलेख बनाये रखे गये हैं जैसेकि हमने ऐसी पुस्तकों को देखा है।
- (iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

y[kk ij fVI .kh

d- rgyu i=

d-1- आस्तियाँ

d1-1- vpy आस्तियाँ % रुपये 430.35 लाख (अनुसूची 8)

(i) अचल आस्तियों को रुपये 100.56 की प्रगति में पूंजीगत कार्य को समाविष्ट किया गया है जिसे लेखा बही में वर्ष 2005-06 से अग्रेन्ट किया गया है। भवन का निर्माण मार्च, 2007 में रुपये 123.68 लाख की लागत से पूरा कर लिया गया है। जिसे जुलाई, 2008 से प्रयोग में लाने हेतु रखा गया था। रुपये 123.68 लाख को वर्ष 2008-09 में अचल सम्पत्तियों में दर्ज किया जाना चाहिए। संस्थानद्वारा किसी दर्ज समायोजन को नहीं दिखाया गया है और आज की तिथि तक चालू आस्तियाँ रुपये 23.12 लाख हैं। उपर्युक्त का गैर-लेखा उस तिथि से अचल आस्तियों के रूप में हैं जिसे इन आस्तियों के लिए मूल्यांकन के गैर प्रावधान में प्रयोग के लिए रखा जाना था और इसलिए स्थिर आस्तियों को रुपये 41.40 लाख अधिक बताया गया है, चालू आस्तियों को रुपये 23.12 लाख अधिक बताया गया है तथा समग्र राशि को रुपये 64.52 लाख अधिक बताया गया है।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सितम्बर तक प्रयोग में लाई जाने वाली आस्तियों के लिए मूल्यहास पूर्ण दर से प्रभार्य है। यद्यपि बोर्ड ने आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास की दर को अंगीकार कर लिया है। वित्तीय वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों के पूंजीकरण की तिथि को ध्यान दिए बिना पूर्ण दर से प्रभार लगाया गया है। इसके बाद वर्ष के दौरान रुपये 0.96 लाख की कीमत के कम्प्यूटर खरीदे गये हैं जिसे “कार्यालय उपकरण” शीर्ष के अंतर्गत गलत ढंग से वर्गीकृत किया गया है। मूल्यहास की दर का गलत अनुप्रयोग एवं गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप “अचल आस्तियों” एवं समग्र/पूंजीगत निधि को रुपये 2.10 लाख कम करके बताया गया है।

(iii) महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अनुसार बोर्ड ने आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास की दर को अंगीकार किया है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार “कार्यालय उपकरण” पुस्तकालय पुस्तके एवं दृश्य-श्रव्य साधनों को मूल्यहास दर क्रमशः 25, 10 एवं 25 प्रतिशत है जबकि 15, 60 एवं 15 प्रतिशत प्रस्तावित था। परिणामस्वरूप स्थिर आस्तियाँ एवं समग्र/पूंजीगत निधि को रुपये 16.52 लाख अधिक बताया गया है। स्थिर आस्तियों, चालू आस्तियों एवं समग्र निधि को क्रमशः रुपये 60.02 लाख, रुपये 23.12 लाख एवं रुपये 83.14 लाख अनुमानतः अधिक बताया गया है।

### **क्र. 1.2 चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 11) रुपये 3711.33 लाख**

(1) “चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम” शीर्ष को रुपये 846.17 लाख की पूंजीगत अग्रिम में समाविष्ट किया गया है। इनमें से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान रोहिणी, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए रुपये 322.56 लाख दिया गया था और 31 मार्च, 2015 को निर्माण कार्य पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने रुपये 242.26 लाख खर्च कर दिया है और रुपये 80.30 लाख शेष बचा था। इसलिए रुपये 242.26 लाख का कार्य पर व्यय पहले से ही किया गया था। स्थिर आस्तियों के रूप में राशि को प्रगति में पूंजीगत कार्य में दिखाया जाना चाहिए। पूंजीगत अग्रिम का निपटान न होने से “चालू आस्तियाँ”, ऋण एवं अग्रिम को अधिक बताया गया है और स्थिर आस्तियाँ-प्रगतिमें पूंजीगत कार्य को रुपये 242.26 लाख कम बताया गया है।

(2) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को रुपये 93.64 लाख की पूंजीगत अग्रिम निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भुगतान की गई थी :

(i) 31 मार्च, 2011 को रुपये 26.25 लाख की डी.जी. सेट की खरीदी के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सितम्बर, 2012 को बोर्ड को आस्ति सुरुद्द कर दी थी तब से यह प्रयोग में है।

(ii) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय के कार्यालय भवन की कम्पाउण्ड वॉल का निर्माण कराने के लिए वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रमशः रुपये 23.88 लाख एवं रुपये 43.51 लाख का दो अलग जमा कार्य 31 मार्च, 2013 एवं 31 मार्च, 2014 को क्रमशः रुपये 16.64 लाख एवं रुपये 34.37 लाख की लागत से कार्य पूरा कर लिया गया था।

परिणामतः ये कार्य आस्तियों में सम्मिलित हैं जिसका पूंजीकरण होना चाहिए। उपर्युक्त का पूंजीकरण नहीं होने से परिणाम निम्न प्रकार है :

1. पूंजीगत लेखा में अग्रिम के रूप में रुपये 93.64 लाख अधिक है। चालू आस्तियाँ रुपये 77.26 लाख (रुपये 93.64 लाख, रुपये 16.38 लाख) अधिक है। प्राप्त होने वाले दावे रुपये 16.38 लाख की स्थिर आस्तियाँ कम हैं।

2. स्थिर आस्तियाँ रुपये 55.41 लाख (चालू आस्तियाँ रुपये 77.26 लाख-संचयी मूल्यहास रुपये 21.85) अधिक हैं।

3. समग्र निधि की प्रसंग में संचयी मूल्यहास राशि रुपये 21.85 लाख अधिक है।

### **ख. आय एवं व्यय लेखा**

#### **ख.1. अनुदान/सहायिकी से आय (अनुसूची 13) रुपये 5611.46 लाख**

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के बाद बोर्ड को चालू वर्ष (2014-15) की आय के रूप में पिछले वर्ष रुपये 511.17 लाख का अव्ययित योजना अनुदान स्वीकृत हुआ। इसके बाद वर्ष 2014-15 के लिए रुपये 1675.78 लाख के योजना अनुदान आय से रुपये 1164.61 लाख योजना अनुदान प्राप्त किया था। तथापि बोर्ड को रुपये 1661.82 लाख के योजना अनुदान से आय स्वीकृत हुआ है। परिणामस्वरूप आय को कम बताया गया है तथा योजना अनुदान के जमा शेष को रुपये 13.96 लाख कम बताया गया है और इस प्रसंग में उद्दिष्ट स्थाई निधि को भी कम बताया गया है। इसे समाधान होने की आवश्यकता है।

#### **ग. सामान्य**

1. लेखाकरण मानक एवं केन्द्रीय स्वायत्त निकाय की लेखा के यूनिफार्म फार्मेट के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, गेच्यूटी एवं छुट्टी की नगदीकरण के संबंध में देय देयताएं के प्रावधान को बीमांकित आधार पर अर्जित करने की आवश्यकता है और वर्ष की समाप्ति तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

2. चालू आस्तियों के अधीन प्राप्त होने वाले अनुदान के रूप में गैर-योजना अनुदान के अंतर्गत रूपये 0.48 लाख अधिक व्यय किया गया है। फिर भी रूपये 0.48 लाख अधिक व्यय की गई आय के घाटे को अनुसूची-13 (अनुदान एवं सहायिकी) के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया गया है।

3. बोर्ड ने रूपये 57.63 करोड़ अनुदान प्राप्त किया है और पिछले वर्षों की बचत से रूपये 5.11 करोड़ समायोजित की गई है। फिर भी बोर्ड ने वर्ष के दौरान आवती एवं भुगतान लेखा में अनुदान से प्राप्ति में रूपये 62.64 करोड़ को दर्शाया है। जिसे समाधान करने की आवश्यकता है।

#### **घ. अनुदान सहायता**

पिछले वर्ष के दौरान अव्ययित योजना अनुदान रूपये 5.11 करोड़ सहित कुल सहायता अनुदान रूपये 62.79 करोड़ (रूपये 16.76 करोड़ योजना योगदान + 46.03 करोड़ गैर-योजना अनुदान) प्राप्त हुआ था। ३१ मार्च, २०१५ तक बोर्ड ने अव्ययित शेष रूपये 57.80 करोड़ प्रयोग में ला सका है। यह अव्ययित जमा सारणी में अव्ययित जमा के आकड़ों के साथ मेल नहीं खाता है जिसे उद्दिष्टि निधि एवं प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा में रूपये 62.64 करोड़ को दर्शाया है। जिसे समाधान करने की आवश्यकता है।

#### **घ. प्रबंधन पत्र**

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश न की गई त्रुटियों को सुधारक/उपचारी कार्रवाई हेतु अलग से प्रबंधन पत्र द्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के ध्यान में लाया गया है।

(v) इसके पहले के पैराग्राफ में किए गए अवलोकन के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि, तुलन पत्र तथा आय-व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा आदि इस रिपोर्ट से संबंधित खाता बही के अनुरूप है।

(vi) हमारी राय और हमारी बेहतर जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्नक में उल्लिखित अन्य बातों तथा लेखों की टिप्पणियों तथा लेखाकरण नीतियों के साथ ही उपर्युक्त वित्तीय विवरणों को बताया गया है। जोकि साधारणतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुरूप सही और शुद्ध है :

**क.** जहाँ तक 31 मार्च, 2015 तक बोर्ड के क्रियाकलापों की स्थिति का तुलनपत्र के संबंध में तथा

**ख.** जहाँ तक वर्ष की समाप्ति के लिए उस तिथि तथा आय एवं व्यय लेखा का अधिशेष के संबंध में।

कृते एवं की ओर से  
भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

हस्ता./-

प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (केन्द्रीय)

स्थान : मुंबई.

दिनांक : 18.12.2015.

### संलग्नक

#### 1- vkrfjd ys[kk ijh{kk izkkyh dh mi ; Ørrk %

बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय, नागपूर में है। इसके अधीन 05 ऑचलिक, 50 क्षेत्रीय निदेशालय कार्यरत हैं। फिर भी अधिकांश कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई हैं।

#### 2- vkrfjd fu; æ.k izkkyh dh mi ; Ørrk %

लेखा परीक्षा में देखे गए अनुसार बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुरूप कुल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपयुक्त प्रतीत होती है। उसके बाद आवश्यक अभिलेख / रजिस्टर तथा प्रलेखन का अनुरक्षण करने तथा सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

#### 3- fLFkj vkfLr; kɔ dk iR; {k I R; ki u %

मुख्यालय में पिछले 02 वर्षों से स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। कुछ क्षेत्रीय निदेशालयों में आस्तियों के रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है। सभी 50 क्षेत्रीय निदेशालयों से आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट संग्रहित नहीं किया गया है।

#### 4- fLFkj oLrq I iph dk iR; {k I R; ki u%

संरक्षण में वस्तुसूची उपलब्ध नहीं है।

#### 5- I kfof/kd nš Hkqrku fu; fer : i I s djukA

बोर्ड सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है।

हस्ता / –

प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (केन्द्रीय), मुंबई

31 ekp] 2015 dks I eklr oS ds fy, dUnh; Jfed f"kk ckM] ukxi g ds ys[kk ij Hkkjrh; fu; fd ,oa egk ys[kk ij h{kld dh vyx I s ys[kk ij h{kld fji kVA

लेखा परीक्षा रिपोर्ट (1)	जवाब (2)
<p>हमने 31 मार्च, 2015 को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर (केश्रशिबो) के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 20(ii) के अंतर्गत लेखा परीक्षा कर ली हैं। 2017–18 की अवधि तक लेखा परीक्षा सौंपी गई है। इन वित्तीय विवरणों में बोर्ड की इकाइयों/शाखाओं के लेखाएं सम्मिलित हैं। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।</p> <p>2. इस विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखाकरण पद्धतियाँ, लेखाकरण मानदण्डों एवं अनावृत मानकों आदि सहित वर्गीकरण, अनरूपता से संबंधित केवल लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेन–देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी एवं दक्षता–सह–निष्पादन तथ्य आदि, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट्स नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई है।</p> <p>3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा संचालित किया है। सामग्रियों के यथार्थ विवरण से मुक्त वित्तीय विवरणों के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमें लेखा परीक्षा की योजना बनाना एवं निष्पादित करना इन मानकों के लिए अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों में राशि के पक्ष में एवं विपक्ष में साक्ष्य जाँच आधार पर परीक्षण करना लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। प्रयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ–साथ वित्तीय विवरणों में सर्वांगिण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय में एक यथार्थ आधार मुहैया कराती है।</p> <p>4. हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:</p> <p>(i) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।</p>	

**yſ[kk i j h{kk fj i k\\$Vz-जारी**

लेखा परीक्षा रिपोर्ट (1)	जवाब (2)
<p>(ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में प्राप्त कर लिया है।</p> <p>(iii) हमारी राय में बोर्ड द्वारा इस संस्था के ज्ञापन के नियम एवं विनियम 20(i) के अंतर्गत तथा अपेक्षित, लेखा की उचित पुस्तकें एवं अन्य संगत अभिलेख बनाये रखे गये हैं जैसेकि हमने ऐसी पुस्तकों को देखा है।</p> <p>(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:</p> <p style="text-align: center;"><b>yſ[kk i j fVl i .kh</b>  <b>d- rgyu i =</b>  <b>d-1- vklfLr; k</b>  <b>d-1-1- fLFkj vklfLr; k ½vud ph 8½ रुपये 430.35 लाख</b></p> <p>(i) अचल आस्तियों को रुपये 100.56 की प्रगति में पूंजीगत कार्य को समाविष्ट किया गया है जिसे लेखा बही में वर्ष 2005-06 से अग्रेन्टि किया गया है। भवन का निर्माण मार्च, 2007 में रुपये 123.68 लाख की लागत से पूरा कर लिया गया है। जिसे जुलाई, 2008 से प्रयोग में लाने हेतु रखा गया था। रुपये 123.68 लाख को वर्ष 2008-09 में अचल सम्पत्तियों में दर्ज किया जाना चाहिए। संस्थान किसी दर्ज समायोजन को नहीं दिखाया गया है और आज की तिथि तक चालू आस्तियाँ रुपये 23.12 लाख हैं। उपर्युक्त का गैर-लेखांकन उस तिथि से अचल आस्तियों के रूप में हैं जिसे इन आस्तियों के लिए मूल्यहास के गैर प्रावधान में प्रयोग के लिए रखा जाना था और इसलिए स्थिर आस्तियों को रुपये 41.40 लाख अधिक बताया गया है, चालू आस्तियों को रुपये 23.12 लाख अधिक बताया गया है तथा समग्र राशि को रुपये 64.52 लाख अधिक बताया गया है।</p> <p>(ii) आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार सितम्बर तक प्रयोग में लाई जाने वाली आस्तियों के लिए मूल्यहास पूर्ण दर से प्रभार्य है। यद्यपि बोर्ड ने आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास की दर को अंगीकार कर लिया है। वित्तीय वर्ष के दौरान खरीदी गई आस्तियों के पूंजीकरण की तिथि को ध्यान दिए बिना पूर्ण दर से प्रभार लगाया गया है। इसके बाद वर्ष के दौरान रुपये 0.96 लाख की किमत के कम्प्यूटर खरीदे गये हैं जिसे कार्यालय उपकरण शीर्ष के अंतर्गत गलत ढंग से वर्गीकृत किया गया है। मूल्यहास की दर गलत अनुप्रयोग एवं गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप अचल आस्तियों एवं समग्र/पूंजीगत निधि को रुपये 2.10 लाख कम करके बताया गया है।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय अनुपालन किया जाएगा।</p>

## ySkk ijh{kk fj i kVZ-जारी

लेखा परीक्षा रिपोर्ट (1)	जवाब (2)
<p>(iii) महत्वपूर्ण लेखा नीति के अनुसार बोर्ड ने आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यहास की दर को अंगीकार किया है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कार्यालय उपकरण पुस्तकालय पुस्तकें एवं दृश्य-श्रव्य साधनों को मूल्यहास दर क्रमशः 25, 10 एवं 25 प्रतिशत है जबकि 15, 60 एवं 15 प्रतिशत प्रस्तावित था। परिणामस्वरूप स्थिर आस्तियाँ एवं समग्र/पूँजीगत निधि को रूपये 16.52 लाख अधिक बताया गया है।</p> <p>स्थिर आस्तियों, चालू आस्तियों एवं समग्र निधि को क्रमशः रूपये 60.02 लाख, रूपये 23.12 लाख एवं रूपये 83.14 लाख अनुमानतः अधिक बताया गया है।</p> <p><b>क1.2 चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 11) रूपये 3711.33 लाख</b></p> <p>(1) चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम शीर्ष को रूपये 846.17 लाख की पूँजीगत अग्रिम में समाविष्ट किया गया है। इनमें से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान रोहिणी, नई दिल्ली में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए बैच रूपये 322.56 लाख दिया गया था और 31 मार्च, 2015 को निर्माण कार्य पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने रूपये 242.26 लाख खर्च कर दिया है और रूपये 80.30 लाख शेष बचा था। इसलिए रूपये 242.26 लाख का कार्य पर व्यय पहले से ही किया गया था। स्थिर आस्तियों के रूप में राशि को प्रगति में पूँजीगत अग्रिम का निपटान न होने से चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम को अधिक बताया गया है और स्थिर आस्तियाँ-प्रगति में पूँजीगत कार्य को रूपये 242.26 लाख कम बताया गया है।</p> <p>(2) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को रूपये 93.64 लाख की पूँजीगत अग्रिम निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भुगतान की गई थी :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 31 मार्च, 2011 को रूपये 26.25 लाख की डी.जी. सेट की खरीदी के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सितम्बर, 2012 को बोर्ड को आस्ति सुपुर्द कर दी थी तब से यह प्रयोग में है।</li> <li>(ii) केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय के कार्यालय भवन की कम्पाउण्ड वॉल का निर्माण कराने के लिए वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान क्रमशः रूपये 23.88 लाख एवं रूपये 43.51 लाख का दो अलग जमा कार्य 31 मार्च, 2013 एवं 31 मार्च, 2014 को क्रमशः रूपये 16.64 लाख एवं रूपये 34.37 लाख की लागत से कार्य पूरा कर लिया गया था।</li> </ul>	<p>वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय अनुपालन किया जाएगा।</p>

## yſ[kk i j h{kk fj i k\\$VZ-जारी

लेखा परीक्षा रिपोर्ट (1)	जवाब (2)
<p>परिणामतः ये कार्य आस्तियों में सम्मिलित है जिसका पूंजीकरण होना चाहिए। उपर्युक्त का पूंजीकरण नहीं होने से परिणाम निम्न प्रकार है :</p> <p>(1) पूंजीगत लेखा में अग्रिम के रूप में रुपये 93.64 लाख अधिक है। चालू आस्तियाँ रुपये 77.26 लाख (रुपये 93.64 लाख, रुपये 16.38 लाख) अधिक है। प्राप्त होने वाले दावे रुपये 16.38 लाख की स्थिर आस्तियाँ कम हैं।</p> <p>(2) स्थिर आस्तियाँ रुपये 55.41 लाख (चालू आस्तियाँ रुपये 77.26 लाख-संचयी मूल्यहास रुपये 21.85) अधिक हैं।</p> <p>समग्र निधि की प्रसंग में संचयी मूल्यहास राशि रुपये 21.85 लाख अधिक है।</p> <p><b>ख. आय एवं व्यय लेखा :</b></p> <p><b>ख.1. अनुदान / सहायिकी से आय (अनु. 13)</b> <b>रुपये 5611.46 लाख</b></p> <p>श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन के बाद बोर्ड को चालू वर्ष (2014-15) की आय के रूप में पिछले वर्ष रुपये 511.17 लाख का अव्ययित योजना अनुदान स्वीकृत हुआ। इसके बाद वर्ष 2014-15 के लिए रुपये 1675.78 लाख के योजना अनुदान आय से रुपये 1164.61 लाख योजना अनुदान प्राप्त किया था। तथापि बोर्ड को रुपये 1661.82 लाख के योजना अनुदान से आय स्वीकृत हुआ है। परिणामस्वरूप आय को कम बताया गया है तथा योजना अनुदान के जमा शेष को रुपये 13.96 लाख कम बताया गया है और इस प्रसंग में उदिद्घट्ट अक्षय निधि को भी कम बताया गया है। इसे समाधान होने की आवश्यकता है।</p> <p><b>ग. सामान्य :</b></p> <p>1. लेखाकरण मानक एवं केन्द्रीय स्वायत्त निकाय की लेखा के यूनिफार्म फार्मेट के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, ग्रेचूटी एवं छुट्टी की नगदीकरण के संबंध में देय देयताएं का प्रावधान को बीमांकित आधार पर अर्जित करने की आवश्यकता है और वर्ष की समाप्ति तक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। जबकि बोर्ड ने उपर्युक्त के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय अनुपालन किया जाएगा।</p> <p>तुलन पत्र में उदिद्घट्ट / स्थाई निधि के अंतर्गत सहायता एवं अनुदान की अव्ययित शेष राशि सही दर्शाई गई है। सहायता अनुदान की अव्ययित राशि आय के रूप में दर्शाई गई है। इसके साथ-साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र में दर्शाई गई है जिसका उपार्युक्त के साथ मिलान किया गया तथा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए योजना अनुदान का संशोधित उपयोगिता प्रमाणपत्र दिनांक 27 जनवरी, 2016 को पत्र सं. के.श्र.शि.बो. लेखा / उपयोगिता प्रमाणपत्र / 2012-13/1690 के अनुसार मंत्रालय को भेजा गया।</p> <p>इसलिए इस पैरा को बंद किया जा सकता है।</p> <p>वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय अनुपालन किया जाएगा।</p>

**y[kk ijh{kk fj i kVZ-जारी**

लेखा परीक्षा रिपोर्ट (1)	जवाब (2)
<p>2. चालू आस्तियों के अधीन प्राप्त होने वाले अनुदान के रूप में गैर-योजना अनुदान के अंतर्गत रूपये 0.48 लाख अधिक व्यय किया गया है। फिर भी रूपये 0.48 लाख अधिक व्यय की गई आय के घाटे को अनुसूची-13 (अनुदान एवं सहायिकी) के अंतर्गत स्वीकृत नहीं किया गया है।</p> <p>3. बोर्ड ने रूपये 57.63 करोड़ अनुदान प्राप्त किया है और पिछले वर्षों की बचत से रूपये 5.11 करोड़ समायोजित की गई है। फिर भी बोर्ड ने वर्ष के दौरान आवती एवं भुगतान लेखा में अनुदान से प्राप्ति में रूपये 62.64 करोड़ को दर्शाया है। जिसे समाधान करने की आवश्यकता है।</p> <p><b>घ. अनुदान सहायता :</b></p> <p>पिछले वर्ष के दौरान अव्ययित योजना अनुदान रूपये 5.11 करोड़ सहित कुल सहायता अनुदान रूपये 62.79 करोड़ (रूपये 16.76 करोड़ योजना योगदान + 46.03 करोड़ गैर-योजना अनुदान) प्राप्त हुआ था। 31 मार्च, 2015 तक बोर्ड ने अव्ययित शेष रूपये 57.80 करोड़ प्रयोग में ला सका है। या अव्ययित जमा सारणी में अव्ययित जमा के आकड़ों के साथ मेल नहीं खाता है जिसे उद्दिष्टि निधि एवं प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा में रूपये 62.64 करोड़ को दर्शाया है। जिसे समाधान करने की आवश्यकता है।</p>	<p>वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं इसके बाद लेखा तैयार करते समय वित्तीय वर्ष की समाप्ति के लिए मंत्रालय से अपेक्षित/प्राप्त होने वाले अनुदान का मिलान अनुसूची 13 में आय एवं व्यय लेखा में दर्शाया जाएगा।</p> <p>इसलिए पैरा को बंद किया जा सकता है।</p> <p>तुलन पत्र में उद्दिष्ट/अक्षय निधि के अंतर्गत सहायता एवं अनुदान की अव्ययित शेष राशि सही दर्शाई गई है। सहायता अनुदान की अव्ययित राशि आय के रूप में दर्शाई गई है। इसके साथ-साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शाई गई है जिसका उपर्युक्त के साथ मिलान किया गया तथा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए योजना अनुदान का संशोधित उपयोगिता प्रमाणपत्र दिनांक 27 जनवरी, 2016 को पत्र सं.के.श्र.शि.बो.लेखा/उपयोगिता प्रमाणपत्र/2012-13/1690 के अनुसार मंत्रालय को भेजा गया।</p> <p>इसलिए इस पैरा को बंद किया जा सकता है।</p> <p>तुलन पत्र में उद्दिष्ट/स्थाई निधि के अंतर्गत सहायता एवं अनुदान की अव्ययित शेष राशि सही दर्शाई गई है। सहायता अनुदान की अव्ययित राशि आय के रूप में दर्शाई गई है। इसके साथ-साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र में दर्शाई गई है जिसका उपर्युक्त के साथ मिलान किया गया तथा वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के लिए योजना अनुदान का संशोधित उपयोगिता प्रमाणपत्र दिनांक 27 जनवरी, 2016 को पत्र सं.के.श्र.शि.बो.लेखा/उपयोगिता प्रमाणपत्र/2012-13/1690 के अनुसार मंत्रालय को भेजा गया।</p> <p>इसलिए इस पैरा को बंद किया जा सकता है।</p>

**yſ[kk i j h{kk fj i kVZ-जारी**

लेखा परीक्षा रिपोर्ट (1)	जवाब (2)
<p><b>उ. प्रबंधन पत्र :</b></p> <p>लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश न की गई त्रुटियों को सुधारक/उपचारी कार्रवाई हेतु अलग से प्रबंधन पत्र द्वारा केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर के ध्यान में लाया गया है।</p> <p>(v) इसके पहले के पैराग्राफ में किए गए अवलोकन के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि, तुलन पत्र तथा आय-व्यय लेखा/प्राप्ति तथा भुगतान लेखा आदि इस रिपोर्ट से संबंधित खाता बही के अनुरूप है।</p> <p>(vi) हमारी राय और हमारी बेहतर जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ संलग्नक में उल्लिखित अन्य बातों तथा लेखों की टिप्पणियों तथा लेखाकरण नीतियों के साथ ही उपर्युक्त वित्तीय विवरणों को बताया गया है। जोकि साधारणतः भारत में स्वीकृत लेखाकरण नीतियों के अनुरूप सही और शुद्ध है :</p> <p>क. जहाँ तक 31 मार्च, 2015 तक बोर्ड के क्रियाकलापों की स्थिति का तुलनपत्र के संबंध में तथा</p> <p>ख. जहाँ तक वर्ष की समाप्ति के लिए उस तिथि तथा आय एवं व्यय लेखा का अधिशेष के संबंध में।</p>	

## vuyvud-II

**1- vkrfjd y{kk ijh{k k izkkyh dh mi ; Ørrk%**

बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय, नागपुर में है। इसके अधीन 05 आँचलिक, 50 क्षेत्रीय निदेशालय कार्यरत हैं। फिर भी अधिकांश कार्यालयों की आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

**2- vkrfjd fu; k. k izkkyh dh mi ; Ørrk%**

लेखा परीक्षा में देखे गए अनुसार बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुरूप कुल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपयुक्त प्रतीत नहीं होती है। उसके बाद आवश्यक अभिलेख/रजिस्टर तथा प्रलेखन का अनुवीक्षण करने तथा सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

**3- fLFkj vkfLr; k. dk iR; {k I R; ki u%**

मुख्यालय में पिछले 02 वर्षों से स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है। कुछ क्षेत्रीय निदेशालयों में आस्तियों के रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया है। सभी 50 क्षेत्रीय निदेशालयों से आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट संग्रहित नहीं किया गया है।

**4- fLFkj oLrq | ph dk iR; {k I R; ki u%**

संस्थान में वस्तुसूची उपलब्ध नहीं है।

**5- I kfof/kd ns Hkkrku fu; fer : i I s djukA**

बोर्ड सांविधिक देयों का भुगतान नियमित रूप से कर रहा है।

बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुसार समुचित रूप से आंतरित लेखा परीक्षा एवं बजट स्कन्ध के सृजन का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जाएगा।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली बोर्ड के आकार एवं स्वरूप के अनुसार समुचित रूप से प्रारम्भ की जाएगी आंतरिक लेखा परीक्षा एवं बजट स्कन्ध के सृजन का प्रस्ताव मंत्रालय को भेजा जाएगा।

भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया।

**i cikku i =**

<b>Ø-I a</b>	<b>i cikku i =</b>	<b>tokc</b>
1.	वित्तीय विवरण क्षेत्रीय कार्यालय के प्राप्तियाँ एवं व्यय विवरण से तैयार किया गया है जिसे मुख्यालय के साथ जोड़ दिया गया है, फिर भी इसे लेखा की टिप्पणी में प्रकट नहीं किया गया है।	यह पिछले वर्षों में बोर्ड द्वारा चली आ ही प्रथा के अनुरूप है, फिर भी प्रकटन संबंधी विवरण को भविष्य में लेखा की टिप्पणी में दर्शाया जाएगा।
2-	यद्यपि संस्थान ने लेखा की उपार्जन प्रणाली का अनुसरण किया है। लेखा में मार्च माह का वेतन अप्रैल में किया गया है इसकी व्यवस्था नहीं की गई है।	वर्ष 2015–16 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करते समय आवश्यक प्रावधान किया जाएगा।
3-	बोर्ड ने उन बैंकों के साथ व्यवहार किया है जो निवेश के रूप में सावधिक जमा करते हैं और जिनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष से अधिक है तथा सावधिक जमा के बाकी को चालू आस्तियों के रूप में व्यवहार किया जाता है। तथ्य को महत्वपूर्ण लेखा नीति में प्रकट किया जाना चाहिए।	सुझाव के अनुसार तथ्य को वर्ष 2015–16 से महत्वपूर्ण लेखा नीति में दर्शाया जाएगा।
4-	लेखा की टिप्पणी में अनुदान लेखांकन नीति को उपर्युक्त ढंग से प्रकट नहीं किया गया है।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया।
5-	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ एवं लेखा की टिप्पणियों को लेखा के साथ बहुत ही संक्षेप में अनुलग्नित किया गया है। भविष्य में लेखा के यूनिफार्म फारमेट के अनुबंध में लेखा की टिप्पणियों के साथ लेखा में अनुलग्न किया जाना चाहिए तथा इसके साथ-साथ बोर्ड की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विस्तृत विवरण एवं स्पष्ट रूप से प्रकट किया जाना चाहिए।	भविष्य में अनुपालन के लिए नोट किया गया।
6-	यह देखा गया है कि दूबारा अनुस्मारक देने के बावजूद भी वित्तीय वर्ष में आयोजित बोर्ड की शासी निकाय, वित्त समिति तथा अपके संगठन की अन्य बृहत समितियों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त को लेखा परीक्षा के लिए पृष्ठांकित नहीं किया गया है। कृपया यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में सभी बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त को लेखा परीक्षा के लिए अवश्य भेजें।	वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की शासी निकाय की बैठक, वित्त समिति की बैठक एवं बोर्ड की बृहत समितियों की बैठक से संबंधित कार्यसूची एवं कार्यवृत्त को लेखा परीक्षा प्रमाणित कराने के दौरान प्रस्तुत किया गया था। फिर भी आपत्ति को नोट किया गया। अब से लेखा परीक्षा के लिए कार्यवृत्त अनुमोदित होते ही भेज दिया जाएगा।

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

31-3-2015 को तुलन पत्र

(राशि रु. में)

समग्र / पूँजी निधि एवं देयताएँ (1)	अनुसूची (2)	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
		राशि (3)	राशि (4)
समग्र / पूँजी निधि	1	165,704,289.55	153,795,290.55
आरक्षित एवं अधिशेष	2	..	..
उद्दिष्टि / स्थायी निधि	3 (क), 3, 3 (ख), & 3 (ग)	252,845,507.98	235,176,526.81
प्राप्त ऋण एवं उधार	4	..	..
अप्राप्त ऋण एवं उधार	5	..	..
आस्थागित उधार देयताएँ	6	..	..
चालू देयताएँ एवं प्रावधान	7	7,800,419.41	30,170,213.41
कुल ..		426,350,216.94	419,142,030.77

आस्तियाँ	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
		राशि	राशि
अचल आस्तियाँ	8	43,034,705.34	46,776,364.34
निवेश-उद्दिष्टि / स्थाई निधि से	9	12,182,369.00	12,182,369.00
निवेश – अन्य	10	..	..
जमा एवं अन्य	11	371,133,142.60	360,183,297.43
चालू आस्तियाँ, ऋण अग्रिम आदि		..	..
विविध व्यय (बट्टे में नहीं डाली गयी अथवा समायोजित नहीं की गयी)			
कुल ..		426,350,216.94	419,142,030.77
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24	..	..
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखा पर टिप्पणियाँ	25	..	..

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के.श्र.शि.बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के.श्र.शि.बो., नागपुर.

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.),

के.श्र.शि.बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,

के.श्र.शि.बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

वर्ष 2014-2015 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रु. में)

आय एवं व्यय (1)	अनुसूची (2)	चालू वर्ष की	पिछले वर्ष की
		राशि (3)	राशि (4)
<b>आय</b>			
बिक्री / सेवाओं से आय	12	..	..
अनुदान / सहायिकी	13	561146070.50	576698170.65
शुल्क / अंशदान	14	..	..
निवेशों से आय	15	..	..
(निधि में हस्तांतरित उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर आय)			
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	146722.00	291660.00
अर्जित ब्याज	17	302,674.00	495,105.00
अन्य आय	18	6960097.00	3635635.10
समायोजित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग जमा	19	0.00	0.00
मूल्यहास		4905595.00	5562606.00
समायोजित अचल आस्तियाँ		..	..
<b>कुल (क) ..</b>		<b>573461158.50</b>	<b>586683176.75</b>
<b>व्यय</b>			
गैर-योजना व्यय	20	464179348.30	467043046.00
योजना व्यय	21	104424811.50	115565607.00
आई.एल.ओ. व्यय	22	..	..
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अनुरक्षण व्यय	23	4905595.00	5562606.00
मूल्यहास (अनुसूची-8 के अनुरूप वर्ष की समाप्ति पर निवल योग)			
<b>कुल (ब) ..</b>		<b>573509754.80</b>	<b>588171259.00</b>
व्यय से आय अधिक होने से शेष (क-ख)			
विशेष आरक्षित में हस्तांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		..	..
सामान्य आरक्षित से / को हस्तांतरण		..	..
अधिशेष / (घाटा) होने से समग्र / पूँजी निधि में रखा गया शेष		48596.30	1488082.25
<b>महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ</b>	<b>24</b>	<b>..</b>	<b>..</b>
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणी	25	..	..

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल,  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी,  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.),  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक,  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31-3-2015 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची-1-समग्र / पैँजी निधि	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष		
<b>वर्ष के प्रारम्भ में शेष</b>	153795290.55		138872070.80	..
जोड़े : समग्र / पैँजी निधि में अंशदान				
1. भवन ..	..		..	
2. मोटर एवं अन्य वाहन ..	..		..	
3. फर्नीचर्स 142,805.00		108,297.00		
4. कार्यालय उपकरण 563,274.00		278,925.00		
5. कम्प्यूटर / पेरीफेरल्स 453,557.00		9,900.00		
6. पुस्तकालय पुस्तके 4,300.00		9,350.00		
7. दृश्य-श्रव्य-साधन ..	..	..		
8. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा 5,650,658.00		775,436.00		
9. वाहन एवं कम्प्यूटर अग्रिम ..	..	792,000.00		
10. भवन निर्माण के लिए जमा 10,000,000.00		20,000,000.00		
11. आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरित निवल आय शेष ..	..	..		
12. पिछले वर्ष में समायोजित मेंगा इवेंट से आय ..	170,609,884.55	..	160,845,978.80	
<b>कुल ..</b>	<b>170,609,884.55</b>	<b>170,609,884.55</b>	<b>160,845,978.80</b>	<b>160,845,978.80</b>
<b>घटाएँ :</b>				
1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा समायोजित / वापसी ..	..		..	
2. हिन्दुस्तान मोर्टस में जमा ..	..		..	
3. बट्टे खाते में डाली गई आस्तियाँ ..	..		..	
4. अचल आस्तियों पर मूल्यहास 4,905,595.00		5,562,606.00		
5. व्यय से अधिक आय ..	..	1,488,082.25		
6. पिछले वर्ष के लिए सामान्य सहायता अनुदान समायोजन 0	0	0		
<b>कुल ..</b>	<b>4,905,595.00</b>	<b>4,905,595.00</b>	<b>7,050,688.25</b>	<b>7,050,688.25</b>
<b>वर्ष के अन्त में शेष</b>	<b>165,704,289.55</b>	<b>165,704,289.55</b>	<b>153,795,290.55</b>	<b>153,795,290.55</b>

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकाओडे)

लेखापाल,  
के.श.शि.बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,  
के.श.शि.बो., नागपुर.

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.),  
के.श.शि.बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,  
के.श.शि.बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**दिनांक 31-3-2015 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची**

(राशि रु. में)

अनुसूची 2-आरक्षित एवं अधिशेष	चालू वर्ष की राशि	पिछले वर्ष की राशि
1. आरक्षित पूँजी : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ	शून्य	शून्य
3. विशेष आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
4. सामान्य आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएँ : वर्ष के दौरान कटौतियाँ		
कुल . .	शून्य	शून्य
		शून्य

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल,  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी,  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.),  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक,  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**दिनांक 31-3-2015 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची**

(राशि रु. में)

अनुसूची 3-उद्दिष्टि स्थायी निधि (1)	निधिवार ब्यौरा - चंदा		निधिवार ब्यौरा-स्वयंकोष निर्माण		कुल	
	चालू वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)	चालू वर्ष (4)	पिछले वर्ष (5)	चालू वर्ष (6)	पिछले वर्ष (7)
(क) निधि में अंतशेष	1684933.21	1551830.21	129995600.22	123394157.22	131680533.43	124945987.43
(ख) निधि में जोड़ :						
(1) चंदा/अनुदान/निधि	124374.67		515,000.00		515000.00	0.00
(2) व्याज		118427.00	9,524,423.00	6,549,336.00	9648797.67	6667763.00
(3) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
(4) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि	94078.00	137433.00	5357142.00	6127118.00	5451220.00	6264551.00
(5) प्रोद्भूत व्याज						
(6) प्रोद्भूत आय						
(7) बोर्ड लेखा से प्राप्त						
घटाएँ : पिछले वर्षों हेतु संशोधन प्रविष्ट/टिडीएस	..	31705.00	..	2509955.00	0.00	-
(6) घटाएँ : प्रोद्भूत व्याज (पिछले वर्ष)	137433.00	91052.00	6127118.00	3565056.00	6264551.00	3656108.00
(7) घटाएँ : प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)						0.00
कुल (क + ख)	1765952.88	1684933.21	139265047.22	129995600.22	141031000.10	131680533.43
(ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता / व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- स्थिर आस्तियाँ						
- अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
- किराया						
- अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क + ख + ग)	1765952.88	1684933.21	139265047.22	129995600.22	141031000.10	131680533.43

हस्ता/-  
(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल,  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-  
(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी,  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-  
(मलकीत राम)  
उप निदेशक मुख्या.),  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-  
(नम्रता तिवारी)  
निदेशक,  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**

दिनांक **31-3-2015** को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 3(क)-उद्दिष्ट स्थायी निधि (1)	गृह निर्माण अग्रिम लेखा		अन्य - सीटीपी लेखा		कुल (6)	कुल (7)
	चालू वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)	चालू वर्ष (4)	पिछले वर्ष (5)		
(क) निधि में अंतर्शेष	11472487.38	10473583.38	39720666.00	31136711.00	51193153.38	41610294.38
(ख) निधि में जोड़ :						
(i) चंदा/अनुदान/निधि	..	..	5658400.00	6397660.00	5658400.00	6397660.00
(ii) ब्याज	355262	1335165	1682219.00	2341290.00	2037481.00	3676455.00
(iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
(iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
(v) प्रोद्भूत ब्याज	1139670	266693	2798602.00	1807340.00	3938272.00	2074033.00
(vi) प्रोद्भूत आय			520000.00	562000.00	520000.00	562000.00
(vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त				..	..	..
घटाएँ : पिछले वर्षों हेतु संशोधन प्रविष्टि	..	345449	..	382325.00	0.00	727774.00
(viii) घटाएँ : प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष)	266693	257505	1807340.00	1011010.00	2074033.00	1268515.00
(viii) घटाएँ : प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)		0.00	562000.00	1131000.00	562000.00	1131000.00
<b>कुल (क + ख)</b>	<b>12700726.38</b>	<b>11472487.38</b>	<b>48010547.00</b>	<b>39720666.00</b>	<b>60711273.38</b>	<b>51193153.38</b>
(ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता / व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- अचल आस्तियाँ						
- अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
- किराया						
- अन्य प्रशासनिक व्यय						
<b>कुल (ग)</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क + ख + ग)	12700726.38	11472487.38	48010547.00	39720666.00	60711273.38	51193153.38

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के.श.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के.श.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या),

के.श.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,

के.श.शि.बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**

दिनांक **31-3-2015** को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 3(ख)-उद्दिष्ट स्थायी निधि (1)	सहायता अनुदान		अन्य - सीटीपी लेखा		Kुल	Kुल
	चालू वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)	चालू वर्ष (4)	पिछले वर्ष (5)	चालू वर्ष (6)	पिछले वर्ष (7)
(क) निधि में अंतर्शेष	50629495.00	84447255.65	725077.00	725077.00	51354572.00	85172332.65
(ख) निधि में जोड़ :						
(i) चंदा/अनुदान/निधि	48521575.50	51116921.00	..	..	48521575.50	51116921.00
(ii) व्याज	..	..	..	..	..	..
(iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
(iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
(v) प्रोद्भूत व्याज	..	..	..	..	..	..
(vi) प्रोद्भूत आय		..	..	..	..	..
(vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त					..	..
घटाएँ : पिछले वर्षों हेतु संशोधन प्रविष्टि	..	..	..	..	..	..
(vi) घटाएँ : प्रोद्भूत व्याज (पिछले वर्ष)	..	..	..	..	..	..
(viii) घटाएँ : प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)	49721181.00	84934681.65	..	..	49721181.00	84934781.65
<b>कुल (क + ख)</b>	<b>49429889.00</b>	<b>50659495.00</b>	<b>725077.00</b>	<b>725077.00</b>	<b>50154966.50</b>	<b>51354572.00</b>
(ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता / व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- अचल आस्तियाँ						
- अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
- किराया						
- अन्य प्रशासनिक व्यय						
<b>कुल (ख)</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क + ख + ग)	49429889.00	50659495.00	725077.00	725077.00	50154966.50	51354572.00

109

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के.श्री.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(विमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के.श्री.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.),

के.श्री.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(नग्रता तिवारी)

निदेशक,

के.श्री.शि.बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**

दिनांक **31-3-2015** को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 3(ग)-उद्दिष्ट स्थायी निधि (1)	मेगा आयोजन		अन्य - सीटीपी लेखा		Kुल	Kुल
	चालू वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)	चालू वर्ष (4)	पिछले वर्ष (5)	चालू वर्ष (6)	पिछले वर्ष (7)
(क) निधि में अंतर्शेष	948268.00	948268.00	..	..	948268.00	948268.00
(ख) निधि में जोड़ :						
(i) चंदा/अनुदान/निधि	..	..	..	..	..	..
(ii) ब्याज	..	..	..	..	..	..
(iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
(iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
(v) प्रोद्भूत ब्याज	..	..	..	..	..	..
(vi) प्रोद्भूत आय	..	..	..	..	..	..
(vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त						
घटाएँ : पिछले वर्ष हेतु संशोधन प्रविष्टि	..	..	..	..	..	..
(vi) घटाएँ : प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष)	..	..	..	..	..	..
(viii) घटाएँ : प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)	..	..	..	..	..	..
<b>कुल (क + ख)</b>	<b>948268.00</b>	<b>948268.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>948268.00</b>	<b>948268.00</b>
 <b>(ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता / व्यय</b>						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
- अचल आस्तियाँ						
- अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
- वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
- किराया						
- अन्य प्रशासनिक व्यय						
<b>कुल (ग)</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क + ख + ग)	948268.00	948268.00	0.00	0.00	948268.00	948268.00

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के.श.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के.श.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या),

के.श.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,

के.श.शि.बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**दिनांक 31-3-2015 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची**

(राशि रु. में)

अनुसूची 4 - प्राप्त ऋण एवं उधार	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
(क) मियादी ऋण		
(ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय		
4. बैंक		
(क) मियादी ऋण	शून्य	शून्य
- प्रोद्भूत ब्याज एवं देय		
(ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
- प्रोद्भूत ब्याज एवं देय		
5. अन्य संस्थान एवं अभिकरण		
6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र		
7. अन्य (उल्लेख करें )		
<b>कुल ..</b>	<b>शून्य</b>	<b>शून्य</b>

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि

हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-	हस्ता/-
(आर. वी. बानुबाकोडे) लेखापाल, के.श.शि.बो., नागपुर.	(विमल सरकार) लेखा अधिकारी, के.श.शि.बो., नागपुर.	(मलकीत राम) उप निदेशक (मुख्या.), के.श.शि.बो., नागपुर.	(नम्रता तिवारी) निदेशक, के.श.शि.बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**दिनांक 31-3-2015 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची**

(राशि रु. में)

अनुसूची 5 - अप्राप्त ऋण एवं उधार	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)		
3. वित्तीय संस्थान		
4. बैंक		
क) मियादी ऋण	शून्य	शून्य
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)		
5. अन्य संस्थान एवं अभिकरण		
6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र		
7. मियादी जमा		
8. अन्य (उल्लेख करें)		
कुल	शून्य	शून्य

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
(आर. वी. बानुबाकोडे)	(बिमल सरकार)	(मलकीत राम)	(नम्रता तिवारी)
लेखापाल, के.श.शि.बो., नागपुर.	लेखा अधिकारी, के.श.शि.बो., नागपुर.	उप निदेशक (मुख्या.), के.श.शि.बो., नागपुर.	निदेशक, के.श.शि.बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**दिनांक 31-3-2015 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची**

(राशि रु. में)

अनुसूची 6 - आस्थगित उधार देयताएँ	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(क) पूँजीगत उपकरण एवं अन्य आस्तियों की मालबंधन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियाँ	शून्य	शून्य
(ख) अन्य	..	..
कुल	..	शून्य

टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
(आर. वी. बानुबाकोडे)	(बिमल सरकार)	(मलकीत राम)	(नम्रता तिवारी)
लेखापाल, के.श.शि.बो., नागपुर.	लेखा अधिकारी, के.श.शि.बो., नागपुर.	उप निदेशक (मुख्या.), के.श.शि.बो., नागपुर.	निदेशक, के.श.शि.बो., नागपुर.

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर  
दिनांक 31-3-2015 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशी रु. में)

अनुसूची 7 - चालू देयताएं एवं प्रावधान		चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
(क) नई पेंशन योजना खाते में नई पेंशन योजना राशि अंतरणीय .. .	.. .	..	..	..	..
(ख) सामान्य भविष्य निधि अग्रिम परिव्यय देयताएं .. .	.. .	0.00	..	0.00	..
(ग) अवितरित राशि .. .	.. .	298829.00	..	298829.00	..
(घ) सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं वसूली/वसूल की गई राशि .. .	.. .	1952407.00	..	465886.00	..
(ङ) अन्य जमा .. .	.. .	0.00	..	7236784.00	..
(च) विविध ऋणदाता (उपदान/सेवानिवृत्ति लाभ)	.. .	0.00	..	0.00	..
(छ) एम.ए.सी.पी. संवितरण करने हेतु प्रावधान .. .	.. .	5217746.00	..	12473612.00	..
(ज) बोर्ड द्वारा गृह निर्माण अग्रिम में अंतरित गृ. नि. अ. वसूली .. .	.. .	0.00	..	9000000.00	..
(झ) स्वंयं कोष निर्माण .. .	.. .	331437.41	..	180102.41	..
(ट) भा. म. स. कार्यक्रम ( अं. श्र. सं. ) .. .	.. .	..	..	515000.00	..
(ठ) बी. एम. एस. का कार्यक्रम .. .	.. .	..	7800419.41	..	30170213.41
<b>कुल (क) .. .</b>	.. .	<b>7800419.41</b>	<b>7800419.41</b>	<b>30170213.41</b>	<b>30170213.41</b>
<b>(ख) प्रावधान</b>					
1. कराधान हेतु .. .	.. .	..	..	..	..
2. उपदान .. .	.. .	..	..	..	..
3. अधिवर्षित/पेंशन .. .	.. .	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4. संचित छुट्टी भुगतान .. .	.. .	..	..	..	..
5. व्यापार प्राधिकरण/दावे-मैचिंग अनुदान .. .	.. .	..	..	..	..
<b>कुल (क + ख) .. .</b>	.. .	<b>7800419.41</b>	<b>7800419.41</b>	<b>30170213.41</b>	<b>30170213.41</b>

हस्ता/-  
(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल,  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-  
(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी,  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-  
(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.),  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

हस्ता/-  
(नम्रता तिवारी)  
निदेशक,  
के.श्र.शि.बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**दिनांक 31-3-2015 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची**

(राशि रु. में)

अनुसूची 8 : अचल आस्तियों का विवरण (1)	ग्रॉस ब्लॉक				मूल्यहास				नेट ब्लॉक	
	आरम्भ में लागत/मूल्यांकन (2)	वर्ष के दौरान जोड़ (3)	वर्ष के दौरान कटौतियाँ (4)	वर्ष में दौरान लागत/मूल्यांकन (5)	प्रारम्भ में (6)	वर्ष के दौरान जोड़ पर (7)	वर्ष के दौरान कटौतियों पर (8)	वर्ष तक कुल (9)	चालू वर्ष में (10)	पिछले वर्ष में (11)
<b>क. अचल आस्तियाँ :</b>										
1. भूमि ..	4,229,520.00	..	..	4,229,520.00	..	..	..	..	4,229,520.00	4,229,520.00
2. भवन 10%	11,430,658.57	..	..	11,430,658.57	1,143,066.00	..	..	1,143,066.00	10,287,592.57	11,430,658.57
3. मोटर एवं अन्य वाहन 15%	1,138,257.96	..	..	1,138,257.96	170,738.00	..	..	170,738.00	967,519.96	1,138,257.96
4. फर्नीचर्स 10%	7,898,429.58	142,805.00	..	8,041,234.58	789,843.00	14,281.00	..	804,124.00	7,237,110.58	7,898,429.58
5. कार्यालय उपकरण 25%	5,515,155.50	563,274.00	..	6,078,429.50	1,378,789.00	140,818.00	..	1,519,607.00	4,558,822.50	5,515,155.50
6. कम्प्यूटर/पेरीफेरल्स 60%	218,949.40	453,557.00	..	672,506.40	131,370.00	272,134.00	..	403,504.00	269,002.40	218,949.40
7. पुस्तकालय पुस्तके 10%	4,721,268.50	4,300.00	..	4,725,568.50	472,127.00	430.00	..	472,557.00	4,253,011.50	4,721,268.50
8. दृश्य-श्रव्य-साधन 25%	1,567,996.83	..	..	1,567,996.83	391,999.00	..	..	391,999.00	1,175,997.83	1,567,996.83
योग : चालू वर्ष ..	36,720,236.34	1,163,936.00	..	37,884,172.34	4,477,932.00	427,663.00	..	4,905,595.00	32,978,577.34	36,720,236.34
पिछले वर्ष ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
प्रगति में कार्य पूँजी ..	10,056,128.00	..	..	..	..	..	..	..	10,056,128.00	10,056,128.00
<b>कुल ..</b>	<b>46,776,364.34</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>43,034,705.34</b>	<b>46,776,364.34</b>

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल,  
के. श. शि. बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी,  
के. श. शि. बो., नागपुर.

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.),  
के. श. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक,  
के. श. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**दिनांक 31-3-2015 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची**

(राशि रु. में)

अनुसूची 9 : उद्दिष्ट /स्थायी निधि से निवेश (1)	चालू वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	..	..
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	..	..
3. शेयर	..	..
4. ऋणपत्र एवं बंधपत्र	शून्य	शून्य
5. सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम	..	..
6. अन्य (उल्लेख करें) :	..	..
पब्लिक सेक्टर बंधपत्र/ राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा		
<b>निवेश :</b>		
(1) स्व. को. नि.	3298658.00	3298658.00
(2) सीटीपी लेखा	5695113.00	5695113.00
(3) गृह निर्माण अग्रिम खाता	3188598.00	3188598.00
<b>कुल</b> ..	<b>12182369.00</b>	<b>12182369.00</b>

हस्ता/- <b>(आर. वी. बानुबाकोडे)</b> लेखापाल, के. श्र. शि. बो., नागपुर.	हस्ता/- <b>(बिमल सरकार)</b> लेखा अधिकारी, के. श्र. शि. बो., नागपुर.	हस्ता/- <b>(मलकीत राम)</b> उप निदेशक (मुख्या.), के. श्र. शि. बो., नागपुर.	हस्ता/- <b>(नप्रता तिवारी)</b> निदेशक, के. श्र. शि. बो., नागपुर.
---	--	--	---

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**दिनांक 31-3-2015 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची**

(राशि रु. में)

अनुसूची 10 : निवेश : अन्य (1)	चालू वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	..	..
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	..	..
3. शेयर	शून्य	शून्य
4. ऋणपत्र एवं बंधपत्र	..	..
5. सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम	..	..
6. अन्य (उल्लेख करें) :	..	..
पब्लिक सेक्टर बंधपत्र/ राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा		
<b>निवेश :</b>		
(1) गृह निर्माण अग्रिम खाता	..	..
<b>कुल</b> ..	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

हस्ता/- <b>(आर. वी. बानुबाकोडे)</b> लेखापाल, के. श्र. शि. बो., नागपुर.	हस्ता/- <b>(बिमल सरकार)</b> लेखा अधिकारी, के. श्र. शि. बो., नागपुर.	हस्ता/- <b>(मलकीत राम)</b> उप निदेशक (मुख्या.), के. श्र. शि. बो., नागपुर.	हस्ता/- <b>(नप्रता तिवारी)</b> निदेशक, के. श्र. शि. बो., नागपुर.
---	--	--	---

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**दिनांक 31-3-2015 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची**

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 निवेश : चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (1)	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>(क) 1. वस्तु सूची :</b>				
(क) भण्डार एवं अतिरिक्त	.	.	.	.
(ख) अबद्ध उपकरण	.	.	.	.
(ग) व्यापार में माल	.	.	.	.
- तैयार माल	.	.	.	.
- कार्य प्रगति	.	.	.	.
- कच्चा माल	.	.	.	.
<b>2. विविध ऋणी :</b>				
(क) छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण	.	.	.	.
(ख) अन्य	.	.	.	.
3. हाथ रोकड़ शेष (चेक/ड्रापट एवं अग्रदाय सहित)	152668.05	152668.05	170421.30	170421.30
<b>4. बँक में शेष :</b>				
(क) अनुसूचित बैंकों में :				
- चालू खाता पर	79329511.09	.	101545613.64	.
- जमा खाता पर (अतिरिक्त धन सहित)	153983791.00	.	171657244.33	.
- बचत खाता पर	2996367.97	236309670.06	2292259.97	275495117.94
(ख) अन-अनुसूचित बैंकों में :				
- चालू खाता पर	.	.	.	.
- जमा खाता पर	.	.	.	.
- बचत खाता पर	.	.	.	.
5. पारगमन में प्रेषित धन	.	.	.	.
6. अं. श्र. सं. से देय राशि	1055420.00	1055420.00	910343.00	910343.00
7. बोर्ड के विशेष कार्यक्रम से देय राशि	.	.	.	.
<b>कुल (क)</b>	237517758.11	237517758.11	276575882.24	276575882.24

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या),

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**दिनांक 31-3-2015 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची**

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 : चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)	चालू वर्ष		पिछले वर्ष		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>(ख) 1. ऋण :</b>					
(क) कर्मचारी (1) वाहन एवं गृह निर्माण अग्रिम	470102.48	.	1360610.48	.	.
(ख) गतिविधियों/उद्देश्यों में समाहित अन्य समरूप अस्तित्व	.	470102.48	.	1360610.48	
(स) अन्य (उल्लेख करें)	.	.	.	.	.
<b>2. नकद एवं माल के रूप में अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि</b>					
(क) पूँजीगत लेखा पर	84617219.00	.	68966561.00	.	.
(ख) पूर्व भुगतान	21250.00	84638469.00	21250.00	68987811.00	
(स) अन्य	.	.	.	.	.
<b>3. प्रोद्भूत आय :</b>					
(क) उद्दिष्ट/स्थायी निधि से निवेश पर	9389492.00	.	8338584.00	.	.
(ख) निवेशों पर-अन्य (गृ. नि. अ.)	.	.	.	.	.
(ग) ऋण एवं अग्रिम पर	.	.	.	.	.
(घ) अन्य (प्रबंधनों से स्व. को. नि./सीटीपी लेखा)	562000.00	9909492.00	562000.00	8900584.00	
(अप्राप्य देय आय रु. .... सहित)	.	.	.	.	.
<b>4. प्राप्त होने वाले दावे :</b>					
(क) सामान्य भविष्य निधि	.	.	.	.	.
(ख) नई पेंशन योजना	.	.	.	.	.
(ग) अनुदान स्व. को. नि., गृ. नि. एवं सी.टी.पी. खाता	38548724.71	38548724.71	4358409.71	4358409.71	
(घ) मंत्रालय से प्राप्त मौंचिंग अनुदान	48596.30	48596.30	.	.	.
<b>कुल (ख)</b>	133657384.49	133615384.49	83607415.19	83607415.19	
<b>कुल (क + ख)</b>	371133142.60	371133142.60	360183297.43	360200611.18	

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या),

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

2014-2015 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 12 : बिक्री/सेवाओं से आय (1)	चालू वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)
1. बिक्री से आय :		
(क) तैयार माल की बिक्री	..	..
(ख) कच्चे माल की बिक्री	..	..
(ग) रद्दी माल की बिक्री	..	..
	शून्य	शून्य
2. सेवाओं से आय :		
(क) श्रम एवं संसाधन प्रभार	..	..
(ख) व्यावसायिक/परामर्शी सेवाएं	..	..
(ग) अभिकरण आङ्गत एवं दलाली	..	..
(घ) अनुरक्षण सेवा (उपस्कर/सम्पत्ति)	..	..
(ङ) अन्य (उल्लेख करें)	..	..
विज्ञापन प्राप्ति		
कुल ..	शून्य	शून्य

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.),

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**2014-2015 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची**

(राशि रु. में)

अनुसूची 13 : अनुदान/सहायती (1)	वर्तमान वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)
1. केन्द्र सरकार :		
(क) योजना	166182240.00	187089000.00
(ख) गैर-योजना	460300000.00	462699999.65
(ग) मनरेगा-योजना	..	..
2. ओ. एन. जी. सी. से	..	..
3. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (एच.आई.डी. परियोजना) :		
(क) प्राप्त राशि	..	..
(ख) आई. एल. ओ. से देय राशि	..	..
	626482240.00	649788999.65
<b>जोड़ें :</b> (1) पिछले वर्ष हेतु अव्ययित अनुदान	..	..
(2) चालू वर्ष के लिए अंतशेष	..	..
(3) मार्च वेतन के लिए प्रावधान	..	..
(4) भारत सरकार से स्वीकार्य सहायता अनुदान	..	..
(5) व्यय भुगतान हेतु उपयोग की गई विविध प्राप्तियाँ	..	..
<b>घटाएं :</b> (1) अगले वर्ष हेतु चालू शेष	..	..
(2) चालू वर्ष हेतु अव्ययित शेष	48521575.50	51116921.00
(3) पूँजी व्यय	16814594.00	21973908.00
<b>कुल</b> ..	<b>561146070.50</b>	<b>576698170.65</b>

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

**(आर. वी. बानुबाकोडे)**

लेखापाल,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**(बिमल सरकार)**

लेखा अधिकारी,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**(मलकीत राम)**

उप निदेशक (मुख्या.),  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**(नम्रता तिवारी)**

निदेशक,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

2014-2015 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 14 : शुल्क/अंशदान (1)	चालू वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)
1 प्रवेश शुल्क	..	..
2 वार्षिक शुल्क/अंशदान	..	..
3 परिसंवाद/कार्यक्रम शुल्क	..	..
4 परामर्श शुल्क	..	..
5 अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य
कुल ..	शून्य	शून्य

टिप्पणी : प्रत्येक मद हेतु लेखा नीतियाँ प्रकट की जानी है।

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.),

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

2014-2015 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिये आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 15 - निवेशों से आय (1)	उद्दिष्टि निधि से निवेश		निवेश - अन्य	
	वर्तमान वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)	वर्तमान वर्ष (4)	पिछले वर्ष (5)
(निधि हेतु अंतरित उद्दिष्टि / स्थायी निधि से निवेश पर आय)				
1 व्याज				
(क) सरकारी प्रतिभूतियों पर				
(ख) अन्य बंधपत्रों / क्रृष्ण पत्रों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2 लाभांश				
(क) शेयरों पर				
(ख) म्युच्यूअल फण्ड प्रतिभूतियों पर				
3 किराया				
4 अन्य (उल्लेख करें)				
कुल . .	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

उद्दिष्टि / स्थायी निधि में अंतरित

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.),

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

2014-2015 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 16 - रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से प्राप्त आय (1)	चालू वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)
1 प्रकाशनों से आय	146722.00	291660.00
2 अन्य (उल्लेख करें)	..	..
कुल ..	146722.00	291660.00

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.),

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

2014-2015 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 17 - अर्जित व्याज (1)	चालू वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)
1 आवधिक जमा पर :		
(क) अनुसूचित बैंकों से		
(ख) अन-अनुसूचित बैंकों से		
(ग) संस्थानों से		
(घ) अन्य		
2 बचत खाते पर :		
(क) अनुसूचित बैंकों से	302674.00	495105.00
(ख) अन-अनुसूचित बैंकों से		
(ग) डाक कार्यालय बचत खाता		
(घ) अन्य		
3 ऋण पर :		
(क) कर्मचारी/कर्मचारी वर्ग		
(ख) अन्य		
4 कर्जदारों तथा अन्य स्वीकार्य पर व्याज		
कुल . .	302674.00	495105.00

टिप्पणी : स्रोत पर कर कटौती को सूचित किया जाए।

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.),  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

2014-2015 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 18 - अन्य आय (1)	चालू वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)
1. आस्तियों की बिक्री / विक्रय पर लाभ :		
(क) अनुदानों से अर्जित अथवा निःशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	..	..
2. प्राप्त निर्यात प्रोत्साहन	..	..
3. विविध प्राप्तियाँ	6,960,097.00	3,635,635.10
4. पिछले वर्षों की विविध आय से व्यय की गई राशि	..	..
<b>घटाएँ :</b>		
वर्ष के दौरान प्रयोग में लाई गई राशि	..	..
<b>कुल ..</b>	<b>6,960,097.00</b>	<b>3,635,635.10</b>

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.),

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

2014-2015 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 19 - तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (हास) तथा प्रगति में कार्य (1)	चालू वर्ष (2)	पिछले वर्ष (3)
(क) अंतिम स्टॉक - तैयार माल - प्रगति में कार्य लो. नि. वि. जमा/समायोजित/धन वापसी	..	..
(ख) घटाएँ : आरंभिक स्टॉक - तैयार माल - प्रगति में कार्य	..	..
निवल वृद्धि / (हास) (क - ख)	..	..

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.),

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

2014-2015 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में.)

अनुसूची 20 - गैर - योजना व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
<b>वेतन—</b>		
(1) अध्यक्ष को मानदेय	180,000.00	180,000.00
(2) मुख्यालय एवं अन्य कार्यालय	306,079,428.00	289,464,886.00
<b>परिक्रमी निधि :</b>		
स्वदेशी यात्रा व्यय	4,294,318.00	4,018,726.00
अन्य प्रशासनिक व्यय	31,050,532.30	31,664,538.00
<b>योजना व्यय :</b>		
(1) राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम (चरण-I)	1,199,051.00	1,585,080.00
(2) क्षेत्रीय स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम (चरण-II)	86,647.00	106,712.00
(3) इकाई स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम (चरण-III)	9,447.00	52,970.00
(4) श्रम संघों को सहायता अनुदान	64,440.00	572,162.00
(5) दृश्य-श्रव्य साधन	..	..
<b>जमा सम्बद्ध बीमा</b>		60,000.00
<b>स्थिर आस्तियाँ :</b>		
(1) कार्यालय उपकरण		
(2) फर्नीचर		
(3) प्रगति में कार्य हेतु जमा	3,578,741.00	775,436.00
(4) पुस्तकालय पुस्तकें		
(5) दृश्य-श्रव्य उपकरण		
(6) संगणक		
<b>अग्रिम - साईकल/पंखा/कम्प्यूटर</b>		792,000.00
<b>अंशदायी भविष्यनिधि में बोर्ड का अंशदान</b>		..
टायर-1 में बोर्ड का अंशदान (नई पेंशन योजना)	2,712,023.00	2,455,307.00
अन्यत्र सेवा एवं छुट्टी का वेतन अंशदान	410,857.00	..
<b>सेवानिवृत्ति लाभ—</b>		
(1) उपदान	5,000,106.00	12,560,691.00
(2) पेंशन का परिवर्तित मूल्य	3,614,460.00	9,204,374.00
(3) पेंशन	104,523,985.00	105,770,000.00
(4) अवकाश भुनाना	4,913,759.00	9,306,555.00
	467,717,794.30	468,569,437.00
<b>घटाएँ : स्थिर आस्तियाँ एवं अग्रिम</b>	3,578,741.00	1,567,436.00
<b>कुल</b>	464,139,053.30	467,002,001.00
<b>जोड़े : बकाया व्यय</b>	40,295.00	41,045.00
<b>कुल योग</b>	<b>464,179,348.30</b>	<b>467,043,046.00</b>

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.),  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**2014-2015 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची**

(राशि रु. में)

अनुसूची-21 योजना व्यय	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
(अ) कार्यालय व्यय :		
1. संगठित क्षेत्र के कार्यक्रम :		
(1) आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)	23,355.00	15,037.00
(2) आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 दिवसीय)	18,272.00	6,255.00
(3) श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम	..	..
(4) स्वयं कोष निर्माण	571,633.00	604,970.00
(5) संगठित क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम	232,491.00	352,845.00
(6) राज्य स्तर पर विशेष कार्यक्रम (उ. पू.)	..	..
2. असंगठित क्षेत्र के कार्यक्रम :		
(1) असंगठित क्षेत्र हेतु 5 दिवसीय शिविर	4,680,218.50	6,017,974.00
(2) दुर्बल वर्ग के श्रमिकों हेतु शिविर	5,154,354.50	3,615,638.00
(3) विशेष परिसंवाद (2 दिवसीय)		
(क) असंगठित क्षेत्र के श्रमिक	6,618,390.00	7,009,399.00
(ख) महिला श्रमिक	4,037,131.00	7,080,285.00
(ग) अनु. जा./अनु. जनजाति श्रमिक	6,125,836.00	1,220,052.00
(घ) बाल श्रमिक/बाल श्रमिक के अभिभावक	1,786,331.50	2,266,836.00
(ङ) ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम	20,747,618.00	20,726,408.00
(च) असंघठित क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम	2,547,446.00	3,259,217.00
(छ) श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम	3,296,041.50	4,257,605.00
(ज) अनु. जा. उपयोजना कार्यक्रम पर व्यय	19,332,639.00	26,978,677.00
(झ) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम	7,888,966.00	4,567,850.00
(ञ) अनु. जा. उपयोजना कार्यक्रम पर व्यय	7,851,709.50	12,511,227.00
3. प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी कार्यक्रम	57,035.00	83,026.00
4. मनरेगा कार्यक्रम	9,679,909.00	14,687,608.00
5. (क) के. श्र. शि. बो. के कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण.		
(अ) स्थापना दिवस व्यय	..	..
(ब) राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति	..	..
(स) क्षेत्रीय निदेशालयों का सुदृढ़ीकरण	3,744,551.00	243,319.00
(द) सूचना/प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण	30,884.00	61,379.00
(इ) प्रकाशन, सतत शिक्षा साहित्य का निर्माण	..	..
(ख) के. श्र. शि. बो. के कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत स्थिर आस्तियों एवं प्रगति में कार्य पूँजी	13,235,853.00	20,406,472.00
	117,660,664.50	135,972,079.00

(राशि रु. में)

अनुसूची - 21-(जारी)		
घटाएँ : स्थिर आस्तियाँ :		
(क) कार्यालय उपकरण	563,274.00	278,925.00
(ख) फर्नीचर	142,805.00	108,297.00
	4,300.00	9,350.00
(ग) दृश्य-श्रव्य साधन	.	.
(घ) संगणक	453,557.00	9,900.00
(ङ) भवन	.	.
(च) भूमि और भवन/डल्ल्यू. आई. पी. के लिए जमा	12,071,917.00	20,000,000.00
(छ) मोटर वाहन	.	.
कुल . .	<b>104,424,811.50</b>	<b>115,565,607.00</b>
जोड़ें : बकाया व्यय . .	.	.
कुल योग . .	<b>104,424,811.50</b>	<b>115,565,607.00</b>

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

हस्ता/-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.),

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)

निदेशक,

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

2014-2015 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

**टिप्पणी**—इंदराजों के नाम, उनकी गतिविधियों सहित अनुदान/सहायिकी राशि प्रकट करें।

हस्ता ./-

हस्ता ./-

हस्ता ./-

हरस्ता ./-

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर

(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी,  
श्र. शि. बो., नाग

(मलकीत राम)  
प निदेशक (मुख्या.),  
श्र. शि. बो., नागपुर.

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक,  
श्र. शि. बो., नागपुर.

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

2014-2015 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 23-के.लो.नि.वि. रखरखाव व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान एवं मुख्यालय भवन के रखरखाव के लिए किया गया व्यय		
कुल	.	

130

हस्ता./-

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.)  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**

2014-2015 को समाप्त अवधि के लिये लेखा से संबंधित अनुसूची

**अनुसूची 24-महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ**

1. **समागम लेखाकरण**—पारम्परिक समागम लागत, यदि निश्चित नहीं हो तो, तथा लेख की प्रोद्भूत पद्धति के आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है।
2. **स्थिर आस्तियाँ**—स्थिर आस्तियों का अर्जन मूल्य बताया गया है जिसमें अर्जन से संबंधित आवक भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा आनुषंगिक व प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित है।
3. **मूल्यहास**—आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार सरल प्रणाली में मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।
4. **निवेश**—पारम्परिक लागत पर निवेश का मूल्यांकन किया गया है।
5. **अनुदान**—सरकारी अनुदान के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के लेखा मानक 12 का प्रयोग किया गया है।

हस्ता./-

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.)  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

2014-2015 को समाप्त अवधि के लिये लेखा से संबंधित अनुसूची

## अनुसूची 25-महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. आकस्मिक देयताएँ-शून्य
2. चालू आस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम—प्रबंधक के मतानुसार चालू आस्तियाँ, ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य तभी है जब सामान्य व्यवसाय में उनकी वसूली अथवा कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल योग राशि समान हो।
3. कराधान—आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय नहीं होने की दृष्टि से आयकर के प्रावधान को विचारार्थ नहीं लिया गया है।
4. जहाँ कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के संगत आँकड़ों को पुनः समूहित/क्रमबद्ध किया गया है।
5. दिनांक 31-3-2015 तथा उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए एवं व्यय लेखा के अनुसार बनी तुलनपत्र के साथ संबंधित 1-25 अनुसूचियों को संलग्न किया गया है।

हस्ता./-

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(विमल सरकार)  
लेखा अधिकारी  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.)  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
 31-3-2015 को समाप्त वर्ष अवधि के लिये प्राप्तियाँ एवं भुगतान

(राशी रु में)

प्राप्तियाँ (1)	वर्तमान वर्ष (2)	पिछला वर्ष (3)	भुगतान (4)	वर्तमान वर्ष (5)	पिछला वर्ष (6)
<b>I. रोकड जमा</b>	रु.	रु.		रु.	रु.
(क) हाथ रोकड	170421.30	187735.05	(क) गैर-योजना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार) (ख) योजना व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार) (स) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन व्यय (एच. आई.वी. परियोजना) (घ) यू.बी.आई.मनरेगा कार्यक्रम (ङ) विविध लेनदारों को प्रदत्त (सेवानिवृत्त लाभ एवं सीपीसी बकाया) (च) विविध लेनदार को प्रदत्त	464,139,053.30 104,424,811.50 .. .. .. ..	467,002,001.00 115,565,607.00 .. .. .. ..
(ख) बैंक शेष					
1. चालू खाते में	101,545,613.64	170,290,835.79			
2. जमा खाते में	183,839,613.33	123,461,552.33			
3. बचत खाते में	2,292,259.97	4,859,094.97			
4. पारगमन राशि	910,343.00	1,751,306.00			
<b>II. प्राप्त अनुदान</b>					
(क) भारत सरकार से	626,482,240.00	649,788,999.65			
(ख) राज्य सरकार से	..	..			
(स) अन्य स्त्रोतों से (विवरण) जैसे ओ.एन.जी.सी.	..	..			
<b>III. से निवेशों पर आय</b>					
(क) उद्दिष्ट/स्थायी निधि	11,686,278.67	10,344,218.00			
(ख) स्वयं निधि (अन्य निवेश)	..	..			
<b>IV. प्राप्त व्याज</b>					
(क) बैंक जमा पर	..	..			
(ख) ऋण अग्रिम इ.	..	..			
<b>V. अन्य आय (ब्यौरा दें)</b>					
स्वयंकोष निर्माण (एस.जी.एफ.)	5,658,400.00	6,397,660.00			
चन्दा	3,818,770.00	3,927,295.10			
सीपीटी लेखा	..	..			
सीपीडब्ल्यूडी/आईटीआई लि. द्वारा वापसी	..	..			
विविध प्राप्तियाँ	..	..			

**विवरणपत्र—चालू**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>VI. गृहीत राशि</b>			<b>VI. वित्त प्रभार (ब्याज)</b>		
<b>VII. अन्य कोई प्राप्तियाँ (ब्यौरा दें)</b>	..	..	<b>VII. अन्य भुगतान (ब्यौरा दे)</b>	57,500,000.00	35,500,000.00
1. वेतन कटौतियाँ	1,365,450.00	961,186.00	(क) सामान्य भविष्य निधि में जमा की गई सा.भ.नि. वसूलियाँ	30,441,295.00	38,714,572.00
2. सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं अग्रिम वसूली	46,411,580.00	41,803,628.00	(ख) सामान्य भविष्य निधि अग्रिम जमा भुगतान	..	..
3. संवितरण के लिए प्राप्त राशि	79,901,438.00	64,116,441.00	(ग) गृह निर्माण अग्रिम संवितरित	..	..
4. केन्द्रों द्वारा जमा की गई सामान्य भविष्य निधि	30,441,295.00	38,714,572.00	(घ) जमा वेतन (ग्र.नि.अ. खाता)	431,870.00	335,956.00
5. प्राप्त अदेय भुगतान	1,651,952.00	173,764.00	(ङ.) बोर्ड द्वारा ग्र.नि.अ निधि में जमा की गई ग्र.नि.अ. वसूलियाँ	165,431.00	71,230.00
6. अनुदान खाते में बैंक द्वारा जमा ब्याज	302,674.00	495,105.00	(च) अदेय भुगतान वितरित	13,008,112.00	154,446.00
7. संवितरण के लिए प्राप्त राशि (ग्र.नि.अ. लेखा)	..	..	(छ) विविध लेनदारों का प्रदत्त	..	..
8. गृह निर्माण अग्रिम कोष खाता	..	..	(ज) सी.टी.पी. खाते में जमा वेतन	79,275,259.00	64,333,087.00
(क) गृह निर्माण अग्रिम खाते में जमा गृह निर्माण अग्रिम वसूलियाँ	108,263.00	69,348.00	(झ) संवितरण के लिए प्राप्त राशि प्रदत्त	..	792,000.00
(ख) गृह निर्माण अग्रिम परिक्रमी कोष	..	..	(अ) संवितरित वाहन/संगणक अग्रिम	39,974,464.00	..
(ग) कर्जदार/बैंक से प्राप्त ब्याज	..	..	(ट) स्व.को.नि. खाते में जमा वेतन	2,712,023.00	2,455,307.00
9. केन्द्र द्वारा गृह निर्माण अग्रिम की प्राप्ति/जमा	..	..	(ठ) नई पेंशन योजना के अंतर्गत टियर-1 वसूलियाँ	..	..
10. अंशदायी भविष्य निधि हेतु वसूल की गई राशि (नई पेंशन योजना)	2,674,009.00	2,456,306.00	(ड) एस.बी.आई ग्र.नि.अ. खाते से टी. डी.एस. कटौती	..	..
11. संवितरण के लिए प्राप्त राशि (सा.म.नि. लेखा)	3,423,443.00	..	(ढ) एस.बी.आई. दान खाते से टी.डी.एस. कटौती	..	..
12. संवितरण के लिए प्राप्त राशि (यू.बी.आई.)	..	..	(ण) एस.बी.आई. स्व.को.नि. खाते से टी. डी. एस. कटौती	..	..
13. सामान्य भविष्य निधि वेतन वसूली	..	..	(त) एस.बी.आई. सी.टी.पी. खाते से टी. डी. एस. कटौती	..	..
14. संवितरण के लिए प्राप्त राशि (स्व.को.नि. लेखा)	5,552,177.00	..	(थ) शुल्क वापसी संबंधी सी.टी.पी.-डी.डी.	..	..
			<b>VIII. अंत शेष</b>		
			(क) हाथ रोकड	152,668.05	170,421.30
			(ख) बैंक शेष		
			1. चालू खाते में (अनुदान)	79,329,511.09	101,545,613.64
			2. बचत खाते में	2,996,367.97	2,292,259.97
			(ग) जमा खाता	166,166,160.00	183,839,613.33
			(घ) पारगमन राशि	1,055,420.00	910,343.00
<b>कुल</b> ..	1,108,308,220.91	1,119,799,046.89	<b>कुल</b> ..	1,108,308,220.91	1,119,799,046.89

134

हस्ता./-

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.)  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**

वर्ष 2014-15 के लिए सामान्य भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ			भुगतान		
राशि 2013-14 (1)	विवरण (2)	राशि 2014-15 (3)	राशि 2013-14 (4)	विवरण (5)	राशि 2014-15 (6)
रु.		रु.	रु.		रु.
3072924.02 202560220.67	अथ शेष बचत खाता जमा खाता	7899793.02 209470719.67	200.00 .. ..	बैंक कमीशन चन्दा खाते में अंतरित राशि	70.00 1402985.00 ..
19237235.00	प्राप्त ब्याज	18596024.33	1255232.00 .. ..	टी. डी. एस. कटौती बोर्ड के खाते में अंतरित राशि	1273209.00 .. ..
35531521.00	प्राप्त अभिवान	54076557.00	41959914.00 .. 7899793.02 209470719.47	प्रत्याहरण अंत शेष बचत खाता जमा खाता	34689542.00 .. 6407852.02 246269436.00
183958.00	के.श्र.शि.बो. के खाता में अनुदान	..			
260585858.69	कुल ..	290043094.02	260585858.69	कुल ..	290043094.02

135

हस्ता./-

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.)  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(नग्रता तिवारी)  
निदेशक  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**सामान्य भविष्य निधि आय-व्यय विवरण लेखा**  
**वर्ष 2014-15**

व्यय			आय		
राशि 2013-14 (1)	विवरण (2)	राशि 2014-15 (3)	राशि 2013-14 (4)	विवरण (5)	राशि 2014-15 (6)
₹.		₹.	₹.		₹.
1697055.00	प्रदत्त ब्याज	19085672.00	19237235.00	प्राप्त ब्याज	18596024.33
1255232.00	टी.डी.एस. कटौती	1273209.00			
200.00	बँक कमीशन	70.00	8205822.00 9178776.00	जोड़े प्रोद्भूत ब्याज घटाएं प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्षों में)	8505775.92 8205822.00
38794.00	व्यय से अधिक आय	..		आय से अधिक व्यय	1462972.75
18264281.00	कुल ..	20358951.00	18264281.00	कुल ..	20358951.00

१३६

हस्ता/-  
(आर. वी. बानुबाकोडे),  
लेखापाल,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
(विमल सरकार),  
लेखा अधिकारी,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.)  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
(नम्रता तिवारी),  
निदेशक,  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**सामान्य भविष्य निधि तुलनपत्र वर्ष 2014-15**

देयताएँ					आस्तियाँ			
राशि 2013-14 (1)	विवरण (2)	राशि 2014-15 (3)	राशि 2014-15 (4)	राशि 2013-14 (5)	विवरण (6)	राशि 2014-15 (7)	राशि 2014-15 (8)	
रु.		रु.	रु.	रु.		रु.	रु.	
10086211.68	पिछले वर्ष तक व्यय से अधिक आय	10125005.68		7899793.02	बैंक शेष		6407852.02	
38794.00	जोड़े : वर्ष के दौरान	1462972.75		209470719.67	अनुलग्नक 4 के अनुसार निवेश		246269436.00	
10125005.68	घटाएँ : वर्तमान वर्ष हेतु							
198771477.00	घटाएँ : पिछले वर्ष हेतु							
35531521.00	सा.भ.नि. अभिदान निधि	212402195.00		8205822.00	प्रोद्भूत ब्याज		8505775.92	
3089056.00	जोड़े : पिछले वर्ष हेतु	.						
41959914.00	बोर्ड से प्राप्त	46411580.00						
16970055.00	होने वाला अंशदान	.						
212402195.00	घटाएँ : प्रत्याहरण	34689542.00						
1402985.00	जोड़े : प्रदत्त ब्याज	19085672.00						
0.51	बोर्ड खाते में अवितरित भुगतान	1402985.00	243209905.00	1480137.50	प्राप्त होने वाली राशि			
..		1402985.00			जोड़े : वर्ष के दौरान			
..	स्वयं कोष निर्माण में अंतरणीय	..			घटाएँ : प्राप्त			
3085241.00	बोर्ड के खाते में अंतरणीय	7664977.00						
41045.00	घटाएँ अंतरणीय अभिदान	1520432.50	6144544.50					
3126286.00	अंशदायी भविष्य निधि में बोर्ड का अंशदान	3126286.00						
227056472.19	जोड़े : बोर्ड प्राप्त होनेवाली राशि	40295.00	3166581.00					
	कुल ..		261183063.94	227056472.19	कुल ..		261183063.94	

हस्ता./-

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.)

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(नप्रता तिवारी)

निदेशक

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर  
जमा और बचत खाते में बैंक शेष का विस्तृत विवरण

(राशि रु. में)

क्र. सं.	ब्यौरा	31-3-2015 को बचत खाता	31-3-2015 को जमा खाता	31-3-2014 को बचत खाता	31-3-2014 को जमा खाता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	चन्दा	1410.88	1670464.00	1356.88	1546143.33
2	गृ.नि.अ. निधि	1185387.38	12918026.00	721862.38	12918026.00
3	स्वयंकोष निर्माण	178562.71	108586999.00	171738.71	133491687.00
4	सीटीपी लेखा	1631007.00	42990671.00	1397302.00	35883757.00
	कुल	2996367.97	166166160.00	2292259.97	183839613.33

हस्ता./-

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(विमल सरकार)  
लेखा अधिकारी  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.)  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता./-

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**

राष्ट्रीयकृत बैंक, में दिनांक 31-3-2015 को जमा गृह निर्माण अग्रिम विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	प्रमाणपत्र सं.	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	गृ. नि. अ.	भारतीय स्टेट बैंक	545717	31684092595	555 दिन	9.00%	3188598.00	7.4.2014	14.10.2015	233353.00
2	संयुक्त	भारतीय स्टेट बैंक	.	संयुक्त प्रमाणपत्र	.	9.00%	9729428.00	30.3.2014	30.3.2015	906317.00
				कुल	.	.	12918026.00	.	.	1139670.00

हस्ता/—

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/—

(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/—

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.)  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/—

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**

राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31-3-2015 को जमा चन्दा का व्यौरा

(राशि रु. में)

क्र.सं.	निवेश के व्यौरे	बैंक का नाम	प्रमाणपत्र सं.	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक	30155784880	30155784880	01 वर्ष	9.00%	115959.00	6.4.2014	7.4.2015	8511.00
2	अंशदान	भारतीय स्टेट बैंक	32456987715	32456987715	01 वर्ष	9.00%	1554505.00	31.7.2014	31.7.2015	85567.00
				कुल . . .	..	..	1670464.00	..	..	94078.00

हस्ता/—

(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/—

(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/—

(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.)  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/—

(नम्रता तिवारी)  
निदेशक  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**

राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31-3-2015 को जमा स्वंयकोष निर्माण विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	प्रमाणपत्र सं.	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक		34053227881	01 वर्ष	9.00%	9900000.00	13.8.2014	13.8.2015	516147.00
2	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक		34053235213	01 वर्ष	9.00%	9900000.00	13.8.2014	13.8.2015	516147.00
3	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक		34053237094	01 वर्ष	9.00%	9900000.00	13.8.2014	13.8.2015	516147.00
4	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक		34053238791	01 वर्ष	9.00%	9900000.00	13.8.2014	13.8.2015	516147.00
5	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक		34053240121	01 वर्ष	9.00%	3217936.00	13.8.2014	13.8.2015	197770.00
6	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक		33207734557	01 वर्ष	9.00%	1513765.00	13.8.2014	13.8.2015	78921.00
7	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक		31669981389	555 दिन	9.00%	3289658.00	28.3.2014	4.10.2015	275840.00
8	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक		34434706816	01 वर्ष	8.75%	3311948.00	15.11.2014	15.11.2015	98893.00
9	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक		33498509345	01 वर्ष	8.75%	7269519.00	15.11.2014	15.11.2015	217064.00
10	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	96905	32084678287	01 वर्ष	8.50%	6276878.00	14.12.2014	14.12.2015	144031.00
11	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	96908	32084703076	01 वर्ष	8.50%	9415316.00	14.12.2014	14.12.2015	216046.00
12	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	96906	32084670367	01 वर्ष	8.50%	9415316.00	14.12.2014	14.12.2015	216046.00
13	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक	0	3474002209	01 वर्ष	8.50%	5552177.00	26.2.2015	26.2.2016	40564.00
14	स्वंयकोष निर्माण	भारतीय स्टेट बैंक		संयुक्त प्रमाणपत्र	01 वर्ष	9.00%	19724486.00	30.3.2014	30.3.2015	1837379.00
				कुल ..	..	..	108586999.00	..	..	5357142.00

१५

हस्ता/—

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/—

(बिमल सरकार)

लेखा अधिकारी

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/—

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.)

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/—

(नम्रता तिवारी)

निदेशक

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31-03-2015 को सामान्य भविष्य निधि निवेश का विवरण

(राशि रु. में)

क्र. सं.	विवरण	निवेशित राशि
(1)	(2)	(3)
1	भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नागपुर में विशेष जमा	39349925.00
2	राष्ट्रीयकृत बैंक में आवधिक जमा	206919511.00
	कुल . .	246269436.00

हस्ता/—

(आर. वी. बानुबाकोडे)

लेखापाल

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/—

(विमल सरकार)

लेखा अधिकारी

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/—

(मलकीत राम)

उप निदेशक (मुख्या.)

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/—

(नप्रता तिवारी)

निदेशक

के. श्र. शि. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31-03-2015 को भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नागपुर में विशेष जमा

(राशि रु. में)

क्र. सं.	विवरण	खाता संख्या	निवेशित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	विशेष जमा	एस. डी. एस.—6	39349925.00

हस्ता/-  
**(आर. वी. बानुबाकोडे)**  
लेखापाल  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
**(बिमल सरकार)**  
लेखा अधिकारी  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
**(मलकीत राम)**  
उप निदेशक (मुख्या.)  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
**(नम्रता तिवारी)**  
निदेशक  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31-03-2015 को**  
**सामान्य भविष्य निधि जमा का व्यौरा**

(राशि रु. में)

क्र. सं.	निवेश के ब्लौरे	बैंक का नाम	प्रमाणपत्र क्र.	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	33814422345	33814422345	1 वर्ष	9.00%	6000000.00	2-5-2014	2-5-2015	455882.00
2	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		33942761153	1 वर्ष	9.00%	9900000.00	27-6-2014	27-6-20145	624615.00
3	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		33942804892	1 वर्ष	9.00%	1696808.00	5-7-2014	5-7-2015	103474.00
4	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		32456987715	1 वर्ष	9.00%	7697176.00	31-7-2014	31-7-2015	423686.00
5	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	525977	32456988924	1 वर्ष	9.00%	8197691.00	31-7-2014	31-7-2015	451236.00
6	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	525978	32456989767	1 वर्ष	9.00%	8197691.00	31-7-2014	31-7-2015	451236.00
7	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	525979	32456975368	1 वर्ष	9.00%	2527990.00	31-7-2014	31-7-2015	139150.00
8	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34174367627	1 वर्ष	9.00%	7200000.00	9-9-2014	9-9-2015	331879.00
9	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	328753	4.79003E+14	1 वर्ष	9.05%	11799899.00	19-10-2014	19-10-2015	1018257.00
10	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक	328754	4.79003E+14	1 वर्ष	9.05%	6108552.00	19-10-2014	19-10-2015	542809.00
11	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34303154343	1 वर्ष	8.75%	4000000.00	13-10-2014	13-10-2015	147997.00
12	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34303159385	1 वर्ष	8.75%	4000000.00	13-10-2014	13-10-2015	147997.00
13	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		31693038150	दिन	9.00%	6002301.00	13-04-2014	20-10-2015	483898.00
14	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34406052593	1 वर्ष	8.75%	4180800.00	11-11-2014	11-11-2015	128188.00
15	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34406016269	1 वर्ष	8.75%	5000000.00	11-11-2014	11-11-2015	153306.00
16	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34406050164	1 वर्ष	8.75%	5000000.00	11-11-2014	11-11-2015	153306.00
17	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34405992163	1 वर्ष	8.75%	5000000.00	11-11-2014	11-11-2015	153306.00
18	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34506665095	1 वर्ष	8.50%	9900000.00	9-12-2014	9-12-2015	236884.00
19	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		32718970943	1 वर्ष	8.50%	8764168.00	19-12-2014	19-12-2015	191162.00
20	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		3278970013	1 वर्ष	8.50%	5842779.00	19-12-2014	19-12-2015	127441.00
21	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34506663531	1 वर्ष	8.50%	9900000.00	13-12-2014	13-12-2015	228505.00
22	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		3450666485	1 वर्ष	8.50%	2476383.00	14-12-2014	14-12-2015	56634.00
23	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		3450666828	1 वर्ष	8.50%	9900000.00	14-12-2014	14-12-2015	226411.00
24	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		32718971801	1 वर्ष	8.50%	8764168.00	19-12-2014	19-12-2015	191162.00
25	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34552472508	1 वर्ष	8.50%	9900000.00	28-12-2014	28-12-2015	197084.00
26	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34552471275	1 वर्ष	8.50%	9900000.00	28-12-2014	28-12-2015	197084.00
27	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34552474118	1 वर्ष	8.50%	9900000.00	28-12-2014	28-12-2015	197084.00
28	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		33589572814	1 वर्ष	8.50%	9355831.00	28-12-2014	28-12-2015	186525.00
29	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34552534703	1 वर्ष	8.50%	1902036.00	28-12-2014	28-12-2015	37864.00
30	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		34740891739	1 वर्ष	8.50%	2500000.00	26-2-2014	26-2-2015	18204.00
31	सा.भ.नि.	भारतीय स्टेट बैंक		संयुक्त प्रमाणपत्र	1 वर्ष	9.00%	5405238.00	30-3-2014	30-3-2015	503510.00
					कुल ..		206919511.00			8505776.00

हस्ता/-  
**(आर. वी. बानुबाकोडे)**  
लेखापाल  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
**(बिमल सरकार)**  
लेखा अधिकारी  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
**(मलकीत राम)**  
उप निदेशक (मुख्या.)  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
**(नग्रता तिवारी)**  
निदेशक  
के. श्र. शि. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31-03-2015 को राष्ट्रीय बैंक सहित सी.टी.पी. लेखा जमा का विवरण

(राशि रु. में)

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	प्रमाणपत्र क्र.	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	प्रोद्भूत ब्याज 31-03-2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	सी.टी.पी.	भारतीय स्टेट बैंक		संयुक्त प्रमाणपत्र	1 वर्ष	9.00%	11055020.00	30-3-2014	30-3-2015	1029799.00
2	सी.टी.पी.	भारतीय स्टेट बैंक	33989289821		1 वर्ष	9.00%	9900000.00	24-7-2014	24-7-2015	559622.00
3	सी.टी.पी.	भारतीय स्टेट बैंक	33989289821		1 वर्ष	9.00%	3000000.00	24-7-2014	24-7-2015	169581.00
4	सी.टी.पी.	भारतीय स्टेट बैंक	33989290676		1 वर्ष	9.00%	516367.00	24-7-2014	24-7-2015	29188.00
5	सी.टी.पी.	भारतीय स्टेट बैंक	31669956953	555	9.00%	5695113.00	4-10-2014	28-3-2015		475948.00
6	सी.टी.पी.	भारतीय स्टेट बैंक	34507861361		1 वर्ष	8.50%	2500000.00	18-12-2014	18-12-2015	55057.00
7	सी.टी.पी.	भारतीय स्टेट बैंक	5.06703E+14		1 वर्ष	8.95%	4376611.00	10-1-2015	10-1-2016	80450.00
8	सी.टी.पी.	भारतीय स्टेट बैंक	33049854690	कुल ..	1 वर्ष	9.00%	5947560.00	10-6-2014	10-6-2015	398957.00
							42990671.00			2798602.00

हस्ता/-  
(आर. वी. बानुबाकोडे)  
लेखापाल  
के. श्र. शिं. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
(बिमल सरकार)  
लेखा अधिकारी  
के. श्र. शिं. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
(मलकीत राम)  
उप निदेशक (मुख्या.)  
के. श्र. शिं. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
(नग्रता तिवारी)  
निदेशक  
के. श्र. शिं. बो., नागपुर.

## केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31-03-2015 को राष्ट्रीय बैंक सहित संयुक्त लेखा जमा का विवरण

(राशि रु. में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	खाता क्र.	प्रमाणपत्र क्र.	निवेशित राशि	जमा तिथि तिथि	परिपक्वता	ब्याज दर	प्रोद्भूत ब्याज
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	भारतीय स्टेट बैंक	33809447264	3.07	6314172.00	30-3-14	30-3-15	9.00%	921525
2	भारतीय स्टेट बैंक	33809279977	3.07	9900000.00	30-3-14	30-3-15	9.00%	921525
3	भारतीय स्टेट बैंक	33809279456	3.07	9900000.00	30-3-14	30-3-15	9.00%	921525
4	भारतीय स्टेट बैंक	33809279739	3.07	9900000.00	30-3-14	30-3-15	9.00%	921525
5	भारतीय स्टेट बैंक	33809279343	3.07	9900000.00	30-3-14	30-3-15	9.00%	590905
			कुल . .	45914172.00				4277005

## खातेवार विवरण

क्र. सं.	खाते का नाम	निवेशित राशि	प्रोद्भूत ब्याज
1	गृ. नि. अं.	9729428.00	906317.00
2	सा. भ. नि.	5405238.00	503510.00
3	स्व. को. नि.	19724486.00	1837379.00
4	सीटीपी	11055020.00	1029799.00
	कुल जमा	45914172.00	4277005.00

हस्ता/-  
 (आर. वी. बानुबाकोडे)  
 लेखापाल  
 के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
 (विमल सरकार)  
 लेखा अधिकारी  
 के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
 (मलकीत राम)  
 उप निदेशक (मुख्या.)  
 के. श्र. शि. बो., नागपुर.

हस्ता/-  
 (नम्रता तिवारी)  
 निदेशक  
 के. श्र. शि. बो., नागपुर.

**केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नागपुर**  
**नई पेंशन योजना प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा**

वर्ष 2014-2015

(राशि रु. में)

राशि 2012-2013 (1)	प्राप्तियाँ		भुगतान		
	विवरण (2)	राशि 2013-2014 (3)	राशि 2012-2013 (4)	विवरण (5)	राशि 2013-2014 (6)
रु.	रु.	रु.	रु.	रु.	रु.
3058502.15	अथ शेष बचत खाता	535005.15			
4132.00	जमा पारगमन में प्रेषित धन	4132.00			
14277.00	प्राप्त ब्याज	8185.00	7448388.00	नई पेंशन योजना खाते से राशि स्थानांतरित	5844694.00
2455307.00	कर्मचारी अंशदान	2712023.00		शेष देय राशि	
2455307.00	टियर-1 में बोर्ड का अंशदान	535005.15		बचत खाता	122542.15
	टियर-1 में	2712023.00	4132.00	जमा पारगमन में प्रेषित धन	4132.00
<b>7987525.15</b>	<b>कुल ..</b>	<b>5971368.15</b>	<b>7987525.15</b>	<b>कुल ..</b>	<b>5971368.15</b>

हस्ता/— <b>(आर. वी. बानुबाकोडे)</b> लेखापाल के. श्र. शि. बो., नागपुर.	हस्ता/— <b>(बिमल सरकार)</b> लेखा अधिकारी के. श्र. शि. बो., नागपुर.	हस्ता/— <b>(मलकीत राम)</b> उप निदेशक (मुख्या.) के. श्र. शि. बो., नागपुर.	हस्ता/— <b>(नम्रता तिवारी)</b> निदेशक के. श्र. शि. बो., नागपुर.
--	---	---	--